

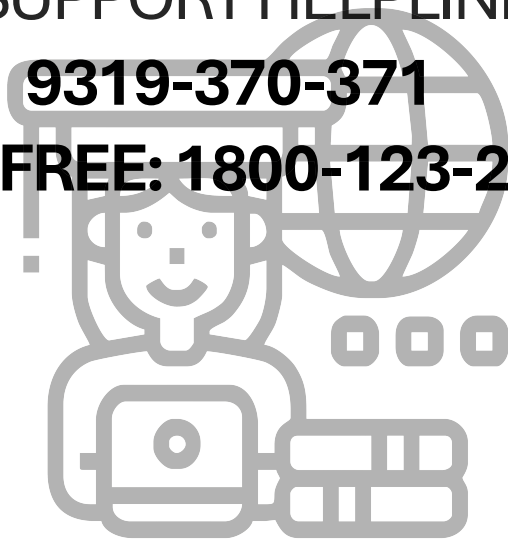
MIPS PVT. LTD.

CAREER MAKERS SINCE 2012

STUDENT'S SUPPORT HELPLINE NUMBER:

9319-370-371

TOLL FREE: 1800-123-2012



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

साक्ष्य का नियम

परिचय

किसी मुकदमे में पक्षकारों के बीच कानूनी विवाद तब उत्पन्न होता है जब एक पक्ष किसी अधिकार का दावा करता है और दूसरा पक्ष उसे अस्वीकार कर देता है। पीड़ित पक्ष, यानी वह पक्ष जिसके अधिकारों से इनकार किया जाता है, अपनी दलीलें पेश करके अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। उसके द्वारा प्रस्तुत दलीलों में, मामला शुरू करने वाला पक्ष तथ्यों की दलील देता है और कुछ आधारों पर राहत का दावा करता है।

न्यायालय विपक्षी पक्ष को समन जारी करता है। समन के साथ ही मुकदमा चलाने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों की एक प्रति विपक्षी पक्ष को दी जाती है। विपक्षी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और मुकदमा चलाने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों के जवाब में अपनी दलीलें प्रस्तुत करता है।

विपक्षी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों में, वह तथ्यों के अपने संस्करण की दलील देता है, और अपने खिलाफ मामले को खारिज करने की मांग करता है। न्यायालय दो दलीलों की तुलना करता है, एक मामला शुरू करने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई और दूसरी विपक्षी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई। ऐसा करके, न्यायालय तथ्यों के दो सेटों को अलग करता है। 1. मामला शुरू करने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य और विपक्षी पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य। तथ्यों के इन सेटों को 'स्वीकृत तथ्य' कहा जाता है।

2. मामला शुरू करने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य और विपक्षी पक्ष द्वारा अस्वीकृत तथ्य। इन तथ्यों को 'विवादित तथ्य' कहा जाता है।

चूंकि स्वीकृत तथ्यों के संबंध में पक्षकारों में आम सहमति है, इसलिए वे मामले के तथ्य बनते हैं। विवादित तथ्यों के संबंध में, पक्षकारों के कथन भिन्न होते हैं, और न्यायालय को यह करना होता है कि

यह तय करना कि इन दो अलग-अलग सेटों में से किन तथ्यों को मामले के तथ्य माना जाना चाहिए।

इस संबंध में न्यायालय मुद्दे तय करता है। इस प्रकार तय किए गए मुद्दे मामले में शामिल तथ्य के प्रश्न हैं।

ये मुद्दे पक्षों के बीच विवाद को स्पष्ट करते हैं। न्यायालय इन तथ्यों के सवालों का जवाब पक्षों द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर देता है।

उपरोक्त चर्चा के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक मामले में तथ्यों के चार सेट हो सकते हैं। 1. वास्तविक तथ्य, या असली तथ्य;

2. कार्यवाही शुरू करने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य;

3. विपक्षी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य; और

4. न्यायालय के निष्कर्ष।

न्यायालय के निष्कर्ष 'उसके समक्ष मौजूद सामग्री' पर आधारित होने चाहिए, जिसमें पक्षों की दलीलें, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और भौतिक वस्तुएं शामिल हैं। न्यायाधीश मामले के तथ्य का पता लगाने में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों और न्यायालय द्वारा पाए गए तथ्यों पर आधारित होता है।

तथ्य की अवधारणा

न्यायशास्त्र की दृष्टि से, 'तथ्य' को दो अलग-अलग तरीकों से देखा जा सकता है:

1. प्रथम, तथ्य को कानून से अलग माना जा सकता है।

कानून वह चीज़ है जिसे कानून की किताबों से पता लगाया जा सकता है। कोई भी चीज़ जो कानून की किताबों से पता नहीं लगाई जा सकती, वह तथ्य है।

2. दूसरा, तथ्य वह चीज़ है जिसे अनुभव किया जा सकता है।

इस अर्थ में, तथ्य वह चीज़ है जिसे देखा, सुना, चखा, सूँघा या महसूस किया जा सकता है।

तथ्य की परिभाषा, प्रासंगिक तथ्य और मुद्दागत तथ्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 तथ्य को इस प्रकार परिभाषित करती है:

“तथ्य” का अर्थ है और इसमें शामिल हैं--

- (1) कोई भी चीज़, चीज़ों की स्थिति, या चीज़ों का संबंध, जो अनुभव किए जाने योग्य हो

इन्द्रियों द्वारा;

- (2) कोई मानसिक स्थिति जिसके प्रति कोई व्यक्ति सचेत हो।

रेखांकन

(क) यह एक तथ्य है कि एक निश्चित स्थान पर कुछ वस्तुएं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं।

(ख) यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है।

(ग) यह तथ्य है कि किसी व्यक्ति ने कुछ शब्द कहे।

(घ) यह कि कोई व्यक्ति कोई निश्चित राय रखता है, कोई निश्चित इरादा रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशेष शब्द का किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करता है, या किसी विनिर्दिष्ट समय पर किसी विशेष अनुभूति के प्रति सचेत है या था, एक तथ्य है।

(ई) यह एक तथ्य है कि किसी व्यक्ति की एक निश्चित प्रतिष्ठा है।

“तथ्य” की परिभाषा में दो भाग शामिल हैं। पहला भाग उन चीज़ों से संबंधित है जिन्हें “भौतिक तथ्य” कहा जा सकता है, जबकि दूसरा भाग उन चीज़ों से संबंधित है जिन्हें “मनोवैज्ञानिक तथ्य” कहा जा सकता है।

2) “प्रासंगिक तथ्य” -

एक तथ्य दूसरे तथ्य से तब सुसंगत कहा जाता है जब वह तथ्यों की सुसंगति से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार से दूसरे तथ्य से संबद्ध हो।

‘प्रासंगिक’ शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में इसका अर्थ है “जुड़ा हुआ” और दूसरे अर्थ में “स्वीकार्य”। एक तथ्य को दूसरे से प्रासंगिक तब कहा जाता है जब वह दूसरे तथ्य से जुड़ा हो।

अन्य, तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 5 से 55 के अंतर्गत प्रावधानों में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से

- (i) तार्किक प्रासंगिकता - किसी तथ्य को दूसरे तथ्य के लिए तार्किक रूप से प्रासंगिक तब कहा जाता है जब हमारे तर्क के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तथ्य का दूसरे तथ्य पर प्रभाव पड़ता है।
- (ii) विधिक प्रासंगिकता - किसी तथ्य को विधिक रूप से प्रासंगिक तब कहा जाता है जब उसे धारा 5 से 55 (तथ्य की प्रासंगिकता) के अंतर्गत प्रासंगिक बताया जाता है।

कोई तथ्य तार्किक रूप से सुसंगत या कानूनी रूप से सुसंगत हो सकता है। जहाँ कोई तथ्य दूसरे से इस तरह का आकस्मिक संबंध रखता है कि वह उसके अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को संभावित बनाता है, उसे तार्किक रूप से सुसंगत तथ्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जहाँ यह निर्धारित करना है कि A ने हत्या का हथियार खेत में रखा है या नहीं, यह तथ्य कि B ने A को खेत की ओर जाते देखा, सुसंगत है।

साथ हत्या हथियार है

साक्ष्य अधिनियम कुछ प्रकार के कारण संबंधों को मान्यता देता है। इस प्रकार, वे प्रकार के कारण संबंध जिन्हें कानून द्वारा मान्यता दी जाती है, उन्हें कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्य कहा जाता है। इसलिए, जबकि सभी कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्य तार्किक रूप से प्रासंगिक हैं, सभी तार्किक रूप से प्रासंगिक तथ्य कानूनी रूप से प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं।

VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF

MPS PRIVATE LIMITED

3) मुद्दे से संबंधित तथ्य:

धारा 3 के अनुसार, "विवादित तथ्य" का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है - कोई भी तथ्य जिससे, स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी वाद या कार्यवाही में घोषित या अस्वीकृत किसी अधिकार, दायित्व या अक्षमता का अस्तित्व, गैर-अस्तित्व, प्रकृति या विस्तार आवश्यक रूप से निकलता है।

स्पष्टीकरण - जब

कभी, सिविल प्रक्रिया से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन कोई न्यायालय किसी तथ्य के विवाद्यक को अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर में अभिकथन किया जाने वाला या खंडन किया जाने वाला तथ्य विवाद्यक तथ्य होता है।

दृष्टांत

A पर B की हत्या का आरोप है। उसके मुकदमे में निम्नलिखित तथ्य मुद्दागत हो सकते हैं -

कि A ने B की मृत्यु का कारण बना;

कि A का आशय B की मृत्यु कारित करना था;

कि A को B से गंभीर और अचानक उकसावा मिला था

कि A उस कार्य को करते समय, जिसके कारण B की मृत्यु हुई, मानसिक विकृति के कारण, उसकी प्रकृति को जानने में असमर्थ था।

अभिव्यक्ति "मुद्दे में तथ्य" उन तथ्यों को संदर्भित करता है जिनसे कोई कानूनी अधिकार, दायित्व या अक्षमता उत्पन्न होती है और ऐसा कानूनी अधिकार, दायित्व या अक्षमता जांच में शामिल होती है और जिस पर न्यायालय को निर्णय देना होता है। यह प्रश्न कि कौन से तथ्य "मुद्दे में तथ्य" हो सकते हैं, मूल कानून या प्रक्रियात्मक कानून की शाखा द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जो दलीलों से संबंधित है। आम तौर पर, आपराधिक मामलों में आरोप मुद्दे में तथ्यों का गठन करता है जबकि सिविल मामलों में मुद्दे में तथ्य मुद्दों को तैयार करने की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

सबूत

आम तौर पर "प्रमाण" और "साक्ष्य" को समानार्थी समझ लिया जाता है। किसी तथ्य का "प्रमाण" उस तथ्य के अस्तित्व को दर्शाता है। इस प्रकार, कोई तथ्य "सिद्ध", "असिद्ध" या "सिद्ध नहीं" हो सकता है।

साबित

किसी तथ्य को तब सिद्ध कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करता है कि वह तथ्य विद्यमान है या उसका अस्तित्व इतना साध्य है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, उस विशेष मामले की परिस्थितियों के अधीन, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य विद्यमान है।

गलत साबित

किसी तथ्य को तब असत्य सिद्ध कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करता है कि वह तथ्य विद्यमान नहीं है, या उसके अनस्तित्व को इतना सम्भाव्य समझता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों के अधीन, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य विद्यमान नहीं है।

सिद्ध नहीं हुआ

किसी तथ्य को तब सिद्ध नहीं कहा जाता जब वह न तो सिद्ध हो और न ही असिद्ध।

इस प्रकार, जहां कोई भी पक्ष अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता, वहां तथ्य को सिद्ध नहीं माना जाता।

सामान्य बोलचाल में, "प्रमाण" में "अप्रमाण" भी शामिल है। इस प्रकार "प्रमाण का बोझ" न केवल साबित करने का बोझ है, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर असिद्ध करने का भी बोझ है।

प्रमाण

साक्ष्य वह चीज़ है जिसका उपयोग किसी तथ्य को साबित या गलत साबित करने के लिए किया जाता है। साक्ष्य, अपने आप में एक तथ्य है। साक्ष्य को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

1. मौखिक साक्ष्य
2. दस्तावेजी साक्ष्य

हालाँकि, कुछ कानूनी प्रणालियों के तहत एक तीसरे प्रकार का साक्ष्य होता है जिसे वास्तविक साक्ष्य कहा जाता है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जाती है। वास्तविक साक्ष्य उन वस्तुओं के रूप में होता है जिन्हें दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है

आईईए की धारा 3 साक्ष्य को इस प्रकार परिभाषित करती है

साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल है,

(1) वे सभी कथन जिनकी न्यायालय जांच के अधीन तथ्यात्मक मामलों के संबंध में साक्षियों द्वारा अपने समक्ष किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है; ऐसे कथनों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है;

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज; ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है

साक्ष्य किसी भी तथ्य का मामला हो सकता है जो किसी अन्य तथ्य के अस्तित्व और गैर-अस्तित्व के बारे में मन में धारणा पैदा करता है। साक्ष्य मौखिक हो सकता है, जो गवाहों की गवाही को संदर्भित करता है, या दस्तावेजी, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को संदर्भित करता है।

साक्ष्य के प्रकार

प्रत्यक्ष साक्ष्य

किसी गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य जिसने मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य को देखा, सुना या माना हो। इसके तहत गवाह द्वारा अपने स्वयं के बोध के आधार पर साक्ष्य दिया जाता है, उदाहरण के लिए प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्ष साक्ष्य को साबित किए जाने वाले तथ्य के मौखिक साक्ष्य का सबसे अच्छा रूप माना जाता है।

VIRTUAL COLLEGE
A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य

अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य वे होते हैं जो अन्य तथ्यों को साबित करके मुद्दे के तथ्यों को साबित करने का प्रयास करते हैं। वे कोई निश्चित प्रमाण नहीं देते, बल्कि विवादित तथ्यों के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में एक सामान्य विचार देते हैं।

सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य

यह एक गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य है जो इसे देखने वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। यह वह साक्ष्य है जिसे गवाह ने न तो व्यक्तिगत रूप से देखा है और न ही अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया है, लेकिन उसे किसी अन्य व्यक्ति से इसका ज्ञान हुआ है। यह साक्ष्य की कमजोर श्रेणी में आता है। अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य को हमेशा बाहर रखा जाना चाहिए। हालाँकि ऐसे कुछ अवसर हैं जहाँ यह स्वीकार्य है।

पूर्वानुमान

शब्द "अनुमान" एक संदिग्ध तथ्य या प्रस्ताव से संबंधित सकारात्मक या गैर-पुष्टित्मक अनुमान को संदर्भित करता है और किसी ठोस चीज़ से संभावित तर्क की प्रक्रिया का अनुसरण करके निकाला जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 4, अनुमान के कानून को प्रतिपादित करती है। यह "अनुमान लगा सकता है", "अनुमान लगाएगा" और "निर्णायक सबूत" को परिभाषित करता है।

अनुमान लगा सकते हैं

जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकता है, तब वह उस तथ्य को तब तक सिद्ध मान सकता है जब तक कि वह असत्य साबित न हो जाए, या वह उसका सबूत मांग सकता है।

इस प्रकार, जहाँ भी "अनुमान लगाया जा सकता है" शब्दों का उपयोग किया गया है, न्यायालय के पास या तो खंडन योग्य अनुमान लगाने या पुष्टिकरण साक्ष्य की माँग करने का विवेकाधिकार है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार किया गया अनुमान निर्णायक नहीं है या खंडन करने में असमर्थ नहीं है।

मान लेना चाहिए

जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा तो वह उस तथ्य को तब तक सिद्ध मानेगा जब तक कि वह असत्य साबित न हो जाए।

"अनुमान लगा सकते हैं" के विपरीत, जहाँ भी "अनुमान लगाएगा" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, न्यायालय को किसी तथ्य को तब तक सिद्ध मानना होगा जब तक कि उसे अस्वीकृत न कर दिया जाए। इस प्रकार, न्यायालय को किसी तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में अनिवार्य रूप से खंडनीय अनुमान लगाना होगा। इस प्रकार से अनुमानित तथ्य को अस्वीकृत करने या दूसरे शब्दों में, किसी वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए, साक्ष्य स्पष्ट और विश्वसनीय होना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि न्यायिक मन के प्रयोग से यह स्थापित हो जाए कि वास्तविक तथ्य वह नहीं है जिसे अनुमान लगाया गया है।

निर्णायक प्रमाण

जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निर्णायक सबूत घोषित किया जाता है, तो न्यायालय एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य को सिद्ध मान लेगा और उसे गलत साबित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा।" यह धारा गैर-खंडनीय उपधारणाओं, यानी ऐसी उपधारणाओं के लिए प्रावधान करती है जो प्रकृति में निर्णायक हैं।

धारा 4 दो प्रकार की धारणाओं से संबंधित है। तथ्य की धारणाएँ और कानून की धारणाएँ। तथ्य की धारणाएँ मानवीय अनुभव पर आधारित प्राकृतिक धारणाएँ हैं, जिनका हमेशा खंडन किया जा सकता है। न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह या तो किसी तथ्य को सिद्ध मानकर मान ले या उसे गलत साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले जो प्राकृतिक धारणाओं के अंतर्गत आते हैं, मान लिए जा सकते हैं।

कानून की धारणाएँ या कानूनी धारणाएँ तथ्यों के व्यवस्थित विश्लेषण पर आधारित होती हैं। कानूनी धारणाएँ दो प्रकार की होती हैं, खंडनीय और अपरिवर्तनीय। खंडनीय धारणाएँ वे हैं जहाँ न्यायालय तब तक सिद्ध तथ्य को मान लेता है जब तक कि उसे अस्वीकृत न कर दिया जाए। न्यायालय के पास तथ्य को मानने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं है, हालाँकि वह इसे अस्वीकृत करने के लिए साक्ष्य की अनुमति दे सकता है।

अकाव्य धारणाएँ वे हैं जहाँ न्यायालय तथ्य को किसी अन्य तथ्य के प्रमाण पर सिद्ध मान लेगा तथा उसे अस्वीकृत करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे सकता।
उदाहरण: धारा 40 निर्णयों की प्रासंगिकता, धारा 112 बच्चों की वैधता।

प्रासंगिकता और स्वीकार्यता

'प्रासंगिकता' और 'स्वीकार्यता' को अक्सर समानार्थी माना जाता है। लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। उनके कानूनी निहितार्थ अलग-अलग हैं। सभी स्वीकार्य साक्ष्य प्रासंगिक हैं लेकिन सभी प्रासंगिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं। प्रासंगिकता वह वंश है जिसकी स्वीकार्यता प्रजाति है।

प्रासंगिकता साक्ष्य की स्वीकार्यता के निर्धारण के लिए अंतिम कसौटी है। साक्ष्य कानून के इस मौलिक नियम के कारण ही 'प्रासंगिकता' और 'स्वीकार्यता' शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों अवधारणाएँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए, किसी अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के समक्ष किया गया इकबालिया बयान प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन अस्वीकार्य है क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत 'विशेषाधिकार प्राप्त संचार' के दायरे में आता है। यह कहा जा सकता है कि जो कुछ भी स्वीकार्य है वह प्रासंगिक है, लेकिन जो कुछ भी प्रासंगिक है वह स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

VIRTUAL COLLEGE

स्वीकार्यता से तात्पर्य इस प्रश्न से है कि क्या न्यायालय को किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में किसी प्रासंगिक तथ्य पर विचार करना चाहिए या नहीं। कोई तथ्य तभी स्वीकार्य होता है जब वह कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अनन्यता के नियम का उल्लंघन न करता हो। इस प्रकार, तार्किक रूप से प्रासंगिक तथ्य प्रासंगिक होते हैं लेकिन स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं जबकि कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्य प्रासंगिक होने के साथ-साथ स्वीकार्य भी होते हैं। प्रासंगिकता न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित एक प्रश्न है और इसका निर्णय वकीलों को करना होता है। दूसरी ओर स्वीकार्यता का निर्णय न्यायाधीश को करना होता है क्योंकि यह उस वजन से संबंधित होता है जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सिविल और आपराधिक मामलों में साक्ष्य के नियम

भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर लागू होता है। सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में साक्ष्य के नियम आम तौर पर एक जैसे होते हैं। हालाँकि, सिविल मामलों और आपराधिक मामलों की प्रकृति के बीच कुछ अंतरों के कारण, साक्ष्य के नियमों में कुछ अंतर हैं:

1. स्वीकारोक्ति केवल आपराधिक मामलों पर लागू होती है। सिविल मामलों के संदर्भ में, पक्षकार तथ्यों को स्वीकार कर सकते हैं। औपचारिक स्वीकारोक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और न्यायालय उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे स्वीकारोक्ति के आधार पर मामलों का फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि स्वीकारोक्ति न केवल स्वैच्छिक हो बल्कि सत्य भी हो।

2. आपराधिक और सिविल मामलों में साक्ष्य के उपयोग के बीच मुख्य अंतर सबूत का बोझ है। हालाँकि दोनों मामलों में प्रारंभिक बोझ उस व्यक्ति पर होता है जो मामला शुरू करता है, सिविल मामलों में सबूत का बोझ मामले के आगे बढ़ने के साथ एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरी ओर, अभियुक्त के अपराध को साबित करने का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और कभी भी अभियुक्त पर नहीं जाता है।

3. आपराधिक मामलों में सबूत के मानक सख्त होते हैं, जिसका मतलब है कि आरोपी का अपराध किसी भी उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए। जबकि सिविल मामलों में सबूत का मानक संभावनाओं के आधार पर तय होता है।

4. सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है, सिवाय मानहानि के मुकदमे में क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करने के, जबकि आपराधिक मामलों में चरित्र साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

5. स्वीकृति और रोक से संबंधित कुछ प्रावधान केवल सिविल मामलों पर लागू होते हैं, जबकि स्वीकारोक्ति और चरित्र साक्ष्य केवल आपराधिक मामलों के लिए विशिष्ट हैं।

तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा 6: एक ही लेन-देन का हिस्सा बनने वाले तथ्य:

“जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग हैं, वे सुसंगत हैं, चाहे वे एक ही समय और स्थान पर घटित हुए हों या भिन्न-भिन्न समय और स्थानों पर घटित हुए हों”

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

रेखांकन

(क) ख को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियोग क पर है। मारपीट के समय या उसके तुरन्त पहले या बाद में क या ख या आसपास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी कहा या किया गया, वह संव्यवहार का भाग है, सुसंगत तथ्य है।

(ख) क पर सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट कर दी जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और जेलें तोड़ दी जाती हैं।

इन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है, क्योंकि ये सामान्य लेन-देन का भाग हैं, यद्यपि क उन सभी में उपस्थित नहीं रहा होगा।

(ग) क, ख पर एक पत्र में निहित मानहानि के लिए वाद लाता है, जो पत्र-व्यवहार का भाग है। पक्षकारों के बीच पत्र, जो उस विषय से संबंधित हैं, जिससे मानहानि उत्पन्न हुई है, तथा उस पत्र-व्यवहार का भाग हैं, जिसमें वह अंतर्विष्ट है, सुसंगत तथ्य हैं, यद्यपि उनमें स्वयं मानहानि अंतर्विष्ट नहीं है।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या बी से मंगाया गया कुछ माल ए को दिया गया। माल क्रमिक रूप से कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया। प्रत्येक वितरण एक सुसंगत तथ्य है।

यह धारा अंग्रेजी साक्ष्य कानून के सिद्धांत रेस गेस्टे पर आधारित है जिसका अर्थ है, की गई बातें या बोले गए शब्द। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस गेस्टे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह माना गया है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है तो उसी लेनदेन का हिस्सा बनने वाले सभी तथ्य प्रासंगिक हो जाते हैं।

धारा 6 को इसके साथ संलग्न उदाहरणों के प्रकाश में पढ़ने से निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं:

1. ऐसे कार्य, जिनके अंतर्गत वे कथन हैं जो उस संव्यवहार का भाग हैं जिसका विवादास्पद तथ्य भी भाग है, सुसंगत हैं।

2. ऐसे कृत्य और कथन मामले के पक्षकारों या तीसरे व्यक्तियों के हो सकते हैं।

3. वे संबंधित तथ्य के समकालिक होने चाहिए या उससे बहुत पहले के होने चाहिए

इससे पहले या बाद में कि इसे उसी लेनदेन का हिस्सा माना जा सके जिसका मुद्दागत तथ्य एक हिस्सा है।

4. ऐसे कार्य या वक्तव्य एक ही समय और स्थान पर अथवा भिन्न-भिन्न समय और स्थानों पर हो सकते हैं।

बयान स्वतःस्फूर्त बयान होना चाहिए न कि अतीत की कहानी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बयान स्वतःस्फूर्त है तो उसमें मनगढ़ंत बातें होने की संभावना नहीं रहती और इसलिए वह विश्वसनीय होता है। अगर तथ्य के घटित होने और बयान के बीच कुछ समय का अंतराल है तो तथ्यों को गढ़ने या तथ्य को विकृत करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है।

ऐसा कथन अफवाह बन जाता है। इसी तरह, मुद्दे में तथ्य के साथ होने वाला कार्य एक सुसंगत तथ्य है यदि वह एक स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया है। जो कार्य बाद में किया जाता है वह एक पूर्व नियोजित कार्य है और इसलिए वह सुसंगत तथ्य नहीं है।

आर वी क्रिस्टी

आरोपी पर पांच साल के लड़के पर अभद्र हमला करने का आरोप लगाया गया था। हमले के कुछ ही समय बाद लड़का और उसकी मां आरोपी के पास आए और लड़के ने अपनी मां से कहा, "मां, यह वह आदमी है।" आरोपी की पहचान करने वाले लड़के के बयान के साक्ष्य को उसी लेन-देन का हिस्सा माना गया, लेकिन हमले के बारे में लड़के के स्पष्टीकरण के साक्ष्य को अफवाह बताकर खारिज कर दिया गया।

आर बनाम बेडिंगफील्ड

इधर, एक घर से एक महिला का गला कटा हुआ भागता हुआ बाहर आया। वह लगातार रो रही थी, लेकिन यह नहीं बता रही थी कि उसे चोट कैसे लगी। लेकिन, जैसे ही उसकी मौसी आई, उसने मौसी से कहा, "ओ मौसी, देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है।"

कॉकबर्न के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए बताया:

ऐसे बयानों को रेस गेस्टे के रूप में स्वीकार्य होने के लिए, संबंधित लेनदेन के साथ समकालिक होना चाहिए, ताकि मनगढ़ंत या बनावटी बातों के लिए कोई समय/अवसर न मिले। बयानों को केवल पिछली घटना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

रैटन बनाम रेजिनान

आरोपी पर एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। उसका बचाव यह था कि बंदूक से गलती से गोली चल गई और उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। यह दिखाने के लिए सबूत थे कि पीड़िता ने अपनी मौत से कुछ समय पहले पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी। उसकी कॉल और उसके द्वारा बोले गए शब्दों को धारा 6 के तहत प्रासंगिक माना गया। उसकी कॉल से पता चला कि गोली चलाना जानबूझकर किया गया था और आकस्मिक नहीं था क्योंकि आकस्मिक शूटिंग का कोई भी पीड़ित पुलिस को कॉल करने के बारे में नहीं सोच सकता।

सावल दास बनाम बिहार राज्य।

जब उनके पिता द्वारा उनकी मां की हत्या की जा रही थी, तब घर से बच्चों का रोना उसी लेन-देन का हिस्सा बन गया और इसलिए यह धारा 6 के अंतर्गत आ गया तथा वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो गया।

रेजगेस्ट, सुनी-सुनाई बातों के सबूतों को बहिष्कृत करने के नियम का अपवाद है। उदाहरण के लिए आर वी फोस्टर में मृतक की मौत एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हुई थी। गवाह ने केवल मृतक की ओर तेज रफ्तार से आ रहे वाहन को देखा था, वास्तविक दुर्घटना को नहीं, उसका दृश्य विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे वाहन द्वारा अवरुद्ध हो गया था। दुर्घटना के तुरंत बाद गवाह मृतक के पास गया और उसने उसे दुर्घटना की प्रकृति के बारे में बताया

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

गवाह को मृतक द्वारा कही गई बातों का साक्ष्य देने की अनुमति दी गई, क्योंकि यह लेन-देन का एक हिस्सा था।

धारा 7 : अवसर, कारण, प्रभाव, चीजों की स्थिति और अवसर

वे तथ्य जो प्रासंगिक तथ्यों या विवाद्यक तथ्यों के तत्काल या अन्यथा अवसर, कारण या प्रभाव हैं, या जो उन चीजों की स्थिति का गठन करते हैं जिनके तहत वे घटित हुए, या जिन्होंने उनके घटित होने या लेन-देन का अवसर प्रदान किया, प्रासंगिक हैं

उदाहरण:

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के कुछ समय पहले ख धन लेकर मेले में गया था और उसने उसे पर-व्यक्तियों को दिखाया था या बताया था कि वह धन उसके पास है।

(बी) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की है। उस स्थान पर या उसके निकट जहां हत्या की गई थी संघर्ष के कारण भूमि पर बने निशान सुसंगत तथ्य हैं।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया था। विष के लक्षण बताए जाने से पूर्व ख के स्वास्थ्य की स्थिति तथा ख की आदतें, जो क को ज्ञात थीं, जिनके कारण उसे विष दिए जाने का अवसर मिला, सुसंगत तथ्य हैं।

इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य प्रासंगिक हैं:

1. तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अवसर, कारण या प्रभाव हों।
2. तथ्य जो चीजों की स्थिति का गठन करते हैं जिसके तहत एक मुद्दा में तथ्य या एक प्रासंगिक तथ्य जिसके तहत वे घटित हुए।
3. वे तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटित होने का अवसर प्रदान करते हैं।
4. तथ्य जो चीजों की स्थिति का गठन करते हैं जिसके तहत एक मुद्दा में तथ्य या एक प्रासंगिक तथ्य जिसके तहत वे घटित हुए।
5. तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटित होने का अवसर प्रदान करते हैं।

अवसर

मुख्य तथ्य के घटित होने के लिए परिस्थितियों के समूह का साक्ष्य हमेशा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आर वी रिचर्डसन में यह तथ्य कि मृतक लड़की अपनी हत्या के समय अपनी झोपड़ी में अकेली थी, हत्या का गठन करता है।

उदाहरण (अ) भी इसी बिन्दु पर है।

कारण

VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF

MIPS PRIVATE LIMITED

मुख्य तथ्य के घटित होने के लिए कारण बनने वाली परिस्थितियों के समूह का साक्ष्य दिया जा सकता है। कारण बताता है कि कोई विशेष कार्य क्यों किया गया जो न्यायालय को किसी व्यक्ति को कार्य से जोड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है, तो यह तथ्य कि उसके पास पैसे की कमी थी, कारण ऋण के रूप में साक्ष्य के रूप में दिखाया जा सकता है।

प्रभाव

हर कार्य अपने पीछे कुछ प्रभाव छोड़ता है जो न केवल कार्य के घटित होने को दर्ज करता है बल्कि कार्य की प्रकृति पर भी प्रकाश डालता है। उदाहरण (बी) भी इसी बिंदु पर है। ऐसे तथ्य या तो तात्कालिक हो सकते हैं या अन्यथा प्रासंगिक हैं। आर वी रिचर्डसन, जहां एक छोटी लड़की को उसकी झोपड़ी में मार दिया गया था, पैरों के निशान, बिखरी हुई चीजें कार्य की प्रकृति को स्पष्ट करती हैं।

अवसर

वे परिस्थितियां सुसंगत हैं जो किसी विवाद्यक तथ्य के घटित होने का अवसर प्रदान करती हैं।

उदाहरण (सी) उसी बिंदु पर है।

हालात

वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य के घटित होने के लिए चीजों की स्थिति का गठन करते हैं, इस धारा के अधीन सुसंगत हैं।

धारा 8: उद्देश्य, तैयारी, आचरण पिछला या बाद का

"कोई भी तथ्य सुसंगत है जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के लिए उद्देश्य या तैयारी को दर्शाता है या गठित करता है।

किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के किसी अभिकर्ता का आचरण, ऐसे वाद या कार्यवाही के संदर्भ में, या उसमें या उससे सुसंगत किसी विवाद्यक तथ्य के संदर्भ में, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जो अपराध है, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित है, और चाहे वह उससे पूर्ववर्ती हो या परवर्ती।

स्पष्टीकरण 1.

इस धारा में "आचरण" शब्द में कथन सम्मिलित नहीं हैं, जब तक कि वे कथन कथनों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के साथ न हों और उन्हें स्पष्ट न करते हों; किन्तु यह स्पष्टीकरण इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन कथनों की प्रासंगिकता को प्रभावित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 2.

जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत हो, तब उससे या उसकी उपस्थिति और सुनवाई में किया गया कोई कथन, जो ऐसे आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है।

मकसद

उद्देश्य का मतलब आम तौर पर वह होता है जो किसी व्यक्ति को किसी खास तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इच्छा, डर, कारण आदि जो किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति को प्रभावित करते हैं। उद्देश्य शारीरिक या यांत्रिक गति का उत्पादक होता है। उद्देश्य को अक्सर अर्थ, उद्देश्य, किसी वस्तुपरक और बाह्य चीज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिर्फ मानसिक स्थिति के विपरीत होता है। उद्देश्य अपने आप में कोई अपराध नहीं है, चाहे वह कितना भी जघन्य क्यों न हो। लेकिन एक बार अपराध हो जाने के बाद, उद्देश्य का सबूत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अदालत को व्यक्ति को अपराध से जोड़ने में मदद करता है।

चित्रण:

A पर B की हत्या का मुकदमा चलाया जाता है।

तथ्य यह है कि, A ने C की हत्या की, B जानता था कि A ने C की हत्या की है, और B ने ऐसा करने की कोशिश की थी।
ए के ज्ञान को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे धन ऐंठना, सुसंगत हैं।

दृष्टांत के अनुसार A ने एक हत्या की है जिसके बारे में B को जानकारी है और B अपनी जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर A से पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। परिणामस्वरूप A, B को भी मार देता है। A की पिछली हत्या के बारे में B का ज्ञान और उसे धमकी देना, B की हत्या के लिए A की ओर से मकसद को दर्शाने के लिए प्रासंगिक है।

तैयारी

इस धारा के अंतर्गत तैयारी के कार्य प्रासंगिक हैं। फिर से तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक बार अपराध हो जाने पर तैयारी का सबूत महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए आर वी पामर में, जहाँ मृत्यु ज़हर के कारण हुई है, अभियुक्त द्वारा दिए गए ज़हर के समान ज़हर खरीदने से कुछ समय पहले का तथ्य प्रासंगिक है।

आचरण

इस धारा के अंतर्गत आचरण को दर्शाने वाले तथ्य भी प्रासंगिक हैं। लेन-देन से पहले या बाद में पक्ष का आचरण भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में बहुत प्रासंगिक है।

धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक होने के लिए, आचरण को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

1. आचरण ऐसा होना चाहिए

- (क) किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार का, या
- (ख) किसी वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार के किसी एजेंट द्वारा, या
- (ग) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही हो।

2. आचरण निम्नलिखित के संदर्भ में होना चाहिए

- (क) ऐसे वाद या कार्यवाही, या
- (ख) ऐसे वाद या कार्यवाही में विवाद्यक कोई तथ्य, या
- (ग) ऐसे वाद या कार्यवाही में विवाद्यक किसी तथ्य से सुसंगत तथ्य।

3. आचरण ऐसा होना चाहिए

- (क) किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को प्रभावित करना; या
- (ख) किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से प्रभावित होना।

4. आचरण हो सकता है

- (क) पिछला आचरण, या
- (बी) समवर्ती आचरण, या
- (ग) बाद का आचरण।

उदाहरण:

. A पर अपराध का आरोप है

.

कथित अपराध से पहले या अपराध के समय या उसके बाद के तथ्यों के आधार पर ए ने ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे मामले के तथ्य उसके पक्ष में प्रतीत होते हैं, जिसके आधार पर वह

साक्ष्य को नष्ट या छिपाया, या ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति को रोका या अनुपस्थिति करवाई जो गवाह हो सकते थे, या इसके संबंध में झूठी गवाही देने के लिए व्यक्तियों को उकसाया, प्रासंगिक हैं

2. A पर एक अपराध का आरोप है।

ये तथ्य कि कथित अपराध के बाद वह फरार हो गया या उसके पास अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति की आय थी, या उसने उन चीजों को छिपाने का प्रयास किया जो अपराध करने में इस्तेमाल की गई थीं या हो सकती थीं, सुसंगत हैं।

धारा 8 का स्पष्टीकरण 1

बयानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. मात्र कथन, जो किसी तथ्य की जानकारी देने या वर्णन करने के अलावा और कुछ नहीं करते।
2. कथन जो स्वयं एक कार्य हैं।

दूसरे वर्ग के अंतर्गत आने वाले कथन आचरण के रूप में प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे स्वयं कार्य हैं।

कथनों की पहली श्रेणी के संबंध में, स्पष्टीकरण 1 से धारा 8 में यह प्रावधान है कि वे निम्नलिखित दो परिस्थितियों को छोड़कर प्रासंगिक नहीं हैं:

1. कथन, कथनों के अलावा अन्य कार्यों के साथ आता है और उनकी व्याख्या करता है।
2. यह कथन इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अंतर्गत सुसंगत है।

धारा 9; प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य

धारा 9 उन तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है जो परिचयात्मक या व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं, या किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य का समर्थन या खंडन करते हैं, या जो किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करते हैं।

धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य प्रासंगिक हैं:

1. तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को स्पष्ट करते हैं,
2. तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को प्रस्तुत करते हैं,
3. तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन करते हैं,
4. तथ्य जो किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का खंडन करते हैं,
5. ऐसे तथ्य जो किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं जिनकी पहचान प्रासंगिक है,
6. तथ्य जो उस समय या स्थान को निश्चित करते हैं जिस पर कोई विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य घटित हुआ,
7. ऐसे तथ्य जो उन पक्षकारों के सम्बन्ध को दर्शित करते हैं जिनके द्वारा किसी ऐसे तथ्य का लेन-देन किया गया था।

व्याख्यात्मक तथ्य

ऐसे कई साक्ष्य हैं जिनका अलग-अलग विचार करने पर कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन जब उन्हें अन्य तथ्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है तो वे प्रासंगिक हो जाते हैं। ऐसे तथ्य मुद्दे में मौजूद तथ्य या प्रासंगिक तथ्य की व्याख्या करते हैं।

परिचयात्मक तथ्य

किसी प्रासंगिक तथ्य का परिचय देने वाले तथ्य, लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को समझने और प्रासंगिक होने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए, उन तथ्यों का साक्ष्य स्वीकार्य है जो विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं।

अनुमान का समर्थन करने वाले तथ्य

ऐसे तथ्य होते हैं जो न तो विवाद्यक तथ्य के रूप में प्रासंगिक होते हैं और न ही प्रासंगिक तथ्य के रूप में, किन्तु वे विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन करते हैं या विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य का खंडन करते हैं।

अनुमान का खंडन करने वाले तथ्य

ऐसे तथ्य हैं, जो मुद्दे में तथ्यों या प्रासंगिक तथ्य द्वारा सुझाए गए निष्कर्षों का खंडन या खंडन कर सकते हैं, और इसलिए, प्रासंगिक ...

किसी वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य

किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य कुछ मामलों में प्रासंगिक हो सकते हैं। जब किसी वस्तु की पहचान संदिग्ध हो, तो हर वह तथ्य प्रासंगिक है जो उस वस्तु की पहचान करने में सहायक हो।

किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य

जब किसी व्यक्ति की पहचान संदिग्ध हो, तो माता-पिता, पत्नी या अन्य रिश्तेदारों द्वारा पहचान प्रासंगिक होती है। किसी विशेष मामले में व्यक्ति की पहचान शारीरिक निशान, चिह्न या कट के निशान से की जा सकती है। चिकित्सा जांच जैसे कंकाल, हड्डियों, उम्र, आवाज, रक्त समूह आदि की जांच करके पहचान के अन्य तरीके भी हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान विशेषज्ञ साक्ष्य जैसे हस्तलिपि, अंगुलियों के निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफ आदि के साक्ष्य से भी संभव हो सकती है।

परीक्षण पहचान परेड

आरोपी की पहचान स्थापित करने के तरीकों में से एक है 'पहचान परेड परीक्षण'। टीआई परेड का उद्देश्य "चश्मदीन गवाह की याददाश्त की जांच करना और अभियोजन पक्ष के लिए यह तय करना है कि आरोपी कौन है।

इसका उद्देश्य घटना के चश्मदीद गवाह को मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की पहचान करने में सक्षम बनाना भी है।

रेखांकन

क) प्रश्न यह है कि क्या दिया गया दस्तावेज क की वसीयत है। अभिकथित वसीयत की तारीख को क की संपत्ति और उसके परिवार की स्थिति सुसंगत तथ्य हो सकती है।

(ख) क, ख पर अपमानजनक आचरण का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा करता है; ख यह पुष्टि करता है कि मानहानि का आरोप लगाया गया मामला सत्य है। मानहानि प्रकाशित होने के समय पक्षकारों की स्थिति और संबंध, मुद्दे में तथ्यों के परिचयात्मक तथ्य हो सकते हैं। कथित मानहानि से असंबद्ध किसी मामले के बारे में क और ख के बीच विवाद के विवरण अप्रासंगिक हैं, यद्यपि यह तथ्य कि विवाद था, प्रासंगिक हो सकता है यदि इसने क और ख के बीच संबंधों को प्रभावित किया हो।

(ग) क पर अपराध का आरोप है। यह तथ्य कि अपराध के तुरंत बाद क अपने घर से फरार हो गया, धारा 8 के अधीन सुसंगत है, क्योंकि यह विवाद्यक तथ्यों के पश्चात्कर्ती तथा उनसे प्रभावित आचरण है। यह तथ्य कि जिस समय वह घर से निकला था, उस समय उसे उस स्थान पर, जहां वह गया था, अचानक तथा अत्यावश्यक कार्य आ गया था, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है कि वह अचानक घर से निकला था।

जिस काम के लिए वह निकला था उसका ब्यौरा प्रासंगिक नहीं है, सिवाय इसके कि वह यह दर्शाने के लिए आवश्यक हो कि काम अचानक हुआ था तथा अत्यावश्यक था।

(घ) क, ख पर इस बात के लिए वाद लाता है कि उसने ग को उसके द्वारा क के साथ की गई सेवा की संविदा तोड़ने के लिए प्रेरित किया है, क की सेवा छोड़ते समय क से कहता है - "मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ख ने मुझे बेहतर प्रस्ताव दिया है।" यह कथन ग के आचरण को स्पष्ट करने के लिए एक सुसंगत तथ्य है जो विवाद्यक तथ्य के रूप में सुसंगत है।

(ई) चोरी के आरोपी ए को चोरी की संपत्ति बी को देते हुए देखा जाता है, जो उसे ए की पत्नी को देता है।

बी यह कथन सुनाते हुए कहता है कि "ए कहता है कि तुम्हें इसे छिपाना है।" बी का कथन उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है जो कि संव्यवहार का अंग है।

(च) क पर दंगे का मुकदमा चलाया जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह भीड़ के आगे-आगे चला था। भीड़ की चीखें लेन-देन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत हैं।

साजिशकर्ता द्वारा कही या की गई बातें सामान्य इरादा [धारा 10]

धारा 10 षड्यंत्र के मामलों में तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है।

धारा 10 के अनुसार, "जहां यह मानने का उचित आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने किसी अपराध या कार्यवाई योग्य गलत कार्य को करने के लिए एक साथ मिलकर षड्यंत्र किया है, ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, उस समय के बाद जब उनमें से किसी एक द्वारा ऐसा इरादा पहली बार मन में आया था, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है जिसके बारे में माना जाता है कि वह ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, साथ ही षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से और यह दिखाने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति उसमें एक पक्ष था।" इस खंड में सभी तथ्य अलग-अलग और स्वतंत्र कार्य हैं, जो एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं, बल्कि षड्यंत्र के लिए हैं। इसलिए, प्रथम दृष्टया षड्यंत्र का अस्तित्व धारा 10 की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य है। जब तक कि प्रथम दृष्टया षड्यंत्र का अस्तित्व साबित न हो जाए, इस खंड के तहत तथ्य सुसंगत नहीं होते।

शब्द "जहां यह मानने का उचित आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर साजिश रची है" बिल्कुल यही संकेत देते हैं। 'विश्वास करने का उचित आधार' का अर्थ यह नहीं है कि इन तथ्यों के प्रासंगिक होने से पहले साजिश को साबित किया जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से विचार करता है

वास्तविक सबूत से कुछ कम और इसका मतलब है कि दो या अधिक आरोपी व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र के अस्तित्व के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद होना चाहिए।

षड्यंत्र

षड्यंत्र शब्द का अर्थ है किसी समूह द्वारा कुछ गैरकानूनी और हानिकारक करने की गुप्त योजना या ऐसा कुछ जो गैरकानूनी न हो लेकिन गैरकानूनी तरीकों से किया जाए। स्टीफन के अनुसार, "जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए सहमत होते हैं, तो वे षड्यंत्र के दोषी होते हैं, चाहे अपराध किया गया हो या नहीं"।

साजिश रचने के लिए यह जरूरी नहीं है कि जो काम करने के लिए सहमति बनी है, वह ऐसा हो जिसे अगर किया जाए तो वह आपराधिक हो। साजिश में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर ऐसा काम करते हैं जो कानून के खिलाफ हो या दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत हो। अपराध करने के लिए महज एक सहमति ही आपराधिक साजिश बन जाती है।

षड्यंत्र के तत्व

1. दो या अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता होना चाहिए जिन पर षड्यंत्र रचने का आरोप है, और
2. करार निम्नलिखित कार्य करने या करवाने के लिए होना चाहिए:
 - (क) कोई गैरकानूनी कार्य, या
 - (ख) ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, किन्तु अवैध तरीकों से किया गया है।

मामले:

सम्राट बनाम शफी अहमद

यह माना गया कि यदि दो या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करने की साजिश रचते हैं, तो प्रत्येक को दूसरे का एजेंट माना जाता है, और एजेंट के कार्यों के लिए मुख्य व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रत्येक साजिशकर्ता अपने साथी साजिशकर्ता द्वारा उन दोनों के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

बद्री रॉय बनाम राज्य

यह माना गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 को जानबूझकर अधिनियमित किया गया है ताकि अपराध की प्रकृति के कारण सह-षड्यंत्रकारी के ऐसे कृत्यों या बयानों को षड्यंत्रकारियों के पूरे समूह के खिलाफ स्वीकार्य बनाया जा सके।

साजिश गुप्त रूप से रची जाती है और अंधेरे में अंजाम दी जाती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अभियोजन पक्ष के लिए एक अभियुक्त के प्रत्येक अलग-अलग कृत्य या बयान को अन्य अभियुक्तों के कृत्यों या बयानों से जोड़ना संभव नहीं है, जब तक कि उन सभी को एक साथ जोड़ने वाला कोई सामान्य बंधन न हो।

जब कोई षड्यंत्रकारी किसी साझा इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कोई साजिश रचने की कल्पना करता है, तो यह रेस गेस्टे का हिस्सा होता है। सभी षड्यंत्रकारियों का उस समय "साझा इरादा" होना चाहिए जब कोई बात कही गई, की गई या लिखी गई

यह माना जाता है कि साजिश के उद्देश्य को अंजाम देने के बाद अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयान प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि तब साझा इरादा मौजूद नहीं था। वास्तव में, नियम यह है कि पक्षों के साझा इरादे के अस्तित्व में न रहने के बाद अभियुक्त द्वारा किया गया इकबालिया बयान, सह-अभियुक्तों के खिलाफ धारा 10 लागू नहीं की जा सकती।

एक बार यह दिखा दिया जाए कि कोई व्यक्ति षड्यंत्र में शामिल नहीं है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान, चाहे वह बयान स्वीकारोक्ति हो या षड्यंत्र में उसकी संलिप्तता से संबंधित हो, इस धारा के दायरे में नहीं आएगा।

कोई व्यक्ति किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकता है

1. क्योंकि वह पढ़ाई छोड़ देता है, या
2. क्योंकि षड्यंत्र स्वयं समाप्त हो जाता है।

अन्यथा अप्रासंगिक तथ्य [धारा 11]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अनुसार, अन्यथा सुसंगत न होने वाले तथ्य सुसंगत हैं

1. यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से असंगत हों;
2. यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी विवाद्यक या प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या अस्तित्व को अत्यधिक संभाव्य या असंभाव्य बनाते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6-55 विभिन्न प्रकार के तथ्यों से संबंधित हैं और उन्हें प्रासंगिक बनाती हैं।

कुछ तथ्य जो अन्य धाराओं के अन्तर्गत प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें धारा 11 के अन्तर्गत प्रासंगिक बनाया गया है।

इसलिए, इस धारा को अवशिष्ट धारा माना जाता है। इसलिए, इस धारा का प्रभाव सुसंगत तथ्यों की श्रेणियों को स्पष्ट रूप से बढ़ाना है। एक तथ्य तभी सुसंगत होगा जब उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किए गए खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों।

इन खंडों को इतने व्यापक रूप से लिखा गया है कि पहली बार पढ़ने पर ऐसा लगता है कि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ताकिक प्रासंगिकता शामिल करते हैं, और प्रासंगिकता के संबंध में अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान निरर्थक हो जाते हैं। हालाँकि, यह सच नहीं है। व्याख्या के प्रयोजन के लिए, एक कानून को समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और कानून के प्रत्येक प्रावधान को कानून के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि अधिनियम में कोई प्रावधान या प्रावधानों का एक समूह है जो तथ्यों की प्रासंगिकता के किसी विशेष पहलू से निपटता है, धारा 11 ऐसी प्रासंगिकता पर लागू नहीं होती है। 'अन्यथा प्रासंगिक नहीं' का मतलब यह नहीं है कि इस तरह के तथ्य को अन्य धाराओं के तहत प्रासंगिक नहीं घोषित किया गया है, बल्कि यह कि ऐसा तथ्य किसी अन्य धारा के तहत नहीं आता है।

VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF

MIPS PRIVATE LIMITED

इस प्रकार, हमारे सामने तीन स्थितियाँ हैं:

1. किसी तथ्य को निम्नलिखित से संबंधित धाराओं में से किसी अन्य धारा के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया जाता है: तथ्यों की प्रासंगिकता, अर्थात् धारा 6-55। तथ्य उस धारा के अंतर्गत प्रासंगिक है।
2. किसी तथ्य को इन धाराओं की किसी अन्य धारा के अधीन सुसंगत नहीं घोषित किया जाता है। तथ्य सुसंगत नहीं है।
3. किसी तथ्य को न तो सुसंगत घोषित किया जाता है, न ही अप्रासंगिक। वह धारा 11 के अधीन सुसंगत हो सकता है, यदि उस धारा की अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं।

इसी तरह, पहली नज़र में, ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारा खंड (बी) के शब्दों के कारण हर तथ्य को प्रासंगिक बना देगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि “अत्यधिक संभावित या असंभाव्य” वाक्यांश की उदार व्याख्या करके इस धारा को अनुचित रूप से व्यापक दायरा न दिया जाए।

झबवाला बनाम सम्राट

यह माना गया कि "'अत्यधिक संभावित या असंभाव्य' शब्द यह संकेत देते हैं कि मुद्दे में तथ्यों और साबित किए जाने वाले संपार्श्विक तथ्यों के बीच संबंध तत्काल होना चाहिए ताकि दोनों का सह-अस्तित्व अत्यधिक संभावित हो सके। इस धारा के तहत प्रासंगिक तथ्य या तो (i) बाहर करते हैं, या (ii) साबित किए जाने वाले तथ्य के अस्तित्व को कम या ज्यादा स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।"

राजेंद्र सिंह बनाम रामगणित सिंह

यह देखा गया कि "अत्यधिक संभावित" शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, और साबित किए जाने वाले तथ्य को मुद्दे में तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से इतनी निकटता से जोड़ा जाना चाहिए कि न्यायालय उन्हें ध्यान में रखे बिना इसे निर्धारित करने की स्थिति में नहीं होगा। धारा 11 उन तथ्यों को स्वीकार्य घोषित करती है जो मुख्य तथ्य या मुद्दे में तथ्य को साबित करने या अस्वीकृत करने के लिए तार्किक रूप से प्रासंगिक हैं।

ऐसे संपार्श्विक तथ्य भी हो सकते हैं जिनका मुख्य तथ्य से कोई संबंध नहीं होता, सिवाय इसके कि वे दूसरे पक्ष द्वारा सिद्ध या बताए गए किसी भी भौतिक तथ्य को गलत साबित करने के लिए हों, अर्थात्, जब वे ऐसे हों कि तथ्य का अस्तित्व इतना "अत्यधिक असंभाव्य" हो जाए कि यह अनुमान लगाना उचित हो जाए कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था।

धारा 11 के प्रथम भाग के अनुप्रयोग के सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं:

(ए) अलीबाई: अलीबाई एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है अन्यत्र। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अभियुक्त यह दलील देता है कि घटना के समय वह कहीं और था। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष को अपने दायित्व का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करना होता है। एक बार जब अभियोजन पक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफल हो जाता है तो यह अभियुक्त पर निर्भर करता है कि वह अलीबाई का स्थान ले ले और इसे पूर्ण निश्चितता के साथ साबित करे।

चित्रण (ए)

प्रश्न यह है कि क्या क ने कलकत्ता में किसी निश्चित दिन कोई अपराध किया था। यह तथ्य कि जिस समय अपराध किया गया था, उस समय क उस स्थान से कुछ दूरी पर था, जिससे यह अत्यधिक असंभाव्य हो जाता है, यद्यपि असंभव नहीं, कि उसने अपराध किया है, सुसंगत है।

(ख) बच्चे की नाजायजता को दर्शाने के लिए पति की अनुमति न होना: चूंकि बच्चे की वैधता का तात्पर्य पति और पत्नी के बीच सहवास से है, इसलिए वैधता को अस्वीकृत करने के लिए पति को यह साबित करना होगा कि जन्म के संभावित समय के दौरान उसका अपनी पत्नी के साथ कोई सहवास नहीं था, क्योंकि वह विदेश में था।

(ग) हत्या के शिकार का जीवित रहना: यह तथ्य कि पीड़ित उस तारीख के बाद की तारीख को जीवित था, जिस तारीख को यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने उसकी हत्या की, धारा 11 की धारा (1) के अंतर्गत प्रासंगिक है, क्योंकि यह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप से असंगत है।

चित्रण

ए पर 10 अगस्त 2014 को बी की हत्या का आरोप है। ए यह साबित करने की पेशकश करता है कि बी 25 दिसंबर 2016 को जीवित था। चूंकि तथ्य ए के खिलाफ आरोप से असंगत है, यह धारा 11 के खंड (1) के तहत प्रासंगिक है।

(घ) किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना: जहां किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति यह दर्शित करना चाहता है कि अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था, उन परिस्थितियों में जिनमें अपराध उन दोनों द्वारा नहीं किया जा सकता था, वहां यह तथ्य धारा 11 की धारा (1) के अधीन सुसंगत है।

चित्रण

A पर B की हत्या का आरोप लगाया गया है। A यह साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है कि B की हत्या C ने की थी। यह साक्ष्य ग्राह्य है क्योंकि यह विवाद्यक तथ्य से असंगत है।

(ई) स्वयं को क्षति पहुंचाना: यह तथ्य कि पीड़ित ने आत्महत्या की, धारा 11 की धारा (1) के अंतर्गत प्रासंगिक है, यह दर्शाने के लिए कि अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या नहीं की गई थी।

चित्रण

A पर B की हत्या का आरोप लगाया गया है। A साबित करता है कि B ने आत्महत्या की थी। साक्ष्य स्वीकार्य है।

(च) दस्तावेज का निष्पादन न किया जाना: यह तथ्य कि कोई दस्तावेज अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, उस दस्तावेज के अधीन दायित्व के पालन के लिए वाद में एक सुसंगत तथ्य है, क्योंकि जब तक दस्तावेज निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक उसके अधीन कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता।

चित्रण

ए ने बी के खिलाफ कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने जमीन खरीदी है। बी ने साक्ष्य पेश किया है कि बिक्री का विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है। तथ्य सुसंगत है

अत्यधिक संभावित और असंभाव्य का प्रतिपादन

दूसरे अंग के अंतर्गत वह तथ्य आता है जो स्वयं या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यधिक संभाव्य या असंभाव्य बनाता है।

"अत्यधिक संभावित" शब्द संकेत देते हैं कि न्यायालय को मुद्दे में तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के संबंध में परिस्थितियों के निषेधों के अनुसार चलना होगा। यह यह भी संकेत देता है कि मुद्दे में तथ्यों और साबित किए जाने वाले संपार्श्विक तथ्यों के बीच संबंध तत्काल होना चाहिए ताकि दोनों का सह-अस्तित्व अत्यधिक संभावित हो। संपार्श्विक तथ्यों को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है यदि वे मुद्दे में तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक संभावित या असंभाव्य बनाते हैं।

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यह महज एक उचित संभावना नहीं है, बल्कि तथ्य मौजूद हों या नहीं, न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचाने में इसका बहुत महत्व है।

किसी संपार्श्विक तथ्य को स्वीकार्य बनाने के लिए, संपार्श्विक तथ्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और स्थापित होने पर इनसे विवादित मामले के संबंध में उचित अनुमान लगाया जाना चाहिए।

जब किसी व्यक्ति पर किसी विशेष दस्तावेज की जालसाजी करने का आरोप लगाया जाता है, तो यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी के पास कई दस्तावेज पाए गए थे, जो स्पष्टतः जाली थे या जालसाजी के उद्देश्य से तैयार रखे गए थे।

आर बनाम प्रभुदास

यह माना गया कि जालसाजी के आरोप में, यह साबित करने के लिए पेश किए गए सबूत कि अभियुक्त के पास पाए गए कई दस्तावेज स्पष्ट रूप से जाली हैं या जालसाजी के उद्देश्य से तैयार रखे गए हैं, स्वीकार्य नहीं हैं। यह धारा एक अपराध के सबूत को दूसरे असंबद्ध अपराध के अस्तित्व को साबित करने के लिए अस्वीकार्य बनाती है, भले ही वह ठोस हो।

चित्रण (बी)

प्रश्न यह है कि क्या A ने कोई अपराध किया है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराध A, B, C या D में से किसी एक द्वारा किया गया होगा, प्रत्येक तथ्य जो यह दर्शित करता है कि अपराध B, C या D में से किसी एक द्वारा किया जा सकता था, सुसंगत है।

VIRTUAL COLLEGE
A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

न्यायालय को राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाने वाले तथ्य

क्षतिपूर्ति का विवरण [धारा 12]

ऐसे मुकदमों में जिनमें हर्जाने का दावा किया जाता है, कोई भी तथ्य जो न्यायालय को हर्जाने की वह राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाएगा जो प्रदान की जानी चाहिए, प्रासंगिक है। धारा 12 के तहत, कोई भी तथ्य जो न्यायालय को हर्जाने की वह राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाएगा जो प्रदान की जानी चाहिए, हर्जाने के मुकदमों में प्रासंगिक होगा।

इस धारा के तहत न्यायालय अनुबंध या अपकृत्य पर आधारित किसी कार्रवाई में हर्जाने की राशि निर्धारित कर सकता है। हर्जाने के लिए किसी मुकदमे में हर्जाने की राशि मुद्दे में तथ्य होनी चाहिए। इस प्रकार यह धारा निर्धारित करती है कि हर्जाने को निर्धारित करने, यानी, बढ़ाने या घटाने के लिए साक्ष्य स्वीकार्य है। इस अधिनियम की धारा 55 उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनके तहत नागरिक मामलों में हर्जाने की राशि को प्रभावित करने के लिए चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है। इसी तरह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 भी अनुबंध में कार्यवाही में हर्जाने को नियंत्रित करने वाले नियम को निर्धारित करती है। विवाह के अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने के मुकदमे में, प्रतिवादी की स्थिति के बारे में साक्ष्य हर्जाने की राशि के निर्धारण के लिए दिया जा सकता है।

जब अधिकार या प्रथा प्रश्नगत हो तो प्रासंगिक तथ्य [धारा 13]

जहां प्रश्न किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व का है, वहां धारा 13 के अधीन निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं:

1. कोई भी लेन-देन जिसके द्वारा अधिकार या प्रथा का सृजन, दावा, संशोधन, मान्यता, दावा या खंडन किया गया हो, या जो उसके अस्तित्व से असंगत हो;
2. विशेष उदाहरण जिनमें अधिकार या प्रथा का दावा किया गया, उसे मान्यता दी गई या उसका प्रयोग किया गया या जिसमें उसके प्रयोग पर विवाद किया गया, दावा किया गया या उससे विचलन किया गया।

चित्रण

प्रश्न यह है कि क्या क को मत्स्य पालन का अधिकार है।

मत्स्य क्षेत्र को क के पूर्वजों को प्रदान करने वाला विलेख, क के पिता द्वारा मत्स्य क्षेत्र को बंधक रखना, क के पिता द्वारा मत्स्य क्षेत्र को बाद में दिया गया अनुदान, जो बंधक से मेल नहीं खाता, विशिष्ट उदाहरण जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था, या जिनमें क के पड़ोसियों द्वारा अधिकार के प्रयोग को रोका गया था, सुसंगत तथ्य हैं।

जब किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व के बारे में कोई प्रश्न विवादास्पद हो तो

खंड (क) और खंड (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य प्रासंगिक हैं: खंड (क) किसी लेनदेन को प्रासंगिक बनाता है, यदि वह लेनदेन है

1. जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या प्रथा का सृजन, दावा, संशोधन, मान्यता, दावा या खंडन किया गया, या
2. जो इसके अस्तित्व के साथ असंगत था।

खंड (ख) किसी दृष्टांत को प्रासंगिक बनाता है यदि वह विशेष दृष्टांत है

1. जिसमें अधिकार या प्रथा का दावा किया गया, उसे मान्यता दी गई या उसका प्रयोग किया गया, या 2. जिसमें उसके अस्तित्व पर विवाद किया गया, दावा किया गया या उससे विचलन किया गया

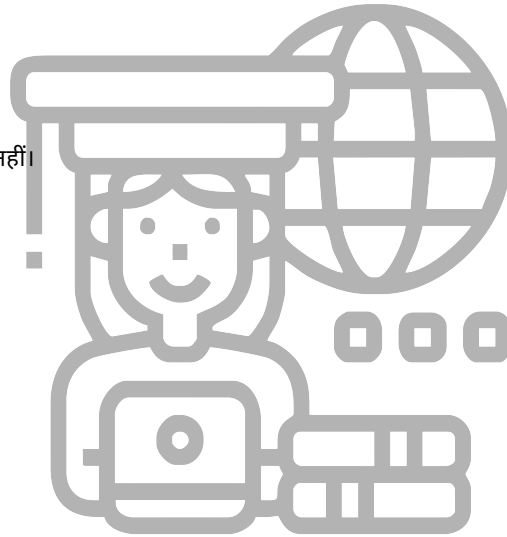
धारा 13 के तहत किसी अधिकार या प्रथा का अस्तित्व या गैर-अस्तित्व साबित किया जा सकता है

1. कोई लेनदेन; या

2. कोई विशेष उदाहरण,

जैसा कि इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

केवल विशेष उदाहरण ही प्रासंगिक हैं, कथन नहीं।



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

मन, शरीर या शारीरिक भावना की किसी भी स्थिति के अस्तित्व को दर्शाने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता

(धारा 14)

किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, दुर्भावना या सद्भावना जैसी किसी मनःस्थिति का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, अथवा शरीर या शारीरिक भावना की किसी स्थिति का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं, जब मन या शरीर या शारीरिक भावना की किसी ऐसी स्थिति का अस्तित्व विवाद्यक या सुसंगत हो।

स्पष्टीकरण

किसी प्रासंगिक मनःस्थिति के अस्तित्व को दर्शाने वाले प्रासंगिक तथ्य को यह दर्शाना चाहिए कि मनःस्थिति सामान्य रूप से नहीं, बल्कि प्रश्नगत विशेष मामले के संदर्भ में विद्यमान है।

किन्तु जहां किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण पर, अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का पूर्व में किया जाना इस धारा के अर्थ में सुसंगत है, वहां ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी।

धारा 14 किसी व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है।

1. मन की स्थिति,
2. शरीर की स्थिति, या
3. शारीरिक अनुभूति.

रेखांकन

(क) क पर चोरी का माल यह जानते हुए प्राप्त करने का आरोप है कि वह चोरी का है। यह साबित हो जाता है कि उसके कब्जे में एक विशेष चोरी की वस्तु थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चोरी की वस्तुएं भी थीं, सुसंगत है, क्योंकि इससे यह दर्शित होता है कि वह जानता था कि उसके कब्जे में मौजूद प्रत्येक वस्तु चोरी की है।

(ख) क पर किसी अन्य व्यक्ति को कपटपूर्वक एक कूटकृत सिक्का परिदत्त करने का अभियोग है, जिसके बारे में वह परिदत्त करते समय जानता था कि वह कूटकृत है। यह तथ्य सुसंगत है कि परिदत्त करते समय क के पास अनेक अन्य कूटकृत सिक्के थे।

यह तथ्य कि क को पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को एक नकली सिक्का असली बताकर देने का दोष सिद्ध किया जा चुका है, यह जानते हुए कि वह नकली है, सुसंगत है।

(ग) क, ख के कुत्ते द्वारा की गई क्षति के लिए ख पर मुकदमा करता है, जिसके बारे में ख जानता था कि वह खूंखार है। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले एक्स, वाई और जेड को काटा था, और उन्होंने बी से शिकायत की थी, सुसंगत हैं।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या विनिमय पत्र का स्वीकारकर्ता क जानता था कि आदाता का नाम काल्पनिक है। यह तथ्य कि क ने उसी प्रकार लिखे गए अन्य विनिमय पत्र स्वीकार कर लिए थे, इससे पहले कि वे आदाता द्वारा उसे भेजे जा सकते, यदि आदाता कोई वास्तविक व्यक्ति होता, सुसंगत है, क्योंकि इससे यह दर्शित होता है कि क जानता था कि आदाता कोई काल्पनिक व्यक्ति है।

(ई) ए पर बी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक लांछन प्रकाशित करके बी की मानहानि करने का आरोप है। ए द्वारा बी के संबंध में पहले किए गए प्रकाशनों का तथ्य, जो बी के प्रति ए की दुर्भावना को दर्शाता है, प्रासंगिक है, क्योंकि यह साबित करता है कि ए का इरादा प्रश्रुत विशेष प्रकाशन द्वारा बी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का था। यह तथ्य कि ए और बी के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं था, और ए ने शिकायत की गई बात को वैसे ही दोहराया जैसा उसने सुना था, प्रासंगिक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ए का बी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था।

(च) ए पर बी द्वारा यह वाद लाया गया है कि उसने कपटपूर्वक बी को यह व्यपदेशन दिया कि सी शोधक्षम है, जिससे बी को सी पर, जो दिवालिया था, विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे उसे हानि हुई। यह तथ्य कि जिस समय ए ने सी को शोधक्षम बताया, उस समय सी को उसके पड़ोसियों और उसके साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा शोधक्षम माना जाता था, सुसंगत है, क्योंकि यह दर्शित करता है कि ए ने सद्भावपूर्वक व्यपदेशन किया था।

(छ) क पर ख द्वारा उस कार्य की कीमत के लिए वाद लाया जाता है, जो ख ने एक मकान पर किया था, जिसका मालिक क है, ग के आदेश से, एक ठेकेदार क का बचाव यह है कि ख का अनुबंध ग के साथ था। यह तथ्य कि क ने प्रश्रुत कार्य के लिए ग को भुगतान किया, सुसंगत है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि क ने सद्भावपूर्वक प्रश्रुत कार्य का प्रबंधन ग को सौंप दिया था, जिससे ग अपनी ओर से ख के साथ अनुबंध करने की स्थिति में था, न कि क के अभिकर्ता के रूप में।

(ज) क पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन करने का आरोप है, जिसे उसने पाया था, और प्रश्न यह है कि क्या जब उसने उसे विनियोजित किया, तब उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता। यह तथ्य कि सम्पत्ति की हानि की सार्वजनिक सूचना उस स्थान पर दी गई थी, जहां क था, सुसंगत है, क्योंकि यह दर्शित करता है कि क को सद्भावपूर्वक विश्वास नहीं था कि सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता। यह तथ्य कि क जानता था, या उसके पास विश्वास करने का कारण था, कि सूचना सी द्वारा कपटपूर्वक दी गई थी, जिसने सम्पत्ति की हानि के बारे में सुना था और उस पर मिथ्या दावा प्रस्तुत करना चाहता था, सुसंगत है, क्योंकि यह दर्शित करता है कि क को सूचना का पता था, इससे क की सद्भावना अस्वीकृत नहीं होती।

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

(i) A पर B को मारने के इरादे से गोली चलाने का आरोप है। A के इरादे को दर्शाने के लिए, यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि A ने पहले भी B पर गोली चलाई थी।

(जे) ए पर बी को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र ए द्वारा बी को भेजे गए पत्रों से यह सिद्ध हो सकता है कि उन पत्रों का आशय स्पष्ट है।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी है। कथित क्रूरता से कुछ समय पहले या बाद में एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएँ, प्रासंगिक तथ्य हैं।

(I) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष के कारण हुई थी। उनकी बीमारी प्रासंगिक तथ्य हैं

(ड) प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की स्थिति उस समय क्या थी जब उसके जीवन का बीमा किया गया था। प्रश्रुत समय पर या उसके निकट अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में क द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं।

(ढ) क ने ख पर लापरवाही के लिए मुकदमा दायर किया कि उसने उसे एक ऐसी गाड़ी किराये पर दी जो उपयोग के लिए उचित नहीं थी, जिसके कारण क को चोट लगी। यह तथ्य कि ख का ध्यान अन्य अवसरों पर उस विशेष गाड़ी के दोष की ओर आकर्षित किया गया था, सुसंगत है। यह तथ्य कि ख उन गाड़ियों के बारे में आदतन लापरवाह था जिन्हें उसने किराये पर दिया था, अप्रासंगिक है।

(o) A पर जानबूझकर B को गोली मारकर उसकी हत्या करने का मुकदमा चलाया जाता है। यह तथ्य कि A ने अन्य अवसरों पर B पर गोली चलाई थी, B को गोली मारने के अपने इरादे को दर्शाने के कारण सुसंगत है। यह तथ्य कि A की आदत लोगों की हत्या करने के इरादे से उन पर गोली चलाने की थी, अप्रासंगिक है।

(पी) ए पर किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि उसने कुछ ऐसा कहा जो उस विशिष्ट अपराध को करने के इरादे को दर्शाता है, सुसंगत है। यह तथ्य कि उसने कुछ ऐसा कहा जो उस वर्ग का अपराध करने की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाता है, अप्रासंगिक है



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

इस प्रश्न से संबंधित तथ्य कि क्या कार्य आकस्मिक था या जानबूझकर किया गया था [धारा 15]

धारा 15 समान तथ्यों की एक श्रृंखला की प्रासंगिकता से संबंधित है। यह धारा धारा 14 में निर्धारित सामान्य नियम का अनुप्रयोग है। यह धारा 14 के अधिक सामान्य प्रावधानों से केवल एक कटौती है। इस धारा के तहत प्रासंगिक कार्यों की श्रृंखला एक प्रणाली को दर्शाती है।

जहां यह अनिश्चित है कि कोई कार्य दोषपूर्ण ज्ञान या इरादे से किया गया था, या यह निर्दोष था या आकस्मिक, इस बात का प्रमाण कि यह समान कार्यों की श्रृंखला में से एक था, यह धारणा उत्पन्न करता है कि प्रश्नगत कार्य और अन्य कार्य मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं, एक प्रणाली पर किए गए थे और इसलिए निर्दोष या आकस्मिक नहीं थे।

दृष्टांत (क) क पर

आरोप है कि उसने अपना घर जला दिया ताकि वह धन प्राप्त कर सके जिसके लिए उसका बीमा किया गया है। ये तथ्य कि लगातार कई घरों में रहा, जिनमें से प्रत्येक का उसने बीमा कराया था, जिनमें से प्रत्येक में आग लगी थी, और जिनमें से प्रत्येक में आग लगने के बाद क ने एक अलग बीमा कार्यालय से भुगतान प्राप्त किया, सुसंगत हैं, क्योंकि वे यह दर्शित करते हैं कि आग आकस्मिक नहीं थी।

उदाहरण (क) में यह तथ्य कि अग्नि के विरुद्ध बीमाकृत व्यक्ति के मकान विभिन्न अवसरों पर क्रमिक रूप से जल गए थे, यह साबित करने के लिए सुसंगत है कि ये घटनाएं आकस्मिक नहीं थीं, बल्कि किसी डिजाइन या योजना का हिस्सा थीं।

रेखांकन

(बी) ए को बी के देनदारों से पैसे प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ए का यह कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा प्राप्त की गई राशियों को दर्शाने वाली पुस्तक में प्रविष्टियाँ करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि किसी विशेष अवसर पर उसे उससे कम राशि प्राप्त हुई थी।

वास्तव में प्राप्त हुआ। प्रश्न यह है कि क्या यह झूठी प्रविष्टि आकस्मिक थी या जानबूझकर। तथ्य यह है कि उसी पुस्तक में ए द्वारा की गई अन्य प्रविष्टियाँ झूठी हैं, और यह कि झूठी प्रविष्टि प्रत्येक मामले में ए के पक्ष में है, सुसंगत हैं।

(ग) क पर ख को कपटपूर्वक एक नकली रुपया देने का अभियोग है। प्रश्न यह है कि क्या रुपये का परिदान आकस्मिक था। ये तथ्य कि ख को परिदान करने से ठीक पहले या उसके ठीक बाद क ने ग, घ और ङ को नकली रुपये दिए, सुसंगत हैं, क्योंकि उनसे यह दर्शित होता है कि ख को किया गया परिदान आकस्मिक नहीं था।

धारा 15 के तहत, धारा 14 की तरह ही, अभियोजन पक्ष आरोपित किए गए आपराधिक कृत्यों के अलावा अन्य आपराधिक कृत्यों के साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, बिना अभियुक्त द्वारा खंडन साक्ष्य के लिए विशिष्ट बचाव स्थापित करने की प्रतीक्षा किए। जब विचाराधीन कृत्य समान घटनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा होता है, तो व्यक्ति के इरादे या ज्ञान को साबित करने और दुर्घटना, गलती आदि के बचाव का खंडन करने के लिए समान तथ्यों का साक्ष्य स्वीकार्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकारोक्ति और इकबालिया बयान

प्रवेश को धारा 17 के तहत परिभाषित किया गया है ,

"स्वीकृति एक कथन है, मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित, जो किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के बारे में किसी भी अनुमान का सुझाव देता है, और जो किसी भी व्यक्ति द्वारा, और इसके बाद उल्लिखित परिस्थितियों में किया जाता है।"

परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि स्वीकृति मौखिक या लिखित रूप में दिया गया कथन है, जिसमें पेन ड्राइव, डिस्क, फ्लॉपी जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप भी शामिल हैं, जो किसी मुद्दे से संबंधित तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में या मुद्दे से संबंधित तथ्य के लिए प्रासंगिक निष्कर्ष सुझाते हैं।

जैसा कि पहले ही ऊपर परिभाषित किया जा चुका है, स्वीकृति ऐसे कथन हैं जो मुद्दे में तथ्यों या प्रासंगिक तथ्यों से अनुमानित रूप से उस पक्ष को दायित्व प्रदान करते हैं जिसने ऐसे कथन दिए हैं; किसी भी अधिकार की निंदा करने वाला कथन निर्णायक और स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई संदेह या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। यह चिखम कोटेश्वर राव बनाम सी सुब्बाराव (एआईआर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया था।

1981 एस.सी. 1542)। ये केवल प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं, निर्णायक प्रमाण नहीं।

स्वीकारोक्ति औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकती है। औपचारिक स्वीकारोक्ति को कार्यवाही के दौरान की गई न्यायिक स्वीकारोक्ति भी कहा जाता है, जबकि बाद वाली स्वीकारोक्ति जीवन के सामान्य क्रम के दौरान की जाती है। न्यायिक स्वीकारोक्ति अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकार्य है, (याचना के माध्यम से स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।) और वे मूल हैं। वे सबूत की छूट हैं, यानी, उन्हें साबित करने के लिए किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है जब तक कि अदालत इसके लिए न कहे।

नगीनदास रामदास बनाम दलपतराम इच्छाराम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि स्वीकारोक्ति सत्य और स्पष्ट है, तो वह स्वीकार किए गए तथ्यों का सर्वोत्तम प्रमाण है।

अनौपचारिक या आकस्मिक स्वीकृति के माध्यम से, मामले के तथ्यों के संबंध में प्रत्येक लिखित या मौखिक बयान (पक्ष द्वारा) को स्वीकृति के अंतर्गत लाया जाता है।

किसी व्यक्ति के आचरण को भी स्वीकृति के रूप में लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के एक मामले, मेयो बनाम मेयो में एक महिला ने अपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण तो कराया, लेकिन पिता या उसके पेशे का नाम दर्ज नहीं किया। अदालत ने कहा कि या तो वह नहीं जानती थी कि पिता कौन है या वह स्वीकार कर रही थी कि बच्चा नाजायज है। किसी भी मामले में, व्यभिचार की स्वीकृति और व्यभिचार का स्वीकार्य सबूत है।

स्वीकृति तथ्यों का कथन है, उन पर जोर देना या उनका खंडन करना। स्वीकृति दो प्रकार की होती है:

1. औपचारिक प्रवेश
2. साक्ष्य आधारित प्रवेश

औपचारिक स्वीकारोक्ति किसी मामले की कार्यवाही में की गई स्वीकारोक्ति होती है। इन्हें अक्सर दलीलों में किया जाता है। इन्हें पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं की दलीलों के ज़रिए भी किया जा सकता है।

औपचारिक स्वीकारोक्ति पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है और इसलिए, स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है

दूसरी ओर, साक्ष्य संबंधी स्वीकारोक्ति, मामला न्यायालय में लंबित रहने से पहले या उसके दौरान न्यायालय के बाहर की जाती है।

किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों के कथनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. स्वार्थपूर्ण कथन;
2. आत्म-हानिकारक बयान

एक आत्म-सेवा वाला बयान वह होता है, जो उसे देने वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। एक आत्म-हानिकारक बयान वह होता है, जो उसे देने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध होता है।

चूंकि ये स्वार्थी कथन निर्माता के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए ये विश्वसनीय नहीं होते।

इसलिए, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर वे प्रासंगिक नहीं हैं।

दूसरी ओर, आत्म-क्षति पहुंचाने वाले बयान, बयान देने वाले के हित के विरुद्ध होते हैं और इसलिए अदालतें उन पर आसानी से विश्वास कर लेती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध बयान तब तक नहीं देगा जब तक कि वह सत्य न हो।

चित्रण

ए और बी के बीच प्रश्न यह है कि कोई विलेख जाली है या नहीं। ए यह प्रतिज्ञान करता है कि वह असली है, बी यह प्रतिज्ञान करता है कि वह जाली है। ए बी का यह कथन साबित कर सकता है कि विलेख असली है, और बी ए का यह कथन साबित कर सकता है कि विलेख जाली है; किन्तु ए स्वयं यह कथन साबित नहीं कर सकता कि विलेख असली है, और न बी स्वयं यह कथन साबित कर सकता है कि विलेख जाली है।

इस प्रकार, स्वीकारोक्ति सर्वोत्तम साक्ष्य है, यद्यपि इसकी प्रासंगिकता धारा 18 से 20 में उल्लिखित शर्तों पर निर्भर करती है।

VIRTUAL COLLEGE
A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

प्रवेश कौन ले सकता है?

धारा 18, 19 और 20 में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो स्वीकृति दे सकते हैं। धारा 18 में वे व्यक्ति शामिल हैं जो मुकदमे या कार्यवाही से संबंधित हैं और धारा 19 और 20 में वे तीसरे व्यक्ति शामिल हैं जो स्वीकृति दे सकते हैं।

प्रवेश - कार्यवाही में शामिल पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा"

कार्यवाही में शामिल किसी पक्षकार द्वारा या किसी ऐसे पक्षकार के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए कथन, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अनुसार, उन्हें देने के लिए स्पष्टतः या निहित रूप से उसके द्वारा प्राधिकृत समझता है, स्वीकारोक्ति कहलाते हैं।

प्रतिनिधि चरित्र में वादकर्ता द्वारा वाद के पक्षकारों द्वारा, वाद करने वाले या वाद के अधीन प्रतिनिधि चरित्र में दिए गए कथन, स्वीकारोक्ति नहीं कहलाते, जब तक कि वे उस समय न दिए गए हों जब उन्हें करने वाला पक्ष उस चरित्र को धारण करता हो।

(1) विषय-वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका कार्यवाही की विषय-वस्तु में कोई स्वामित्व या धन संबंधी हित हो, और जो ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों के रूप में कथन करते हों,

(2) उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है- वे व्यक्ति जिनसे वाद के पक्षकारों ने वाद की विषय-वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न किया है, स्वीकृतियां हैं, यदि वे कथन करने वाले व्यक्तियों के हित के जारी रहने के दौरान की गई हों।

धारा 19 ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वीकारोक्ति जिनकी स्थिति वाद पक्ष के विरुद्ध साबित की जानी आवश्यक है।

ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथन, जिनकी स्थिति या दायित्व को वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां कहलाते हैं, यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा या उनके विरुद्ध लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में सुसंगत हों, और यदि वे उस समय दिए गए हों, जब उन्हें देने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति पर है या ऐसे दायित्व के अधीन है।

उदाहरण: A, B के लिए किराया वसूलने का कार्य करता है। B, A से किराया वसूल न करने के लिए A पर मुकदमा करता है। A इस बात से इनकार करता है कि C से B को किराया बकाया था। C द्वारा यह कथन कि उसे B को किराया देना है, एक स्वीकृति है, और A के विरुद्ध एक सुसंगत तथ्य है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 "वाद के पक्षकार द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकारोक्ति"

ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथन, जिन्हें वाद के पक्षकार ने विवादित मामले के संदर्भ में जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भित किया है, स्वीकारोक्ति कहलाते हैं।

उदाहरण: सवाल यह है कि क्या A द्वारा B को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है। A, B से कहता है, "जाओ और C से पूछो, वह इसके बारे में सब जानता है:।" C का कथन एक स्वीकारोक्ति है

कब स्वीकारोक्ति उन्हें करने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से साबित की जा सकती है (धारा 21)

स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा सबूत है क्योंकि वे हमेशा उन्हें बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं और जब तक वे उन्हें बनाने वाले व्यक्ति के हित के खिलाफ हैं तब तक प्रासंगिक हैं। लेकिन धारा 21 में अपवाद दिया गया है कि कब स्वीकारोक्ति को उन्हें बनाने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित किया जा सकता है

धारा 21 - स्वीकारोक्ति का सबूत, उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, तथा उनके द्वारा या उनकी ओर से।

स्वीकारोक्ति प्रासंगिक है और उसे देने वाले व्यक्ति या उसके विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है।

हित में प्रतिनिधि; लेकिन उन्हें उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित नहीं किया जा सकता है जो बनाता है

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, उनके द्वारा या उनके हित प्रतिनिधि द्वारा:-

(1) कोई स्वीकृति उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, जब वह ऐसी हो कि

प्रकृति में ऐसा है कि यदि इसे बनाने वाला व्यक्ति मर चुका हो, तो यह तीसरे व्यक्तियों के बीच प्रासंगिक होगा

धारा 32 के तहत।

(2) कोई स्वीकृति उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से सिद्ध की जा सकेगी, जब वह निम्नलिखित से मिलकर बनी हो-

मन या शरीर की किसी भी स्थिति के अस्तित्व का कथन, प्रासंगिक या मुद्दे में, पर या उसके बारे में बनाया गया

वह समय जब मन या शरीर की ऐसी स्थिति मौजूद थी, और उसके साथ आचरण भी था

असत्य असंभव.

(3) यदि कोई स्वीकृति अन्यथा सुसंगत हो तो उसे देने वाले व्यक्ति की ओर से स्वीकृति साबित की जा सकती है।

एक प्रवेश के रूप में.

रेखांकन

(क) ए और बी के बीच प्रश्न यह है कि क्या कोई निश्चित विलेख जाली है या नहीं, ए पुष्टि करता है कि यह

असली है, B कि यह जाली है।

ए, बी का यह कथन साबित कर सकता है कि विलेख असली है, और बी, ए का यह कथन साबित कर सकता है कि

विलेख जाली है; किन्तु क स्वयं यह कथन सिद्ध नहीं कर सकता कि विलेख असली है, न ही वह यह सिद्ध कर सकता है कि विलेख असली है।

बी स्वयं यह कथन सिद्ध करे कि विलेख जाली है।

(ख) एक जहाज के कप्तान ए पर उसे छोड़ देने का मुकदमा चलाया जाता है। यह दिखाने के लिए सबूत दिए जाते हैं कि जहाज

उसे उसके उचित पाठ्यक्रम से बाहर ले जाया गया था। ए अपने सामान्य पाठ्यक्रम में उसके द्वारा रखी गई एक पुस्तक पेश करता है

व्यवसाय जिसमें कथित रूप से उनके द्वारा दिन-प्रतिदिन किए गए अवलोकन दर्शाए गए हों, तथा

यह दर्शाता है कि जहाज को उसके उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। ए इन कथनों को साबित कर सकता है,

क्योंकि वे धारा 32 के तहत तीसरे पक्ष के बीच स्वीकार्य होंगे, यदि वह मर गया हो,

खंड (2)।

(c) A पर कलकत्ता में उसके द्वारा किए गए अपराध का आरोप है। वह A द्वारा लिखा गया एक पत्र प्रस्तुत करता है।

यह पत्र स्वयं लिखा गया था और उस दिन लाहौर में अंकित था तथा इस पर उस दिन का लाहौर डाक चिह्न अंकित था।

पत्र की तारीख में दिया गया कथन स्वीकार्य है, क्योंकि यदि ए की मृत्यु हो जाती, तो यह

धारा 32, खंड (2) के अंतर्गत स्वीकार्य।

(घ) ए पर चोरी का माल प्राप्त करने का आरोप है, जबकि वह जानता है कि वह चोरी का है। वह यह साबित करने की पेशकश करता है कि वह

उन्हें उनके मूल्य से कम पर बेचने से इनकार कर दिया। ए इन कथनों को साबित कर सकता है, हालांकि वे

स्वीकारोक्ति, क्योंकि वे मुद्दे में तथ्यों से प्रभावित आचरण की व्याख्या करते हैं।

(ई) ए पर धोखाधड़ी से अपने कब्जे में नकली सिक्का रखने का आरोप है, जिसके बारे में वह जानता था कि वह नकली है।

नकली। वह यह साबित करने की पेशकश करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से सिक्के की जांच करने के लिए कहा था

संदेह था कि यह नकली है या नहीं, और उस व्यक्ति ने इसकी जांच की और उसे बताया

वास्तविक था। ए पिछले पिछले उदाहरण में बताए गए कारणों से इन तथ्यों को साबित कर सकता है

इस स्पष्ट शर्त पर स्वीकारोक्ति की गई कि साक्ष्य

इसका कोई भाग नहीं दिया जाना है (धारा 23)

जहां स्वीकृति इस स्पष्ट या निहित समझौते के तहत की जाती है कि स्वीकृति का साक्ष्य किसी भी सिविल मामले में नहीं दिया जाएगा, जो कि स्वीकृति देने वाले पक्ष के खिलाफ संस्थित हो या लंबित हो, ऐसी स्वीकृति का साक्ष्य धारा 23 द्वारा वर्जित किया जाता है।

धारा 23 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि धारा 23 की कोई बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसे मामले में साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी, जिसके लिए उसे धारा 126 के तहत साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

इसी प्रकार, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 81, सुलह कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा दिए गए कुछ कथनों और स्वीकारोक्ति को सिविल मामलों और मध्यस्थता कार्यवाही में सिद्ध होने से बाहर रखती है।

प्रवेश की निर्णायकता

धारा 31 यह स्पष्ट करती है कि स्वीकृतियां स्वीकृत मामलों का निर्णायक सबूत नहीं हैं, लेकिन वे इसके बाद निहित प्रावधानों के तहत रोक के रूप में कार्य कर सकते हैं।



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

स्वीकारोक्ति की परिभाषा और प्रवेश के साथ भेद

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकारोक्ति शब्द को अंग्रेजी साक्ष्य अधिनियम के विपरीत परिभाषित नहीं किया गया है। स्वीकारोक्ति से संबंधित सभी प्रावधान स्वीकृति के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, जिसका अर्थ है कि विधानमंडल दोनों में अंतर करने का इरादा नहीं रखता था। धारा 17 के तहत स्वीकृति की परिभाषा स्वीकारोक्ति पर भी लागू होती है। स्वीकृति मौखिक या लिखित रूप में दिया गया एक कथन है जो मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी निष्कर्ष का सुझाव देता है। यदि कथन सिविल कार्यवाही में दिया जाता है तो यह स्वीकृति है और यदि यह आपराधिक मामलों में दिया जाता है तो यह स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार स्वीकारोक्ति किसी अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन है जो मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी निष्कर्ष का सुझाव देता है। यह अनुमान कि कथन से यह पता चलता है कि उसने अपराध किया है। स्वीकृति एक वंश है जबकि स्वीकारोक्ति इसकी एक प्रजाति है। एक व्यावहारिक प्रभाव यह होगा कि यदि कोई कथन जो स्वीकारोक्ति नहीं हो सकता है तो भी वह स्वीकारोक्ति हो सकता है।

सर स्टीफन ने स्वीकारोक्ति को “किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के आरोप में किया गया स्वीकारोक्ति के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें यह कहा गया है या सुझाव दिया गया है कि उसने वह अपराध किया है।” पकाला नारायण स्वामी वी. सम्राट में प्रिवी काउंसिल ने माना कि “किसी भी अपराध के संदर्भ में या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए जो आपराधिक कार्यवाही के साथ अपराध का उद्घाटन करता है। और गंभीर गलत काम की स्वीकृति, यहां तक कि निर्णायक रूप से दोषी ठहराने वाला तथ्य भी अपने आप में स्वीकारोक्ति नहीं है”। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा यह स्वीकार करना कि वह चाकू या बंदूक का मालिक है या उसके पास है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अपने आप में स्वीकारोक्ति नहीं है।

स्वीकारोक्ति।

इस परिभाषा को प्लाविंदर सिंह बनाम राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दी थी और कहा था कि सबसे पहले, स्वीकारोक्ति में अपराध को या तो शब्दों में या मुख्य रूप से उन सभी तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए जो अपराध का गठन करते हैं। दूसरे, एक मिश्रित बयान (जैसे दोषसिद्धि और दोषमुक्ति बयानों का मिश्रण) जिसमें हालांकि एक स्वीकारोक्ति तत्व शामिल है, फिर भी बरी होने की ओर ले जाया, वह स्वीकारोक्ति नहीं है। इसने माना कि एक स्वीकारोक्ति को या तो पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए या पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहिए। इसने माना कि एक स्वीकारोक्ति या स्वीकृति को या तो पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए या पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहिए। न्यायालय दोषसिद्धि बयान को स्वीकार नहीं कर सकता और दोषसिद्धि बयान को पूरी तरह से खारिज करके किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता।

हालांकि, निशि कांत झा बनाम राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्त द्वारा स्वीकार किए गए बयान के कुछ हिस्से पर भरोसा करना और दूसरे हिस्से की उपेक्षा करना कोई गलत नहीं है, अदालत ने अंग्रेजी कानून से इस अवधारणा को निकाला है और जब अदालत ने अपनी क्षमता में यह समझ लिया कि उसके पास स्वीकारोक्ति के दोषमुक्ति वाले हिस्से की उपेक्षा करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो वह ऐसे स्वीकारोक्ति के दोषमुक्ति वाले हिस्से पर भरोसा कर सकती है।

निष्कर्ष रूप से हम समझ सकते हैं कि स्वीकारोक्ति का अर्थ अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई भी कथन है जो उसके अपराध को साबित करता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दो शब्दावली के बीच बस एक पतली रेखा का अंतर है कि स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति से कोई अन्य भिन्न शब्द नहीं है क्योंकि स्वीकारोक्ति केवल अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति में ही समाप्त होती है।

स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति प्रतिष्ठित

स्वीकारोक्ति और स्वीकृति दोनों में कई सामान्य विशेषताएं हैं, जिसके कारण उनसे संबंधित सभी प्रावधान स्वीकृति के अंतर्गत आते हैं। दोनों मामलों में कथन मुद्दे में किसी तथ्य या किसी प्रासंगिक तथ्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। चूंकि स्वीकृति की परिभाषा स्वीकारोक्ति पर भी लागू होती है और स्वीकारोक्ति 'स्वीकृति' के विषय के अंतर्गत आती है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वीकृति एक व्यापक शब्द है और इसमें स्वीकारोक्ति शामिल है। इसलिए, सभी स्वीकारोक्ति स्वीकारोक्ति हैं, लेकिन सभी स्वीकारोक्ति स्वीकारोक्ति नहीं हैं। हालांकि, कुछ बिंदु हैं जो उन्हें अलग करते हैं। वे हैं

निम्नानुसार:

1. स्वीकारोक्ति वंश है, जबकि स्वीकारोक्ति प्रजाति है
2. धारा 17 जो स्वीकारोक्ति को परिभाषित करती है, वह स्वीकारोक्ति को भी परिभाषित करती है
3. अपराध के संदर्भ में अपराध की स्वीकृति स्वीकारोक्ति है और इसलिए हमेशा अपराध करने वाले के हित के विरुद्ध होती है। जबकि स्वीकारोक्ति भले ही अपराध करने वाले के हित के विरुद्ध हो, लेकिन धारा 21 के तहत अपवाद है कि अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से स्वीकारोक्ति करना अपराध करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध है।
4. साक्ष्य के रूप में स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता की शर्तें अलग-अलग हैं।
स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जानी चाहिए। प्रलोभन, धमकी या चांदे के तहत की गई स्वीकारोक्ति धारा 24 के तहत अप्रासंगिक है। इसी तरह पुलिस अधिकारी (धारा 25) के सामने की गई स्वीकारोक्ति और पुलिस हिरासत (धारा 26) के दौरान की गई स्वीकारोक्ति को आरोपी के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता। हालांकि, स्वीकारोक्ति इस तथ्य से परे प्रासंगिक है कि यह किसी व्यक्ति या किसी प्रलोभन आदि के सामने की गई है या नहीं।
5. स्वेच्छा से किए गए इकबालिया बयान हमेशा स्वीकार किए गए तथ्यों का निर्णायक सबूत होते हैं और आरोपी को उसी के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। जबकि, स्वीकारोक्ति स्वीकार किए गए तथ्य का निर्णायक सबूत नहीं है, बल्कि बनाने वाले के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करती है।
6. एक अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयान को सह अभियुक्त के खिलाफ माना जा सकता है बशर्ते कि दोनों पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया हो। हालांकि, एक प्रतिवादी द्वारा किए गए कबूलनामे को एक ही मुकदमे या कार्यवाही में सह प्रतिवादी के खिलाफ नहीं माना जा सकता क्योंकि वे दोनों एक ही मुकदमे या कार्यवाही में एक ही मुकदमे ... समान रुचि नहीं रखते।
7. वादे या गोपनीयता के तहत किया गया इकबालिया बयान साबित करने योग्य है।
गोपनीयता के वादे के तहत प्राप्त जानकारी प्रासंगिक नहीं है

मृत्युपूर्व घोषणा और इसकी प्रासंगिकता

साक्ष्य के नियमों के अनुसार, किसी भी मामले में तथ्यों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में आकर गवाही देनी चाहिए। धारा 32 में हालांकि एक अपवाद दिया गया है कि जहां मामले के तथ्यों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति धारा में वर्णित कारणों से न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने में असमर्थ है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसी जानकारी दी गई है, वह साक्ष्य दे सकता है और ऐसा साक्ष्य प्रासंगिक माना जाता है।

धारा 32: ऐसे मामले जिनमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का कथन प्रासंगिक है जो मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, आदि।

ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए लिखित या मौखिक कथन या प्रासंगिक तथ्य, जो मर चुका है, या जिसे ढूंढा नहीं जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति बिना किसी विलम्ब या व्यय के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय को अनुचित प्रतीत होती है, निम्नलिखित मामलों में स्वयं प्रासंगिक तथ्य हैं

- (1) जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।
- (2) अथवा कारोबार के दौरान किया गया हो।
- (3) या निर्माता के हित के विरुद्ध।
- (4) अथवा सार्वजनिक अधिकार या रीति या विषयों के संबंध में राय देता है।
- (5) अथवा रिश्ते के अस्तित्व से संबंधित है।
- (6) अथवा परिवार से संबंधित बसीयत या विलेख में किया गया हो।
- (7) अथवा धारा 13 के खंड (क) में उल्लिखित लेन-देन से संबंधित दस्तावेज में।
- (8) या कई व्यक्तियों द्वारा बनाया गया हो और प्रश्नगत मामले से संबंधित भावनाओं को व्यक्त करता हो

धारा 32(1) मृत्यु पूर्व घोषणा से संबंधित है:

इसमें कहा गया है, "जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस लेन-देन की किसी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, ऐसे मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।"

ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उन्हें देने वाला व्यक्ति, उस समय जब वे दिए गए थे, मृत्यु की आशंका में था या नहीं था, और कार्यवाही की प्रकृति चाहे जो भी हो, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।

धारा 32 काफी लंबी है। यह सुनी-सुनाई बातों के सबूतों को बाहर करने के नियम में अपवाद प्रदान करती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस व्यक्ति को मामले के तथ्यों की प्रत्यक्ष जानकारी है, लेकिन जो धारा में वर्णित कारणों से अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अदालत को दी जानी चाहिए। कानून सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य चाहता है।

मृत्युपूर्व घोषणा:

किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में कथन जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। ऐसे कथन उन सभी मामलों में प्रासंगिक होंगे जिनमें उसकी मृत्यु प्रश्रुत होती है। धारा आगे यह निर्धारित करती है कि ऐसे कथन प्रासंगिक हैं चाहे उन्हें देने वाला व्यक्ति मृत्यु की आशंका में था या नहीं था और चाहे उस मामले की प्रकृति कुछ भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्रुत होता है।

भारतीय कानून और अंग्रेजी कानून के बीच अंतर

1. अंग्रेजी कानून के तहत, यह कथन केवल हत्या या हत्या के आपराधिक मामलों में ही प्रासंगिक है (आर वी मीड)। लेकिन भारतीय कानून के तहत ऐसे कथन सभी मामलों में प्रासंगिक हैं, चाहे वे सिविल या आपराधिक मामले हों, जहां व्यक्ति की मौत का कारण सवाल के रूप में आता है।

2. अंग्रेजी कानून के तहत जो व्यक्ति बयान दे रहा है, उसे मृत्यु की आशंका होनी चाहिए। (आर वी जेनिंग्स)। भारतीय कानून के तहत मृत्यु की आशंका आवश्यक नहीं है।

किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस लेन-देन की किसी परिस्थिति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, बयान दिया जाता है, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्रुत हो। (पकालाल नारायण स्वामी बनाम सम्राट)

मृत्युपूर्व कथन की स्वीकार्यता

मृत्यु पूर्व कथन की अवधारणा “नेमो मोटुरे प्रेसुमंदुर मेटिरी” कहावत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करने की आवश्यकता यह है कि क) पीड़ित व्यक्ति किए गए अपराध का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है, ख) मरने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान केवल सत्य के अलावा कुछ नहीं होंगे। ये दो सिद्धांत हैं जिन पर मृत्यु पूर्व कथन की स्वीकार्यता की अवधारणा आधारित है।

मृत्यु पूर्व कथन” किसी व्यक्ति द्वारा उस समय दिया गया अंतिम कथन होता है जब उसे अपनी मृत्यु का गंभीर भय होता है और उसे अपने बचने की कोई संभावना नहीं होती। ऐसे समय में, यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति सच और केवल सच बोलेगा। आम तौर पर ऐसी स्थितियों में, न्यायालय ऐसे कथन को सत्यता का आंतरिक मूल्य देते हैं।

इसकी स्वीकार्यता की शर्तें

1. यह मौखिक या लिखित या यहां तक कि इशारों के रूप में भी हो सकता है (क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला)
2. यह पूर्ण होना चाहिए
3. मृत्यु की आशंका आवश्यक नहीं है (पकाळा नारायण स्वामी बनाम सम्राट)
4. बयान और मृत्यु के बीच समय की निकटता। मृत्यु और मृत्यु की परिस्थितियों के बीच निकट संबंध होना चाहिए। (शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य)

मृत्यु पूर्व कथन का साक्ष्यात्मक मूल्य

मृत्युपूर्व दिए गए बयान पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह

क) सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए (कुछ अपवादों के साथ), ख) उक्त बयान सटीक शब्दों में दर्ज किया जाना चाहिए, ग) तीसरे पक्ष से प्रभाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और इसलिए घोषणा उस घटना के तुरंत बाद की जानी चाहिए जो मृत्यु का कारण है,

घ) अपराधी की पहचान या मृत्यु के कारण के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बयान किसी के प्रभाव में आकर नहीं दिया जाना चाहिए या किसी को बड़ावा देकर या किसी को सिखाकर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई संदेह है, तो ऐसे मृत्युपूर्व बयान को पुष्ट करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है।

कुछ सामान्य पूर्वसर्ग: कुसा बनाम उड़ीसा राज्य, आर मणि बनाम तमिलनाडु राज्य, राज्य बनाम मोहन, लाल, रामबिहारी यादव बनाम राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विश्वसनीयता के कारण

1. ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि डीडी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए। यदि घोषणा सुसंगत, सुसंगत और विश्वसनीय है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वेच्छा से की गई है, तो इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, भले ही इसकी पुष्टि न हुई हो।

2. प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

3. मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए कमजोर सबूत नहीं है क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया। शपथ।

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्न और उत्तर के रूप में उचित रूप से दर्ज डीडी जितना संभव हो सके उतना विश्वसनीय है।

5. डीडी की सत्यता की जांच करने के लिए अदालत को मरते हुए व्यक्ति के अवलोकन के अवसर जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

6. यदि व्यक्ति स्वस्थ स्थिति में नहीं है तो डीडी दर्ज करने में देरी का कोई महत्व नहीं है।

अगर मृत्यु पूर्व बयान देने वाला व्यक्ति जीवित रहता है, तो यह मृत्यु पूर्व बयान नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक यह जांच में एक दस्तावेज के रूप में बना रहता है। अगर वह जीवित रहता है तो बयान को किसी अन्य सबूत की तरह पुष्ट किया जाना चाहिए।

पूर्व साक्ष्य की प्रासंगिकता [धारा 33]

किसी न्यायिक कार्यवाही में या उसे लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के किसी परवर्ती प्रक्रम में, उसमें वर्णित तथ्यों की सत्यता सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत है, जब साक्षी

1. मर चुका है या पाया नहीं जा सकता, या
2. साक्ष्य देने में असमर्थ है, या
3. प्रतिकूल पक्ष द्वारा उसे रास्ते से हटा दिया गया हो, या
4. यदि उसकी उपस्थिति बिना किसी विलम्ब या व्यय के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जिसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय अनुचित समझता है।

प्रदान किया,

1. यह कि कार्यवाही एक ही पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हुई थी;
 2. प्रथम कार्यवाही में प्रतिकूल पक्ष को विरोध करने का अधिकार और अवसर था।
- परीक्षण करना;
3. कि विवादित प्रश्न पहले प्रश्न की तरह दूसरे प्रश्न में भी मूलतः समान थे।
- कार्यवाही.

स्पष्टीकरण: इस धारा के अर्थ में आपराधिक विचारण या जांच अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी।

एक मामले में दिए गए साक्ष्य पर दूसरे मामले में विचार नहीं किया जा सकता। धारा 33 जो इस नियम का अपवाद है, उन मामलों पर लागू होती है जिनमें गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य:

1. न्यायिक कार्यवाही में, या
 2. किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो साक्ष्य लेने के लिए कानून द्वारा अधिकृत हो; तथा
 3. गवाह को साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता
- (क) बाद में उसी न्यायालय के समक्ष;
- (ख) किसी पश्चातवर्ती मामले में उसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष।

न्यायिक कार्यवाही में

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

यह सिद्धांत न्यायिक कार्यवाही में तथा विधि द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष लागू होता है।

न्यायिक कार्यवाही का अर्थ है कोई भी कार्यवाही जिसमें साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है। न्यायिक कार्यवाही में गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण में किसी विशेष तथ्य को साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होता है, जब गवाह नहीं मिल पाता या मर चुका होता है।

प्रोबेट आदि में कुछ निर्णयों की प्रासंगिकता,
अधिकार क्षेत्र [धारा 41]

प्रोबेट, वैवाहिक, नौवाहनविभाग या दिवालियापन अधिकारिता के प्रयोग में किसी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को कोई विधिक चरित्र प्रदान करता है या उससे छीनता है, या जो किसी व्यक्ति को ऐसे चरित्र का हकदार घोषित करता है, या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूर्णतः किसी विशिष्ट चीज का हकदार घोषित करता है, तब सुसंगत है, जब ऐसे किसी विधिक चरित्र का अस्तित्व, या ऐसे किसी व्यक्ति का किसी चीज पर हक सुसंगत हो।

सामान्य सिद्धांत यह है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे लेन-देन से बाध्य नहीं है जिसमें वह पक्ष नहीं है।

इसलिए, दो पक्षों के बीच का निर्णय (अंतर-पक्ष निर्णय) तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी होता है।

हालाँकि, निर्णय या तो हो सकता है

1. व्यक्तिगत निर्णय; या
2. रम में निर्णय ।

उपर्युक्त सामान्य नियम में, 'निर्णय' का अर्थ है ' व्यक्तिगत निर्णय'।

धारा ४१ एक विवेचनागत निर्णय को संदर्भित करती है।

व्यक्तिगत रूप से निर्णय

व्यक्तिगत निर्णय किसी अनुबंध, अपकृत्य अपराध के पक्षकारों के बीच का निर्णय होता है।

व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय पक्षों और उनके हित प्रतिनिधियों को बांधते हैं। ऐसा निर्णय धारा 41 के तहत किसी भी बाद के मामले में प्रासंगिक नहीं है।

कार्यवाही.

रम में निर्णय

रम में दिया गया निर्णय पूरी दुनिया के खिलाफ एक निर्णय होता है। टेलर ने ' रम में दिए गए निर्णय को एक न्यायाधिकरण द्वारा सुनाया गया निर्णय बताया है, जैसा कि इसका नाम वास्तव में किसी विशेष विषय-वस्तु की स्थिति को दर्शाता है, जिसके पास इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इस धारा के तहत रम में दिया गया निर्णय सिविल और साथ ही आपराधिक कार्यवाही में निर्णायक होता है। दोनों कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं। धारा 41 में उल्लिखित निर्णय, अर्थात्, प्रोबेट, वैवाहिक, एडमिरल्टी या दिवालियापन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालयों के निर्णय, रम में दिए गए निर्णय हैं।

रम में निर्णय उन मामलों का निर्णायक सबूत है जो दर्शाते हैं कि:

1. इसने कानूनी चरित्र प्रदान किया है; या
2. यह घोषित किया गया है कि उस व्यक्ति का ऐसा विधिक चरित्र है; या
3. उसने यह घोषित कर दिया है कि ऐसा विधिक चरित्र समाप्त हो गया है।

'कानूनी चरित्र' का अर्थ है 'कानूनी स्थिति'। यह कहना कि कोई व्यक्ति किसी फर्म का भागीदार नहीं है, उसका मतलब उसकी स्थिति या कानूनी चरित्र घोषित करना नहीं है; यह केवल उस विशेष फर्म के संबंध में उसकी स्थिति घोषित करना है।

प्रोबेट क्षेत्राधिकार

प्रोबेट क्षेत्राधिकार का अर्थ है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत वसीयतनामा और निर्वसीयत मामलों के संबंध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रोबेट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके न्यायालय मृतक व्यक्ति की वसीयत की वास्तविकता की घोषणा कर सकता है और उस व्यक्ति के पक्ष में प्रोबेट पत्र प्रदान कर सकता है जो मृतक की वसीयत के निष्पादन में उसकी ओर से कार्य कर सकता है। न्यायालय को अपनी संतुष्टि भी करनी चाहिए

आदेश पारित करने से पहले विवेक का पालन किया जाना चाहिए। प्रोबेट द्वारा दिया गया निर्णय एक ऐसा निर्णय होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का कानूनी चरित्र निर्धारित किया जाता है। प्रोबेट न्यायालय का निर्णय निर्णायक प्रमाण होता है और पूरी दुनिया पर बाध्यकारी होता है। प्रोबेट का अनुदान न्यायालय का आदेश होता है जिसे कोई अन्य न्यायालय थोखाधड़ी या अधिकार क्षेत्र की कमी के अलावा रद्द नहीं कर सकता।

वैवाहिक क्षेत्राधिकार

वैवाहिक अधिकार क्षेत्र वाला न्यायालय विभिन्न अधिनियमों के तहत वैवाहिक मामलों का निर्णय कर सकता है। इस अधिकार क्षेत्र के आधार पर न्यायालय किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति तय कर सकता है कि वह विवाहित है या विधवा या तलाकशुदा। वैवाहिक न्यायालय का निर्णय विमुद्रीकरण निर्णय होता है और धारा 41 के तहत स्वीकार्य होता है। विवाह कानून के तहत शून्यता और तलाक का निर्णय समान होता है।

प्रभाव।

एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार

एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा लेटर्स पैटेंट के तहत किया जाता है। एडमिरल्टी कोर्ट युद्ध के दावों से उत्पन्न मामलों का फैसला करता है। एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार की अदालत का निष्कर्ष एक विवेचनात्मक निर्णय है

दिवालियापन क्षेत्राधिकार

दिवालियापन क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत ने प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियापन अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अब दिवालियापन संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। दिवालियापन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके अदालत किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति निर्धारित कर सकती है कि वह दिवालिया है या उसे दिवालियापन से मुक्त कर दिया गया है या उसके दिवालियापन को रद्द कर दिया गया है। दिवालियापन अदालत का निर्णय एक ऐसा निर्णय होता है जो सभी के लिए बाध्यकारी होता है।

रेम में निर्णयों का प्रभाव

ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री निर्णायक सबूत है

1. कि कोई भी कानूनी चरित्र जो इसे प्रदान किया गया है, उस समय प्रोद्भूत हुआ जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री लागू हुई थी;
2. कि कोई विधिक चरित्र, जिसका वह किसी ऐसे व्यक्ति को हकदार घोषित करता है, उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुआ जब ऐसा निर्णय आदेश या डिक्री घोषित करती है कि वह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुआ है।
व्यक्ति;
3. कि कोई विधिक चरित्र, जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से छीन लेता है, उस समय समाप्त हो जाता है, जिस समय से ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री में यह घोषित किया जाता है कि वह समाप्त हो गया है या समाप्त हो जाना चाहिए; तथा
4. कि कोई भी चीज, जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करता है, उस समय उस व्यक्ति की संपत्ति थी, जब से ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री घोषित करती है कि वह उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए।

निर्णयों, आदेशों या निर्णयों की प्रासंगिकता और प्रभाव
धारा 41 में उल्लिखित आदेशों के अलावा अन्य आदेश [धारा 42]

धारा 41 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या डिक्री के अलावा अन्य निर्णय, आदेश या डिक्री प्रासंगिक हैं यदि वे जांच से संबंधित सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं। लेकिन ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री उस बात का निर्णायक सबूत नहीं हैं जो वे कहते हैं।

चित्रण

ए ने बी पर उसकी भूमि पर अतिक्रमण करने का मुकदमा दायर किया।

बी भूमि पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अस्तित्व का अभिकथन करता है, जिसे ए अस्वीकार करता है। उसी भूमि पर अतिचार के लिए सी के विरुद्ध ए द्वारा लाए गए वाद में प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, जिसमें सी ने उसी मार्ग के अधिकार के अस्तित्व का अभिकथन किया है, किन्तु यह निर्णायक सबूत नहीं है कि मार्ग का अधिकार अस्तित्व में है।

धारा 42 के तहत, धारा 41 में वर्णित निर्णयों, आदेशों या डिक्री के अलावा अन्य निर्णय प्रासंगिक हैं यदि वे सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं, चाहे वे एक ही पक्षकारों के बीच हों या नहीं। इस प्रकार, यह धारा सामान्य नियम का एक और अपवाद है कि किसी व्यक्ति को ऐसे निर्णय से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसका वह पक्षकार नहीं है। इस धारा के तहत, न तो अंतर-पक्षकार और न ही इन रेम निर्णय प्रासंगिक हैं, यदि वे जांच के तहत सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं।

'सार्वजनिक प्रकृति के मामले' शब्द का अर्थ है पूरी आबादी या कम से कम आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मामले। यह याद रखना चाहिए कि धारा 42 के तहत प्रासंगिक सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित निर्णय न तो रिस जुडिकाटा के रूप में काम करते हैं और न ही वे निर्णायक होते हैं।

रेम में निर्णय। उन्हें पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य एक ही पक्ष के बीच नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे केवल जांच से संबंधित सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं।

उल्लिखित निर्णयों के अलावा अन्य निर्णयों की प्रासंगिकता

सेकण्ड 40-42 में [सेकण्ड 43]

धारा 40, 41 और 42 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या डिक्री के अलावा अन्य निर्णय, आदेश या डिक्री अप्रासंगिक हैं, जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व एक मुद्दागत तथ्य न हो, या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रासंगिक न हो। धारा 43 में प्रावधान है कि यदि कोई निर्णय धारा 40, 41 या 42 के तहत प्रासंगिक नहीं है तो वह प्रासंगिक नहीं होगा।

रेखांकन

(क) ए और बी अलग-अलग सी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते हैं जो उन दोनों पर लागू होता है। सी, प्रत्येक मामले में कहता है कि मानहानि का आरोप लगाया गया मामला सच है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यह संभवतः प्रत्येक मामले में सच है, या दोनों में से किसी में भी नहीं। ए, सी के खिलाफ इस आधार पर हजनि के लिए डिक्री प्राप्त करता है कि सी अपना औचित्य साबित करने में विफल रहा। यह तथ्य बी और सी के बीच अप्रासंगिक है।

(बी) ए ने बी पर ए की पत्नी सी के साथ व्यभिचार का मुकदमा चलाया। बी ने इनकार किया कि सी ए की पत्नी है। लेकिन न्यायालय ने बी को व्यभिचार का दोषी ठहराया। इसके बाद, सी पर ए के जीवनकाल में बी से विवाह करने के लिए द्विविवाह का मुकदमा चलाया गया।

सी का कहना है कि वह कभी भी ए की पत्नी नहीं थी। बी के खिलाफ दिया गया फैसला सी के खिलाफ दिए गए फैसले से अलग है।

(ग) A, B पर गाय चुराने का अभियोग लगाता है। B को दोषी ठहराया जाता है। A, बाद में C पर उस गाय के लिए अभियोग लगाता है, जिसे B ने उसे दोषसिद्ध होने से पहले बेचा था। A और C के बीच, B के विरुद्ध निर्णय अप्रासंगिक है।

हालाँकि, ऐसा निर्णय प्रासंगिक हो सकता है यदि निर्णय का अस्तित्व स्वयं एक मुद्दागत तथ्य है या अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत प्रासंगिक है। यह धारा स्पष्ट रूप से उन मामलों पर विचार करती है जिनमें निर्णय स्वयं एक मुद्दागत तथ्य या एक प्रासंगिक तथ्य है। धारा 43 से जुड़े उदाहरण (घ) से (च) दर्शाते हैं कि निर्णय अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों (अर्थात् धारा 6 से 55) के तहत प्रासंगिक हो गए हैं।

रेखांकन

(घ) क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे के लिए डिक्री प्राप्त कर ली है। ख का पुत्र ग परिणामस्वरूप क की हत्या कर देता है। अपराध के लिए प्रेरणा दर्शाने के कारण निर्णय का अस्तित्व सुसंगत है।

(ई) ए पर चोरी का आरोप है और वह पहले भी चोरी के लिए दोषसिद्ध हो चुका है। पूर्व दोषसिद्धि विवाद्यक तथ्य के रूप में सुसंगत है।

(च) ए पर बी की हत्या का मुकदमा चलाया जाता है।

यह तथ्य कि बी ने ए पर मानहानि का मुकदमा चलाया और ए को दोषी ठहराया गया तथा दण्डित किया गया, धारा 8 के अन्तर्गत प्रासंगिक है क्योंकि यह विवाद्यक तथ्य के लिए उद्देश्य दर्शाता है।

इस प्रकार, यदि कोई निर्णय परस्पर-पक्षकार नहीं है, तो वह स्वीकार्य है, यदि उसका अस्तित्व एक सुसंगत तथ्य है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि धारा 40, 41 या 42 में उल्लिखित निर्णयों के अलावा अन्य निर्णय स्वयं अप्रासंगिक हैं। लक्ष्मण गोविंद बनाम अमृत गोपाल में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि परस्पर-पक्षकार नहीं होने वाला निर्णय उसमें वर्णित तथ्य को साबित करने के लिए अस्वीकार्य है। हालाँकि, धारा 43 में प्रावधान है कि निर्णय का अस्तित्व अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत प्रासंगिक हो सकता है, जिस स्थिति में, यह परस्पर-पक्षकार नहीं होने वाले मामले में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।

एक ऐसा निर्णय जो परस्पर विरोधी न हो, स्वीकार्य है यदि उसका अस्तित्व एक प्रासंगिक तथ्य है। इस प्रकार, सिविल कार्यवाही में निष्कर्ष बाद के अभियोजन पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, और आपराधिक मामले में निर्णय को सिविल मामले में बाध्यकारी के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा याचिका में आपराधिक न्यायालय का निर्णय प्रासंगिक नहीं होगा।

निर्णय प्राप्त करने में धोखाधड़ी या टकराव या निर्णय की कमी न्यायालय की योग्यता [धारा 44]

किसी वाद या अन्य कार्यवाही में कोई पक्षकार यह दर्शा सकता है कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 या 42 के अधीन सुसंगत है, जिसे प्रतिकूल पक्षकार द्वारा साबित कर दिया गया है,

1. किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया हो जो उसे देने के लिए सक्षम नहीं है, या
2. धोखाधड़ी या मिलीभगत से प्राप्त किया गया हो।

धारा 44, प्रतिपक्षी को यह प्रश्न उठाने का अवसर देती है कि पिछले वाद या कार्यवाही में प्रथम पक्ष द्वारा धारा 40, 41 और 42 के अन्तर्गत प्राप्त निर्णय धारा 44 में वर्णित आधारों पर आधारित है। धारा 44, धारा 43 पर लागू नहीं होती है।

उदाहरण के लिए: यद्यपि धारा 41 के अंतर्गत प्रोबेट जारी होने के बाद वसीयत की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है कि यह धोखाधड़ी या मिलीभगत से प्राप्त किया गया था।

न्यायालय की योग्यता का अर्थ है अधिकार क्षेत्र का अभाव। इस प्रकार यदि कोई न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बिना किसी मामले पर निर्णय देता है तो वह निरर्थक और अमान्य है। इसे प्रासंगिक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

VIRTUAL COLLEGE
A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए बयान जब प्रासंगिक विशेषज्ञों की राय और परिस्थितियाँ जब यह प्रासंगिक हो जाता है [धारा 45 -50]

साक्ष्य के कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि हर गवाह तथ्य का गवाह होता है, किसी राय का नहीं। इसका मतलब यह है कि अदालत के सामने पेश होने वाले हर व्यक्ति को अदालत को केवल वही तथ्य बताने होते हैं, जिनके बारे में उसे पहले से जानकारी है, न कि अपनी राय। उसे वही बताना होता है जो उसने किसी तथ्य के बारे में देखा या सुना या महसूस किया है। अपनी मान्यताओं को नहीं, जो अप्रासंगिक हैं। राय बनाना न्यायिक कार्य है, गवाह का नहीं।

अपवाद: धारा 45 से 50 में इस बारे में अपवाद निर्धारित किए गए हैं कि कब तीसरे व्यक्ति की राय प्रासंगिक हो जाती है।

धारा 45: विशेषज्ञों की राय।

इस अनुभाग में यह प्रावधान है कि, “जब न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान या कला के किसी प्रश्न पर, या हस्तलिपि या अंगुलियों के निशान की पहचान के विषय में कोई राय बनानी हो, तो ऐसे विदेशी विधि, विज्ञान या कला में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों की उस प्रश्न पर दी गई राय सुसंगत तथ्य होती है। ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता है।

रेखांकन

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष के कारण हुई थी। जिस विष से क की मृत्यु हुई मानी जाती है, उसके द्वारा उत्पन्न लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क, किसी निश्चित कार्य को करते समय, मानसिक विकृति के कारण, उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या वह ऐसा कार्य कर रहा था जो या तो गलत था या विधि के प्रतिकूल था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षण सामान्यतः मानसिक विकृति दर्शाते हैं, और क्या ऐसी मानसिक विकृति सामान्यतः व्यक्तियों को कार्यों की प्रकृति को जानने में असमर्थ बना देती है।

जो वे करते हैं, या यह जानते हुए कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है या कानून के विपरीत है, प्रासंगिक हैं।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखा गया था। एक अन्य दस्तावेज पेश किया जाता है जिसके बारे में यह साबित या स्वीकार किया जाता है कि वह क द्वारा लिखा गया था। इस प्रश्न पर कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे या भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा, विशेषज्ञों की राय सुसंगत है।

न्यायालयों में विशेषज्ञों की राय लेने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। इसका कारण स्पष्ट है कि ऐसे कई मामले हैं जिनके लिए तकनीकी और पेशेवर ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो न्यायालय के पास नहीं हो सकता है और उसे ऐसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है।

उदाहरण के लिए, न्यायालय को हवाई दुर्घटना के कारण, जहाज़ के मलबे का कारण, मृत्यु का कारण, विष का प्रभाव, कला की प्रकृति, वस्तुओं का मूल्य, शब्दों के अर्थ और विदेशी कानून आदि के बारे में जानना होता है।

विशेषज्ञ कौन है: IEA यह परिभाषित नहीं करता कि विशेषज्ञ कौन है, बस यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो विशेष रूप से कुशल है यानी जिसने कोई विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, उसे विशेषज्ञ कहा जाएगा। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के एक स्वर्णकार को सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ माना गया है (अब्दुल रहमान बनाम मैसूर राज्य)।

जब विशेषज्ञों की राय प्रासंगिक हो जाती है: निम्नलिखित मामलों में विशेषज्ञों की राय प्रासंगिक होती है प्रासंगिक बनें:

1. विदेशी कानून
2. विज्ञान के मामले
3. कला का प्रश्न
4. हस्तलिपि की पहचान
5. अंगुलियों के निशान

1. विदेशी कानून : विदेशी कानून का मतलब है जो भारत में लागू नहीं है। न्यायालय उनसे परिचित नहीं हो सकते हैं। जब न्यायालय को विदेशी कानून के किसी बिंदु पर कोई राय बनानी होती है, तो ऐसे कानून के विशेषज्ञ व्यक्तियों की राय प्रासंगिक हो जाती है और न्यायालय उनकी राय ले सकता है। भारत में लागू कानून विदेशी कानून नहीं है। उदाहरण के लिए शिया कानून भारत में विदेशी कानून नहीं है (अजीज भानु बनाम मोहम्मद इब्राहिम हुसैन)। विदेशी कानून का विशेषज्ञ कौन है? उसे कानून का व्यवसायी होना चाहिए (ब्रिस्टो बनाम सेक्वेविले)

VIRTUAL COLLEGE

2. कला के विज्ञान के मामले: विज्ञान या कला में वे सभी विषय शामिल हैं जिन पर राय बनाने के लिए विशेष ज्ञान का कोर्स आवश्यक है। विज्ञान और कला शब्दों का व्यापक अर्थ लगाया जाता है। विज्ञान शब्द केवल भौतिक या जैविक विज्ञान और ऐसे क्षेत्र तक सीमित नहीं है जिसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। कला शब्द में केवल ललित कलाएँ ही शामिल नहीं हैं।

विज्ञान या कला के किसी विशेष मामले को निर्धारित करने के लिए यह परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या एक सामान्य व्यक्ति इसका उत्तर दे सकता है या इसके लिए ऐसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ की आवश्यकता है।

3. हस्तलिपि और अंगुलियों के निशान की पहचान : जब न्यायालय को किसी व्यक्ति की हस्तलिपि या किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान की पहचान तय करनी होती है, तो वह ऐसे मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों की राय ले सकता है। पेशेवर ज्ञान वाले व्यक्तियों के अलावा, यहां तक कि जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की हस्तलिपि से बरी किया जाता है, उसकी राय भी प्रासंगिक होती है (आर वी सिल्वरलॉक)।

जहाँ तक ऐसी राय की विश्वसनीयता का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि वे अपने आप में निर्णायक नहीं हैं। उन्हें स्पष्ट या प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। होवर, फिंगर इंप्रेशन विशेषज्ञ की राय को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ऐसी राय सटीक विज्ञान और शुद्धता पर आधारित होती है। क्योंकि

किसी भी व्यक्ति के अंगुलियों के निशान उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहते हैं तथा किसी भी दो व्यक्तियों के अंगुलियों के निशानों का पैटर्न एक जैसा नहीं पाया गया है।

4. अन्य तकनीकी मामले: विशेषज्ञों की राय केवल ऊपर उल्लिखित मामलों पर ही प्रासंगिक है।

विशेषज्ञों की राय का साक्षात्कर्म मूल्य

विशेषज्ञ का साक्ष्य निर्णायक नहीं है। विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश के लिए बाध्यकारी नहीं है और इसीलिए न्यायालय ऐसी राय पर भरोसा करने से इनकार कर सकता है। यह आवश्यक है कि मामले के संबंध में कुछ पुष्टि करने वाले या सहायक साक्ष्य हों। यह दिखाना आवश्यक है कि विशेषज्ञ के पास कुछ विशेष ज्ञान और अनुभव है और वह राय बनाने में सक्षम है।

किसी विशेषज्ञ की विश्वसनीयता और योग्यता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि राय के समर्थन में तर्क विश्वसनीय हों तो राय स्वीकार्य और प्रासंगिक हो जाती है।

धारा 45ए - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय- यह धारा यह प्रावधान करती है कि परीक्षक की राय तब प्रासंगिक होती है जब न्यायालय को किसी कंप्यूटर संसाधन या डिजिटल रूप में प्रेषित या संग्रहीत मामले या सूचना पर राय बनानी होती है।

धारा 46 - विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य - यह धारा यह प्रावधान करती है कि तथ्य प्रासंगिक हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं या उनसे असंगत हैं, जब ऐसी राय प्रासंगिक हो।

धारा 47 - हस्तलेख के बारे में राय - संबंधित व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय इस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। जब न्यायालय को इस बारे में राय बनानी हो कि दस्तावेज़ किसके द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति की राय सुसंगत है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए दो बातें किसी भी संदेह से परे साबित होनी चाहिए - 1) नमूना या स्वीकृत हस्तलेख की वास्तविकता संदिग्ध व्यक्ति के रूप में स्थापित की जानी चाहिए। 2) हस्तलेख विशेषज्ञ एक सक्षम, विश्वसनीय गवाह है जिसका साक्ष्य विश्वास पैदा करता है।

धारा 47ए - जब प्रासंगिक हो तो डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय - जब न्यायालय को डिजिटल हस्ताक्षर पर राय बनानी हो तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की राय स्वीकार्य होगी।

धारा 48 - अधिकार या प्रथा के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है - ऐसे व्यक्तियों की राय सुसंगत है, जिन्हें किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व के बारे में जानने की संभावना है।

धारा 49 - प्रथाओं, किरायेदारों आदि के बारे में राय प्रासंगिक है - किसी भी पुरुष या परिवार के प्रथाओं और किरायेदारों के बारे में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय,

किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था के संविधान और सरकार, या विशेष जिलों में या लोगों के विशेष वर्गों द्वारा प्रयुक्त शब्दों या पदों के अर्थ प्रासंगिक हैं।

धारा 50 - रिश्ते पर राय कब सुसंगत है - एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से या परिवार के सदस्य के रूप में रिश्ते के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत है।

धारा 51 - राय के आधार सुसंगत हैं - यह धारा यह प्रावधान करती है कि जिन आधारों पर जीवित व्यक्ति की राय आधारित है वे भी सुसंगत हैं।

हस्तलेखन और उंगली के निशान साबित करने के तरीके

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 47 'हस्तलेखन के संबंध में राय, जब प्रासंगिक हो' से संबंधित है।

जब न्यायालय को इस बारे में राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसके द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था या नहीं, सुसंगत तथ्य है।

किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जब उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, या जब उसने स्वयं द्वारा या उसके प्राधिकार से लिखे गए और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेजों के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखे जाने का तात्पर्य वाले दस्तावेज प्राप्त किए हों, या जब, सामान्य कारोबार के अनुक्रम में, उस व्यक्ति द्वारा लिखे जाने का तात्पर्य वाले दस्तावेज अभ्यासतः प्रस्तुत किए गए हों।

उदाहरण प्रश्न यह है कि क्या दिया गया पत्र लंदन के व्यापारी ए के हामीदारी में है। बी कलकत्ता का व्यापारी है, जिसने ए को संबोधित पत्र लिखे हैं और उसे ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जो उसके द्वारा लिखे जाने का दावा करते हैं। सी बी का क्लर्क है, जिसका कर्तव्य बी के पत्र-व्यवहार की जांच करना और उसे फाइल करना था। डी बी का दलाल है, जिसे बी आमतौर पर द्वारा लिखे जाने का दावा करने वाले पत्रों को उस पर उसे सलाह देने के उद्देश्य से प्रस्तुत करता था। इस प्रश्न पर कि क्या पत्र ए के हस्तलेख में है, बी, सी और डी की राय सुसंगत है, यद्यपि न तो बी, सी और न ही डी ने ए को कभी लिखते देखा।

हस्तलेख प्रमाणित करने के तरीके

धारा 45 और 47 में हस्तलेख को प्रमाणित करने के निम्नलिखित तरीके बताए गए हैं:

1. लेखक द्वारा स्वयं
2. विशेषज्ञ की राय से
3. उस व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा जो प्रश्नगत व्यक्ति की लिखावट से परिचित हो
4. धारा 73 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा स्वयं प्रश्नगत हस्तलेख को सिद्ध हस्तलेख से तुलना करके हस्तलेखन.



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

चरित्र प्रमाण[धारा 52-55]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 52-55 चरित्र साक्ष्य से संबंधित हैं।

इस प्रकार चरित्र में प्रतिष्ठा और स्वभाव दोनों शामिल हैं। इन धाराओं के अंत में दिया गया स्पष्टीकरण, जो उनमें समान है, यह बताता है कि इन सभी धाराओं के प्रयोजन के लिए चरित्र में प्रतिष्ठा और स्वभाव दोनों शामिल हैं।

'प्रतिष्ठा' का अर्थ है कि दूसरे लोग किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, तथा इसका निर्धारण जनमत द्वारा होता है।

'स्वभाव' मन की पूरी संरचना और बनावट का सम्मान करता है। यह क्रियाओं के स्रोतों और उद्देश्यों को समझता है। 'स्वभाव' क्षणिक क्रिया को प्रभावित करता है, 'स्वभाव' स्थायी और स्थिर होता है; 'स्वभाव' क्षणिक और अस्थिर हो सकता है। एक अच्छे स्वभाव के साथ एक बुरे स्वभाव का होना और इसके विपरीत होना संभव है और अक्सर होता है।

स्पष्टीकरण में आगे यह भी कहा गया है कि धारा 54 में दिए गए प्रावधान के सिवाय, केवल सामान्य ख्याति और सामान्य प्रवृत्ति का साक्ष्य दिया जा सकता है, न कि उन विशिष्ट कार्यों का, जिनसे ख्याति या प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई हो।

इस प्रकार, प्रतिष्ठा या स्वभाव का साक्ष्य उन विशेष लक्षणों तक ही सीमित होना चाहिए, जिनके बारे में मुद्दा चिंतित है। इसलिए, जहां मुद्दा क्रूरता का है, वहां ईमानदारी के लिए किसी पक्ष की प्रतिष्ठा का सबूत पेश करना बेकार होगा, या जहां मुद्दा धोखाधड़ी का है, वहां उसके सौम्य स्वभाव का सबूत पेश करना बेकार होगा। धोखाधड़ी के मुद्दे पर ईमानदारी की प्रतिष्ठा प्रासंगिक होगी, और क्रूरता के मुद्दे पर दयालु स्वभाव।

चरित्र सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में प्रासंगिक नहीं है। हालांकि, जहाँ चरित्र स्वयं एक मुद्दा या प्रासंगिक तथ्य है, वहाँ चरित्र का साक्ष्य स्वीकार्य है। साथ ही, कुछ अन्य असाधारण मामलों में चरित्र साक्ष्य स्वीकार्य हो सकता है।

VIRTUAL COLLEGE
A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य

किसी पक्ष के चरित्र के आधार पर मामलों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. वे मामले जिनमें पक्षकार का चरित्र प्रश्नगत है
2. वे मामले जिनमें पक्षकार का चरित्र मुद्दागत नहीं है।

जब किसी पक्ष के सामान्य चरित्र पर प्रश्न हो तो स्वाभाविक रूप से उस पक्ष का चरित्र

प्रासंगिक। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, मानहानि के मुकदमे में जहां कथित मानहानिकारक कथन वादी के चरित्र के बारे में है, वादी का चरित्र मुद्दा है और इसलिए, वादी के चरित्र का साक्ष्य प्रासंगिक है।

लेकिन जहां पक्षकार का सामान्य चरित्र विवादक नहीं है, लेकिन किसी अन्य मुद्दे के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है, एक सामान्य नियम के रूप में, सिविल मामलों में वाद के किसी भी पक्षकार के चरित्र का साक्ष्य बहिष्कृत किया जाता है। इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 घोषित करती है कि सिविल कार्यवाही में, किसी पक्षकार के चरित्र का साक्ष्य उस पर आरोपित आचरण को साबित करने के लिए अप्रासंगिक है, सिवाय इसके कि ऐसा चरित्र अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है।

यह सामान्य अपवाद सार्वजनिक नीति और निष्पक्षता के आधार पर है, क्योंकि इसके स्वीकार किए जाने से पक्षकारों को आश्चर्य और पूर्वाग्रह होगा, क्योंकि इससे उनका पूरा करियर प्रभावित होगा, जिसके बचाव के लिए वे संभवतः अदालत में नहीं आ सकते।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालतों का काम मामलों की सुनवाई करना है, न कि उन्हें न्याय दिलाना।

एक बहुत बुरे आदमी का उद्देश्य बहुत नेक हो सकता है।

धारा 52 मुकदमे के पक्षकारों के चरित्र को संदर्भित करती है, गवाहों के चरित्र को नहीं। इसलिए, गवाह का चरित्र धारा 155 के तहत गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

इसके अलावा, धारा 52 केवल तभी चरित्र के साक्ष्य को दिए जाने से बाहर रखती है जब ऐसे साक्ष्य का उद्देश्य पक्षकार पर आरोपित किसी आचरण को संभावित या असंभाव्य बनाना हो। लेकिन जब ऐसे तथ्य साबित हो जाते हैं जो चरित्र दिखाने के उद्देश्य से अलग तरीके से प्रासंगिक हैं, तो वे तथ्य मुकदमे के पक्षकार के चरित्र को सुरक्षित रखने वाले निष्कर्ष निकालते हैं, ऐसे तथ्य न केवल उन तथ्यों को साबित करने के लिए प्रासंगिक हो जाते हैं जिनके लिए उन्हें सीधे तौर पर पेश किया गया है, बल्कि उन तथ्यों के लिए भी प्रासंगिक हो जाते हैं जिनके लिए उन्हें सीधे तौर पर पेश किया गया है।

संबंधित पक्ष का चरित्र दर्शाने के उद्देश्य से।

हालाँकि, धारा 55, धारा 52 के तहत इस नियम का अपवाद है। वादी को दिए जाने वाले हर्जाने की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए वादी के चरित्र का साक्ष्य सिविल कार्यवाही में स्वीकार्य है।

सिविल मामलों में, वादी के अच्छे चरित्र को माना जाता है। इसलिए, नुकसान की वृद्धि में वादी के अच्छे चरित्र को साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन नुकसान की कमी में बुरा चरित्र स्वीकार्य है, बशर्ते कि अगर दलील दी जाए तो यह औचित्य नहीं होगा। प्रतिष्ठा पर विचार करने के पक्ष में तर्क यह है कि किसी व्यक्ति को उस नुकसान के लिए भुगतान नहीं किया जाना चाहिए जो उसके पास कभी था ही नहीं।

आपराधिक मामलों में चरित्र साक्ष्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 53 और 54 आपराधिक मामलों में चरित्र साक्ष्य की प्रासंगिकता को कवर करती हैं।

धारा 53 में प्रावधान है कि आपराधिक कार्यवाही में यह तथ्य प्रासंगिक है कि अभियुक्त व्यक्ति का चरित्र अच्छा है।

धारा 54 के अनुसार आपराधिक कार्यवाही में यह तथ्य प्रासंगिक नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति का चरित्र खराब है। लेकिन यदि बचाव पक्ष ने यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया है कि उसका चरित्र अच्छा है, तो उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य प्रासंगिक हो जाता है।

धारा 54 के स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान है कि अभियुक्त का बुरा चरित्र सदैव उन मामलों में सुसंगत होता है जिनमें उसका बुरा चरित्र स्वयं एक विवाद्यक तथ्य हो।

धारा 54 के स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि पूर्व दोषसिद्धि बुरे चरित्र के साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक है।

आपराधिक साक्ष्य के बुनियादी नियमों में से एक यह है कि अभियुक्त का अपराध सभी उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए। अभियुक्त का अच्छा चरित्र होना न्यायालय के मन में अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के बारे में संदेह पैदा करता है। इसलिए, आपराधिक कार्यवाही में, यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है, प्रासंगिक है। अभियुक्त के अच्छे चरित्र को साबित करने के लिए, जो साबित किया जाना चाहिए वह समुदाय में उसकी सामान्य प्रतिष्ठा है, न कि उसके द्वारा किए गए विशेष अच्छे कार्य।

आपराधिक मामलों में आरोपी का पिछला बुरा चरित्र अप्रासंगिक है। न्यायालय को उसके सामान्य चरित्र से कोई सरोकार नहीं है। जो साबित करना है, वह उस विशेष मामले में आरोप है। अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने के लिए आरोपी के बुरे चरित्र का सहारा नहीं ले सकता।

अन्यथा यह न्यायालय के मन में पूर्वाग्रह पैदा करेगा और ऐसी संभावना है कि न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण हो सकता है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उसने विचाराधीन अपराध किया है। इसलिए, यह निष्पक्ष सुनवाई के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करेगा जिसका अभियुक्त हकदार है।

अपवाद:

1. यदि यह साक्ष्य दिया गया है कि उसका चरित्र अच्छा है, तो पूर्व में किया गया बुरा चरित्र उत्तर में प्रासंगिक है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के बुरे चरित्र को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

2. बुरे चरित्र का साक्ष्य उन मामलों में साबित किया जा सकता है जिनमें बुरे चरित्र का प्रश्न हो।

3. अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी, सिवाय इसके कि वह पूर्व दोषसिद्धि के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अधीन अधिक दण्ड के योग्य हो, या जब तक अच्छे चरित्र का साक्ष्य न दिया जाए, ऐसी स्थिति में यह तथ्य कि अभियुक्त को पहले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है, बुरे चरित्र के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं

[धारा 56-58]

जैसा कि हम अपनी कक्षाओं में चर्चा कर रहे थे कि हर मामले में, चाहे वह आपराधिक हो या सिविल, मुद्दे में तथ्य और मुद्दे में तथ्य से संबंधित तथ्यों को उन पक्षों द्वारा साबित किया जाना चाहिए जो उन्हें सत्य और अस्तित्व में होने का दावा करते हैं। सवाल यह है कि क्या सभी तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता है या इसके लिए कोई अपवाद है।

धारा 56, 57 और 58 उन तथ्यों से संबंधित हैं जिन्हें तथ्यों से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस प्रकार हैं:

धारा 56: न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है

धारा 57: ऐसे तथ्य जिनका न्यायालय को न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए

धारा 58: स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है

आइये इन प्रावधानों को एक-एक करके देखें

धारा 56: न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है: कोई भी तथ्य जिसका न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेगा, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

यह धारा पक्षों को उन तथ्यों को साबित करने से मुक्त करती है, जिनका न्यायालय स्वयं न्यायिक संज्ञान लेता है। इसका अर्थ है कि न्यायालय जो किसी विशेष तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए बाध्य है, ऐसे तथ्य को न्यायालय द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, न्यायालय देश के कानून को जानने के लिए बाध्य है। इस धारा का प्रभाव किसी चीज को बिना सबूत के विद्यमान या सत्य के रूप में मान्यता देना है। यह धारा सुविधा या समीचीनता के कारणों पर आधारित है। यह उन तथ्यों को निर्धारित करता है जो सभी के सामान्य ज्ञान में हैं और उन्हें सबूत की आवश्यकता नहीं है।

राजा सिद्धेश्वर हाई स्कूल की प्रबंध समिति बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अदालत इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकती है कि राज्य में शिक्षा प्रणाली वस्तुतः चरमरा चुकी है और जिस तरीके से यह प्रणाली काम कर रही है, उसके बारे में अक्सर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं।

धारा 57: तथ्य जिनका न्यायालय को न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए: न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेगा:

(1) भारत के राज्यक्षेत्र में लागू सभी कानून

(2) यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित या इसके पश्चात पारित किए जाने वाले सभी सार्वजनिक अधिनियम, तथा यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा न्यायिक रूप से नोटिस किए जाने हेतु निर्देशित सभी स्थानीय और व्यक्तिगत अधिनियम;

(3) भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना के लिए युद्ध के अनुच्छेद

(4) यूनाइटेड किंगडम की संसद, भारत की संविधान सभा, संसद और किसी प्रांत या राज्यों में तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन स्थापित विधानमंडलों की कार्यवाही का क्रम;

(5) संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन संप्रभु का परिग्रहण और हस्ताक्षर पुस्तिका
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का साम्राज्य;

(6) वे सभी मुहरें जिनका अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेता है: भारत में स्थित सभी न्यायालयों की तथा भारत से बाहर स्थित सभी न्यायालयों की मुहरें जो केन्द्रीय सरकार या क्राउन के प्राधिकार से स्थापित हों।
प्रतिनिधि, नौवाहनविभाग और समुद्री क्षेत्राधिकार के न्यायालयों और नोटरी की मुहरें
सार्वजनिक, तथा वे सभी मुहरें जिनका उपयोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति संविधान या भारतीय संविधान के अधिनियम द्वारा अधिकृत है।
यूनाइटेड किंगडम की संसद या भारत में कानून का बल रखने वाला कोई अधिनियम या विनियमन

(7) किसी राज्य में किसी सार्वजनिक पद पर तत्समय कार्यरत व्यक्तियों का पदग्रहण, नाम, उपाधि, कार्य तथा हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो।

(8) संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज।
भारत सरकार;

(9) समय के विभाजन, विश्व के भौगोलिक विभाजन, तथा राजपत्र में अधिसूचित सार्वजनिक त्यौहार, व्रत और छुट्टियाँ;

(10) भारत सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र;

(11) भारत सरकार और किसी अन्य राज्य या व्यक्तियों के समूह के बीच शत्रुता का प्रारंभ, जारी रहना और समाप्ति;

(12) न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों तथा उनके प्रतिनियुक्तों और अधीनस्थ अधिकारियों और सहायकों के नाम, तथा इसकी प्रक्रिया के निष्पादन में कार्यरत सभी अधिकारियों के नाम, तथा सभी अधिवक्ताओं, एटॉर्नी, प्रॉक्टर, वकील, प्लीडर और अन्य व्यक्तियों के नाम जो इसके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं;

(13) ज़मीन या समुद्र पर सड़क का नियम

इन सभी मामलों में, तथा सार्वजनिक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सभी मामलों में, न्यायालय संदर्भ की उपयुक्त पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकता है।

यदि न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है, तो वह ऐसा करने से इंकार कर सकता है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत न कर दे, जिसे न्यायालय ऐसा करने के लिए आवश्यक समझे।

इस खंड के अंतिम दो अनुच्छेदों के दो प्रभाव हैं, पहला यह कि इन सभी मामलों में, तथा सार्वजनिक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के मामलों में भी, न्यायालय उचित संदर्भ पुस्तकों या दस्तावेजों से परामर्श कर सकता है। दूसरा यह है कि यदि कोई पक्ष न्यायालय से किसी तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने का अनुरोध करता है, तो वह ऐसा करने से तब तक मना कर सकता है जब तक कि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत न कर दे जिसे न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेने के लिए आवश्यक समझे। इसका अर्थ यह है कि जो पक्ष न्यायालय से किसी तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने की इच्छा रखता है, उसे न्यायालय के समक्ष संदर्भ सामग्री प्रस्तुत करनी होगी। उदाहरण के लिए, जहां कोई पक्ष न्यायालय से विधानमंडलों की कार्यवाही का न्यायिक संज्ञान लेने का अनुरोध करता है, तो उसे न्यायालय के समक्ष उन निकायों की पत्रिका, या उनके प्रकाशित कार्य या सार, या संबंधित सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह स्रोत सामग्री जिसमें न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य दर्ज है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

धारा 58: स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है

किसी भी कार्यवाही में किसी भी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसे पक्षकार या उनके एजेंट सुनवाई में स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, या जिसे सुनवाई से पहले वे अपने हस्ताक्षर से किसी लिखित दस्तावेज द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, या जिसे उस समय लागू किसी भी अभिवचन नियम द्वारा उनके अभिवचन द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता है।"

बशर्ते कि न्यायालय अपने विवेकानुसार स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों से भिन्न रूप में सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा।

इस धारा में यह प्रावधान है कि जिन तथ्यों को पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। याचिका में किए गए कथन, जिनका प्रतिवादी द्वारा विरोध नहीं किया गया है, स्वीकार किए गए तथ्य का प्रभाव रखते हैं।

थिम्मप्पा राय बनाम रमन्ना राय मामले में यह माना गया कि किसी पूर्ववर्ती कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति उसके विरुद्ध किसी अनुवर्ती वाद में भी स्वीकार्य है।

न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अर्थात् पक्षों के बीच के मुद्दों के अनुसार अपना निर्णय देता है। दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य कोई मुद्दा नहीं हैं, इसलिए उनके लिए कोई सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, स्वीकारोक्ति के संबंध में, न्यायालय अपने विवेकानुसार इसका प्रमाण मांग सकता है, क्योंकि स्वीकारोक्ति का प्रभाव निर्णायक होता है, लेकिन यह केवल रोक के रूप में कार्य करता है।

तथ्यों के प्रमाण के तरीके [धारा 59 – 90]

किसी तथ्य को मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसका मतलब है कि दो तरीके हैं, एक तथ्य के गवाह को पेश करके और उसका बयान दर्ज करके जिसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है, दूसरा एक दस्तावेज पेश करके जो तथ्य को दर्ज करता है, जिसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। धारा 3 में परिभाषित किया गया है कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य क्या हैं। मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने में समान महत्व दिया जाता है।

हम इन दो प्रकार के साक्ष्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों पर चर्चा करते हैं।

धारा 59 और 60 मौखिक साक्ष्य के नियमों से संबंधित हैं, जबकि धारा 61 से 90 मौखिक साक्ष्य के नियमों से संबंधित हैं।

दस्तावेजी प्रमाण।

मौखिक साक्ष्य

धारा 3 मौखिक साक्ष्य को इस प्रकार परिभाषित करती है, "सभी कथन जिन्हें न्यायालय जांच के अधीन मामलों के संबंध में साक्षियों द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देता है या अपेक्षित करता है; ऐसे कथनों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है।

धारा 59: किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे।

धारा 59 यह स्पष्ट करती है कि दस्तावेजों में निहित तथ्यों को छोड़कर सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी शामिल हैं, जिन्हें आईटी अधिनियम 2000 पारित होने के बाद दस्तावेज माना जाता है।

VIRTUAL COLLEGE
A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

मौखिक साक्ष्य के नियम:

धारा 60: मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए: मौखिक साक्ष्य, सभी मामलों में, प्रत्यक्ष होना चाहिए; अर्थात्-

यदि यह किसी ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है जिसे देखा जा सकता है, तो यह उस गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने इसे देखा था;

यदि यह किसी ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है जिसे सुना जा सकता है, तो यह उस गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने इसे सुना है;

यदि यह किसी ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है जिसे किसी अन्य इंद्रिय या किसी अन्य तरीके से देखा जा सकता है, तो यह उस गवाह का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने इसे उस इंद्रिय या उस तरीके से देखा था;

यदि यह किसी राय या उन आधारों को संदर्भित करता है जिन पर वह राय रखी गई है, तो यह उस व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो उन आधारों पर वह राय रखता है:

परन्तु यह कि सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तुत किसी ग्रंथ में व्यक्त विशेषज्ञों की राय और वे आधार, जिन पर ऐसी राय रखी गई है, ऐसी ग्रंथ को प्रस्तुत करके सिद्ध की जा सकती है, यदि लेखक मर चुका है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या उसे बिना किसी विलम्ब या व्यय के, जिसे न्यायालय अनुचित समझता है, साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है:

परन्तु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य में दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक वस्तु के अस्तित्व या स्थिति का उल्लेख है तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अपने निरीक्षण के लिए ऐसी भौतिक वस्तु को पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

प्रत्यक्ष या मौखिक साक्ष्य: इस धारा में प्रावधान है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसका अर्थ है कि साक्षी न्यायालय को केवल उस तथ्य के बारे में बता सकता है, जिसके बारे में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान हो, अर्थात् उसने उस तथ्य को अपनी पाँच इंद्रियों में से किसी एक के माध्यम से देखा हो। दूसरी ओर, यदि उसे किसी अन्य के माध्यम से तथ्य के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो वह साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं हो सकता। इस धारा का प्रभाव स्पष्ट है कि यदि तथ्य दिखाई दे सकता है, तो साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, जिसने उसे वास्तव में देखा हो। यदि तथ्य सुना जाना है, तो साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, जिसने कहा है कि उसने उसे सुना है, यदि तथ्य को देखा जाना है, तो साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, जिसने कहा है कि उसने उसे देखा है। ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष साक्षी कहा जाता है और उन्हें ही न्यायालय में साक्ष्य देना चाहिए। इस प्रकार सभी मामलों में, साक्ष्य उस व्यक्ति का होना चाहिए, जिसने स्वयं उस तथ्य को घटित होते देखा हो, जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है। ऐसे साक्षी को प्रत्यक्ष साक्षी या तथ्य का साक्षी कहा जाता है और इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या सुनी-सुनाई बातों के बहिष्करण के रूप में जाना जाता है।

सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य का बहिष्कार: यह धारा स्पष्ट रूप से सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य को बाहर करती है। सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य का अर्थ है उस व्यक्ति से प्राप्त साक्ष्य जिसने उसे देखा, सुना या महसूस किया। सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य को बाहर करने के कारण हैं:

1. सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य का परीक्षण जिरह द्वारा नहीं किया जा सकता
2. यह एक कमज़ोर सबूत है
3. घोषणाकर्ता किसी भी व्यक्तिगत दायित्व के अधीन नहीं है
4. इसमें जालसाजी की संभावना है
5. पुनरावृत्ति की प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा का ह्रास हो सकता है

सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य के बहिष्कार के नियम के अपवाद

1. धारा 6 के तहत रिजेस्टा: बयान को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से साबित किया जा सकता है जो गवाह के रूप में उपस्थित होता है, यदि ऐसा व्यक्ति उसी लेनदेन का हिस्सा है जो विवाद में है। (आर वी फोस्टर)। यह आवश्यक है कि सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने वाले शब्दों को समय, स्थान और परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे किए जा रहे काम का हिस्सा हों।
2. स्वीकारोक्ति और इकबालिया बयान: न्यायेतर स्वीकारोक्ति और इकबालिया बयान सुनी-सुनाई बातों के सबूत की श्रेणी में आते हैं। उन्हें उस गवाह द्वारा साबित किया जा सकता है जिसके सामने वे पेश किए गए हों।

न्यायालय के बाहर किए गए हैं। ऐसे गवाह तथ्य के साक्षी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने उस पक्ष से सुना है जिसने अपना दायित्व स्वीकार किया है। धारा 17 के तहत उनकी स्वीकार्यता के कारणों पर चर्चा की गई है क्योंकि जो कथन निर्माता के हित के विरुद्ध हैं, इसलिए वे न्यायालय के बाहर किए गए कथनों के बावजूद स्वीकार्य हैं।

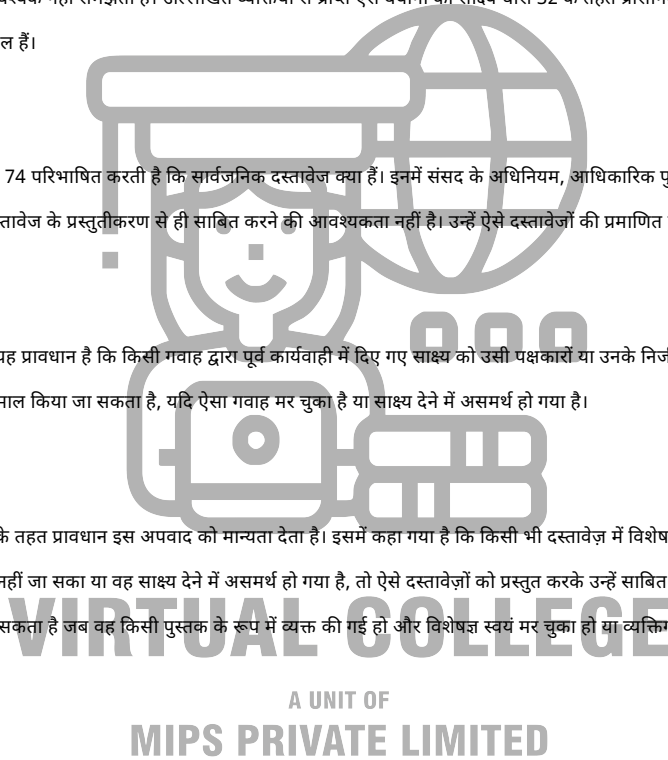
3. धारा 32 के अंतर्गत कथन: धारा 32 के अंतर्गत स्वीकृत कथन हैं:

अधिकतर ऐसे व्यक्ति जो मर चुके हैं, या जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं या जिनकी उपस्थिति देरी या व्यय की राशि के अलावा प्राप्त नहीं की जा सकती है जिसे न्यायालय आवश्यक नहीं समझता है। उल्लिखित व्यक्तियों से प्राप्त ऐसे बयानों का साक्ष्य धारा 32 के तहत प्रासंगिक है। इनमें मृत्यु पूर्व कथन, निर्माता के हित के विरुद्ध बयान आदि शामिल हैं।

4. सार्वजनिक दस्तावेजों में कथन: धारा 74 परिभाषित करती है कि सार्वजनिक दस्तावेज क्या हैं। इनमें संसद के अधिनियम, आधिकारिक पुस्तकें, रजिस्टर शामिल हैं। ऐसे दस्तावेजों की विषय-वस्तु को दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण से ही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों से साबित किया जा सकता है।

5. पूर्व कार्यवाही में साक्ष्य: धारा 33 में यह प्रावधान है कि किसी गवाह द्वारा पूर्व कार्यवाही में दिए गए साक्ष्य को उसी पक्षकारों या उनके निजी व्यक्तियों के बीच बाद की कार्यवाही में सत्य के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि ऐसा गवाह मर चुका है या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है।

6. ग्रंथ में विशेषज्ञों के कथन: धारा 60 के तहत प्रावधान इस अपवाद को मान्यता देता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज़ में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय। यदि लेखक की मृत्यु हो गई है, या उसे पाया नहीं जा सका या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, तो ऐसे दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करके उन्हें साबित किया जा सकता है। विशेषज्ञ की राय का हवाला केवल तभी दिया जा सकता है जब वह किसी पुस्तक के रूप में व्यक्त की गई हो और विशेषज्ञ स्वयं मर चुका हो या व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध न हो।



दस्तावेजी साक्ष्य के नियम

धारा 3 में दस्तावेजी साक्ष्य को न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में “ निरीक्षण के लिए प्रस्तुत सभी दस्तावेज परिभाषित किया गया है। ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।

धारा को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य हैं। इसका अर्थ है कि आवेदन के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए ज्ञापन, अन्तरिम आवेदन आदि।

दस्तावेज की सामग्री के प्रमाण के तरीके

धारा 61 : दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का प्रमाण

दस्तावेजों की विषय-वस्तु को प्राथमिक अथवा द्वितीयक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित करती है:

प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये गए दस्तावेज से है।

स्पष्टीकरण 1- जहां कोई दस्तावेज कई भागों में निष्पादित किया जाता है, वहां प्रत्येक भाग दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होता है:

जहां कोई दस्तावेज प्रतिलिपि में निष्पादित किया जाता है, और प्रत्येक प्रतिलिपि केवल एक या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया जाता है, वहां प्रत्येक प्रतिलिपि उसे निष्पादित करने वाले पक्षकारों के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होता है।

स्पष्टीकरण 2- जहां अनेक दस्तावेज एक ही समान प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं, जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी की दशा में, वहां प्रत्येक दस्तावेज शेष की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है; किन्तु जहां वे सभी एक ही मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं।

चित्रण:

किसी व्यक्ति के पास कई तख्तीयाँ हैं, जो एक ही समय में एक ही मूल से छपी हैं। इनमें से कोई भी तख्ती किसी अन्य तख्ती की विषय-वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, लेकिन उनमें से कोई भी तख्ती मूल तख्ती की विषय-वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है।

धारा यह स्पष्ट करती है कि मूल दस्तावेज की किसी भी संख्या में प्रतियां अन्य प्रस्तुत प्रतियों के लिए प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएंगी, परंतु मूल दस्तावेज की विषय-वस्तु के लिए नहीं।

धारा कहती है कि सबसे अच्छा सबूत मूल दस्तावेज ही है। यानी किसी भी दस्तावेज की विषय-वस्तु को उसके लेखन से ही साबित किया जा सकता है।

धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल है

1. प्रमाणित प्रतियां
2. यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां जो स्वयं में गारंटी देती हैं
प्रतिलिपि की सटीकता, तथा ऐसी प्रतियों के साथ प्रतियों की तुलना।
3. मूल से बनाई गई या उससे तुलना की गई प्रतियां।
4. दस्तावेजों के प्रतिरूप उन पक्षों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया
5. किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया दस्तावेज की विषय-वस्तु का मौखिक विवरण, जिसने स्वयं यह देखा।

चित्रण

(क) किसी मूल वस्तु का फोटोग्राफ उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, यद्यपि दोनों की तुलना नहीं की गई है, यदि यह साबित हो जाता है कि फोटोग्राफ ली गई वस्तु मूल वस्तु है।

(ख) प्रतिलिपि मशीन द्वारा बनाए गए पत्र की प्रतिलिपि से तुलना की गई प्रतिलिपि, पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, यदि यह दर्शाया गया हो कि प्रतिलिपि मशीन द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि मूल से बनाई गई थी।

(ग) वह प्रतिलिपि जो किसी प्रतिलिपि से लिप्यंतरित की गई हो, किन्तु बाद में मूल से तुलना की गई हो, द्वितीयक साक्ष्य है; किन्तु वह प्रतिलिपि जिसकी इस प्रकार तुलना नहीं की गई हो, मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रतिलिपि की, जिससे वह लिप्यंतरित की गई थी, मूल से तुलना की गई थी।

(घ) न तो मूल के साथ तुलना की गई प्रतिलिपि का मौखिक विवरण, न ही मूल की फोटोग्राफी प्रतिलिपि का मौखिक विवरण, मूल का द्वितीयक साक्ष्य है।

धारा 64 में प्रावधान है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि इसमें आगे उल्लेख किया गया हो।

धारा 65 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसे धारा 64 का अपवाद कहा जा सकता है।

वे मामले जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है:

(क) जब मूल दस्तावेज उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में दिखाया जाता है या ऐसा प्रतीत होता है जिसके विरुद्ध दस्तावेज को साबित करना चाहा गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या उसके अधीन नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जब धारा ६६ में वर्णित सूचना के पश्चात ऐसा व्यक्ति उसे पेश नहीं करता है;

(ख) जब मूल का अस्तित्व, स्थिति या अंतर्वस्तु उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध यह साबित किया गया है, या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकार कर ली गई हो;

(ग) जब मूल प्रति नष्ट हो गई हो या खो गई हो, या जब उसकी विषय-वस्तु का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला पक्ष, अपनी चूक या उपेक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से, उसे उचित समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता हो;

(घ) जब मूल प्रति ऐसी प्रकृति की हो कि उसे आसानी से स्थानांतरित न किया जा सके;

(ई) जब मूल दस्तावेज धारा 74 के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज है;

(च) जब मूल दस्तावेज ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस अधिनियम या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा साक्ष्य में दिए जाने की अनुमति है;

(छ) जब मूल प्रतियों में अनेक विवरण या अन्य दस्तावेज हों, जिनकी न्यायालय में जांच सुविधाजनक रूप से नहीं की जा सकती और साबित किया जाने वाला तथ्य सम्पूर्ण संग्रह का सामान्य परिणाम हो।

मामले (ए), (सी) और (डी) में, दस्तावेज की सामग्री का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है। मामले (बी) में, लिखित स्वीकृति स्वीकार्य है। मामले (ई) या (एफ) में, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति स्वीकार्य है, लेकिन कोई अन्य प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। मामले (जी) में, दस्तावेजों के सामान्य परिणाम के बारे में किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है जिसने उनकी जांच की है, और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है।

सार्वजनिक दस्तावेज और उनके प्रमाण [धारा 74-76]

A UNIT OF

MPS PRIVATE LIMITED

सार्वजनिक दस्तावेज: सार्वजनिक दस्तावेज वे दस्तावेज हैं जो राज्य के सार्वजनिक कार्यालयों से संबंधित होते हैं और जनता के संदर्भ और उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। इनमें सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में दिए गए बयान भी शामिल होते हैं, जो ज्यादातर सिविल मामलों में सबूत के तौर पर स्वीकार्य होते हैं।

इन्हें जनता के ज्ञान के लिए जारी किए गए सार्वजनिक अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 में कहा गया है कि निम्नलिखित दस्तावेजों को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है:

कृत्यों से संबंधित दस्तावेज या कृत्यों के अभिलेख:

1. संप्रभु सत्ता का
2. सरकारी निकायों और न्यायाधिकरणों के
3. भारत के किसी भी भाग के सार्वजनिक अधिकारियों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का या राष्ट्रमंडल या किसी विदेशी देश का।
4. किसी भी राज्य या निजी दस्तावेज में रखा गया सार्वजनिक रिकॉर्ड

सार्वजनिक दस्तावेजों में आगे बताया गया है:

1. कार्यों के दस्तावेज या अभिलेख-

- पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 161, सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयानों की आवश्यकता होती है धारा 115(5) एवं (7) को एक साथ पढ़कर अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।
- भूमि राजस्व, सर्वेक्षण और बंदोबस्त आदि से संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेज हैं, 'पहानियां' और 'फैसल पेटियां' सार्वजनिक दस्तावेज हैं।
- विकास प्राधिकरणों के अभिलेख सार्वजनिक दस्तावेज हैं।

क) कानून के तहत प्रकाशित योजना-

- विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत सरकारी राजपत्र में एक योजना प्रकाशित की गई थी। इस योजना में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार यह योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज बन गई थी।

ख) सिविल कोर्ट के आदेश, एफआईआर, चार्जशीट-

- सिविल कोर्ट के आदेशों और एफआईआर की प्रमाणित प्रतियां रखने की अनुमति दी गई। प्रस्तुत किया गया क्योंकि वे सभी सार्वजनिक दस्तावेज हैं।
- एक चुनाव उम्मीदवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी के तहत आरोप-पत्र को सार्वजनिक दस्तावेज माना गया और बिना किसी सबूत के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य माना गया।

ग) विवाह रजिस्टर-

- हिंदू विवाह रजिस्टर को एक सार्वजनिक दस्तावेज माना गया है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र हालांकि एक सार्वजनिक दस्तावेज है, लेकिन इसके बिना इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है परिस्थितियों पर विचार करते हुए।

2) किसी भी राज्य में रखे गए सार्वजनिक अभिलेख, निजी दस्तावेज।

- उदाहरण के लिए, रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कंपनी का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स कम्पनियां।

सार्वजनिक दस्तावेज कैसे प्रमाणित होते हैं

सार्वजनिक दस्तावेजों को हमेशा प्रमाणित प्रतियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इस कारण यह सुनी-सुनाई बातों के आधार पर साक्ष्य के बहिष्कार के नियम का अपवाद है।

धारा 76 सार्वजनिक अधिकारी से सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की विधि प्रदान करता है।

इसमें कहा गया है कि यदि कोई सार्वजनिक दस्तावेज निरीक्षण के लिए खुला है, तो इसकी प्रति किसी भी व्यक्ति को जारी की जा सकती है जो इसकी मांग कर रहा है। सार्वजनिक दस्तावेज की प्रति कानूनी शुल्क के भुगतान पर जारी की जाती है और इसके साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हों:

1. यह एक सच्ची प्रतिलिपि है।
2. प्रति जारी करने की तारीख।
3. अधिकारी का नाम और उसकी आधिकारिक मुहर।
4. कार्यालय की मुहर, यदि कोई हो।
5. इस पर दिनांक अंकित होना चाहिए।

जब प्रतिलिपि में इन विवरणों का उल्लेख किया जाता है, तभी उसे प्रमाणित प्रतिलिपि माना जाता है।

प्राचीन दस्तावेज

[धारा 90]

जहां कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना तात्पर्यित है या साबित हुआ है, किसी ऐसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय उचित समझता है, वहां न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसे दस्तावेज का हस्ताक्षर और प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होने का तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में, यह कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित किया गया है जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।

स्पष्टीकरण: उचित अभिरक्षा क्या है?

दस्तावेजों को उचित अभिरक्षा में कहा जाता है यदि वे उस स्थान पर हों, जहां और उस व्यक्ति की देखरेख में हों जिसके पास वे स्वाभाविक रूप से होते।

हालांकि, कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है यदि यह साबित हो जाता है कि इसका वैध उद्गम हुआ है, या यदि विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसा उद्गम संभावित है।

'उचित अभिरक्षा' के उदाहरण:

(क) क के पास लम्बे समय से भू-सम्पत्ति का कब्जा है। वह उसे अपनी अभिरक्षा से निकालता है।

हिरासत उचित है।

(ख) क उस भू-सम्पत्ति से सम्बन्धित विलेख प्रस्तुत करता है जिसका वह बन्धकदार है। बन्धककर्ता के पास उस पर कब्जा है। अभिरक्षा उचित है।



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का बहिष्कार साक्ष्य [धारा 91-100]

धारा 91 से 100 मौखिक साक्ष्य की अस्वीकार्यता से संबंधित कानून से संबंधित हैं, जहां दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, या जहां लेनदेन लिखित रूप में होना चाहिए

धारा 91: अनुबंध की शर्तों आदि का साक्ष्य दस्तावेज़ के रूप में परिवर्तित किया गया

धारा 91 में प्रावधान है कि:

1. जब किसी अनुबंध या अनुदान या संपत्ति के अन्य जमा की शर्तें कम हो जाती हैं लेखन में और
2. उन सभी मामलों में जिनमें किसी मामले को कानून द्वारा किसी रूप में कम करना आवश्यक है दस्तावेज़

ऐसे अनुबंध, अनुदान या संपत्ति के अन्य निपटान या ऐसे मामले की शर्तों के सबूत में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके कि

1. दस्तावेज़ स्वयं, या
2. ऐसे मामलों में द्वितीयक साक्ष्य की विषय-वस्तु जिसमें द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है

स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट करता है कि इस धारा में निर्दिष्ट अनुबंध, अनुदान या संपत्ति के निपटान एक दस्तावेज़ में निहित हो सकते हैं या वे एक से अधिक दस्तावेज़ों में निहित हो सकते हैं।
एक।

रेखांकन

(क) यदि कोई अनुबंध कई पत्रों में समाहित है, तो जिन सभी पत्रों में वह समाहित है, उन्हें एक ही पत्र में समाहित किया जाना चाहिए।

सिद्ध किया जा सकता है।

(ख) यदि कोई अनुबंध विनिमय पत्र में निहित है, तो विनिमय पत्र को सिद्ध किया जाना चाहिए

.

स्पष्टीकरण 2 आगे स्पष्ट करता है कि जहां एक से अधिक मूल प्रतियाँ हों, वहां एक मूल प्रति केवल सिद्ध करने की आवश्यकता है।

चित्रण

(ग) यदि विनिमय पत्र तीन के समूह में तैयार किया गया है, तो केवल एक को ही सिद्ध करने की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण 3 भी संदेह को दूर करने के लिए है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी दस्तावेज़ में इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का कथन, उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की स्वीकृति को नहीं रोकेगा।

चित्रण

(घ) क, ख के साथ लिखित रूप में, कुछ शर्तों पर नील की डिलीवरी के लिए अनुबंध करता है। अनुबंध में इस तथ्य का उल्लेख है कि ख ने किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से अनुबंधित अन्य नील की कीमत क को चुका दी थी।

इस नियम पर छूटें हैं:

1. जब किसी लोक अधिकारी को विधि द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है, और जब यह दर्शित किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य किया है, तब वह लिखित रूप, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया है, साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

2. भारत में प्रोबेट के लिए स्वीकृत वसीयत को प्रोबेट द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

मौखिक समझौतों के साक्ष्य का बहिष्कार [धारा 92]

धारा 92, धारा 91 की पूरक है। इसके अनुसार, जब किसी ऐसे अनुबंध, अनुदान या संपत्ति के अन्य निपटान, या किसी मामले को, जिसे कानून द्वारा दस्तावेज के रूप में संक्षिप्त किया जाना अपेक्षित है, की शर्तें अंतिम धारा के अनुसार साबित कर दी गई हैं, तो किसी भी मौखिक समझौते या कथन का कोई साक्ष्य, किसी भी ऐसे दस्तावेज के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच, उसकी शर्तों का खंडन करने, उनमें परिवर्तन करने, उनमें कुछ जोड़ने या उनमें से कुछ घटाने के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा:

(क) बीमा पॉलिसी "कलकत्ता से लंदन तक जहाजों में" माल पर लागू होती है। माल एक विशेष जहाज में भेजा जाता है जो खोजा जाता है। यह तथ्य कि उस विशेष जहाज को मौखिक रूप से पॉलिसी से बाहर रखा गया था, साबित नहीं किया जा सकता।

(ख) क, ख को 1 मार्च, 1873 को 1,000 रुपये देने के लिए पूर्णतया लिखित रूप से सहमत होता है। यह तथ्य कि उसी समय मौखिक करार किया गया था कि 31 मार्च तक धनराशि नहीं दी जाएगी, साबित नहीं किया जा सकता।

(सी) "रामपुर टी एस्टेट" नामक एक एस्टेट को एक डीड द्वारा बेचा जाता है जिसमें बेची गई संपत्ति का नक्शा होता है। यह तथ्य कि नक्शे में शामिल नहीं की गई भूमि को हमेशा एस्टेट का हिस्सा माना जाता था और डीड द्वारा इसे पारित किया जाना था, साबित नहीं किया जा सकता।

धारा 92 में छह प्रावधान हैं। ये प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि जो दस्तावेज में शामिल नहीं किया जा सकता है, उसे दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित करने पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए, पक्षों की वास्तविक आयु, उनकी मानसिक क्षमता, प्रतिफल का वास्तविक भुगतान आदि को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसलिए, उन्हें साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य है।

परन्तु (1) कोई भी तथ्य साबित किया जा सकेगा जो किसी दस्तावेज को अवैध ठहराए, या जो किसी व्यक्ति को उससे संबंधित किसी डिक्ली या आदेश का हकदार बनाए; जैसे धोखाधड़ी, धमकी, अवैधता, सम्यक् निष्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पक्ष में क्षमता का अभाव, प्रतिफल का अभाव या असफलता, या तथ्य या विधि में भूल।

रेखांकन

(घ) क, ख के साथ कुछ निश्चित शर्तों पर कुछ खानों, जो ख की सम्पत्ति हैं, पर काम करने के लिए लिखित अनुबंध करता है। ख के मूल्य के बारे में गलत बयानी करके क को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया। यह तथ्य साबित किया जा सकता है।

(ई) ए एक संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए बी के विरुद्ध वाद संस्थित करता है, तथा यह भी प्रार्थना करता है कि संविदा में उसके एक उपबंध के संबंध में सुधार किया जाए, क्योंकि वह उपबंध उसमें भूल से डाल दिया गया था। ए यह साबित कर सकता है कि ऐसी भूल हुई थी, जिसके कारण विधि के अनुसार वह संविदा में सुधार करवाने का हकदार है।

(च) क, ख से माल मंगवाने के लिए एक पत्र लिखता है, जिसमें भुगतान के समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तथा माल को सुपुर्दगी पर स्वीकार कर लेता है। ख, क पर कीमत के लिए वाद लाता है। क यह दिखा सकता है कि माल उधार पर उस अवधि के लिए दिया गया था, जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

(i) A, B को देय ऋण के लिए धन की रसीद भेजकर आवेदन करता है। B रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता। राशि के लिए वाद में A इसे साबित कर सकता है।

परन्तु (2) किसी विषय के बारे में किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व, जिसके बारे में कोई दस्तावेज मौन है और जो उसके निबंधनों से असंगत नहीं है, साबित किया जा सकेगा।

रेखांकन

(छ) A, B को एक घोड़ा बेचता है और मौखिक रूप से उसे स्वस्थ होने की गारंटी देता है। A, B को इन शब्दों में एक कागज देता है : " A से 500 रुपये का घोड़ा खरीदा"। B मौखिक गारंटी साबित कर सकता है। यह विचार करते समय कि यह परन्तुक लागू होता है या नहीं, न्यायालय को दस्तावेज की औपचारिकता की डिग्री पर ध्यान देना चाहिए।

(ज) ए बी का आवास किराए पर लेता है और बी को एक कार्ड देता है जिस पर लिखा होता है- "कमरे, 200 रुपये प्रतिमाह।" ए मौखिक करार साबित कर सकता है कि इन शर्तों में आंशिक भोजन शामिल था। ए एक वर्ष के लिए बी का आवास किराए पर लेता है और उनके बीच एक नियमित रूप से स्टाम्प किया हुआ करार होता है, जिसे एक वकील द्वारा तैयार किया जाता है। यह भोजन के विषय पर मौन है। ए मौखिक रूप से यह साबित नहीं कर सकता कि भोजन इस शर्त में शामिल था।

परन्तुक (3): किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा, जो किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के अधीन किसी बाध्यता को कुर्क करने के लिए पूर्व शर्त का गठन करता है।

परन्तुक (4): किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को रद्द या संशोधित करने के लिए किसी सुस्पष्ट पश्चातवर्ती मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति का व्ययन विधि द्वारा लिखित रूप में होना अपेक्षित है, या दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

प्रावधान (5): कोई भी प्रथा या प्रथा जिसके द्वारा किसी अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न की गई घटनाएं आमतौर पर उस विवरण के अनुबंधों में संलग्न की जाती हैं, साबित की जा सकती हैं: बशर्ते कि ऐसी घटना को संलग्न करना अनुबंध की स्पष्ट शर्तों के प्रतिकूल या असंगत न हो।

परन्तु (6) : कोई भी तथ्य साबित किया जा सकेगा जो यह दर्शित करता हो कि दस्तावेज की भाषा विद्यमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है।

चित्रण

(ज) ए और बी एक लिखित अनुबंध करते हैं जो किसी निश्चित आकस्मिकता के घटित होने पर प्रभावी होगा। लिखित अनुबंध बी के पास छोड़ दिया जाता है, जो ए के विरुद्ध वाद लाता है। ए उन परिस्थितियों को दर्शा सकता है जिनके अन्तर्गत अनुबंध दिया गया था।

दस्तावेज़ में अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए मौखिक साक्ष्य [धारा 93-100]

जहाँ कोई शब्द, अभिव्यक्ति, वाक्य या कथन एक से अधिक अर्थ देने में सक्षम हो, ऐसे शब्द, अभिव्यक्ति आदि को अस्पष्ट कहा जाता है। अस्पष्टता प्रत्यक्ष अस्पष्टता या अव्यक्त अस्पष्टता हो सकती है।

पेटेंट अस्पष्टता

जहाँ अस्पष्टता दस्तावेज़ के मुखपृष्ठ पर स्पष्ट है, उसे पेटेंट अस्पष्टता कहा जाता है। यह पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है।

धारा 93 में प्रावधान है कि किसी दस्तावेज़ में पेटेंट संबंधी अस्पष्टता को हल करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। धारा में पेटेंट संबंधी दोषों को भी शामिल किया गया है।

इस अनुभाग में लिखा है,

जब किसी दस्तावेज़ में प्रयुक्त भाषा स्पष्टतः अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण हो, तो ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, जो उसका अर्थ दर्शा सकें या उसके दोषों की पूर्ति कर सकें।

रेखांकन

(क) क लिखित रूप में ख को एक घोड़ा “1,000 रुपये या 1,500 रुपये” में बेचने का करार करता है। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि कौन सी कीमत दी जानी थी।

(ख) विलेख में रिक्त स्थान हैं। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जिससे पता चले कि उन्हें कैसे भरा जाना था।

जब कोई अस्पष्टता न हो, चाहे वह स्पष्ट हो या अव्यक्त, तो मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है कि दस्तावेज़ का अर्थ कुछ और है।

धारा 94 में प्रावधान है कि जब किसी दस्तावेज़ में प्रयुक्त भाषा अपने आप में स्पष्ट हो, और जब वह विद्यमान तथ्यों पर सटीक रूप से लागू हो, तो यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि वह ऐसे तथ्यों पर लागू होने के लिए नहीं थी।

रेखांकन

A , B को विलेख द्वारा “रामपुर में मेरी 100 बीघा की संपत्ति” बेचता है। A के पास रामपुर में 100 बीघा की संपत्ति है।

इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि जिस संपत्ति को बेचा जाना था वह किसी अन्य स्थान पर स्थित थी तथा उसका आकार भी भिन्न था।

अव्यक्त अस्पष्टता

जैसा कि शब्द से पता चलता है, अव्यक्त अस्पष्टता एक छिपी हुई अस्पष्टता है। यह दस्तावेज़ के सामने स्पष्ट नहीं है। जब दस्तावेज़ को पढ़ा जाता है, तो यह अस्पष्ट नहीं लगता है। लेकिन बाहरी तथ्य इसे अस्पष्ट बनाते हैं।

धारा 95, 96.97, 98.99 और 100 में प्रावधान है कि अस्पष्टता को दूर करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जाना चाहिए।

- धारा 95: विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में दस्तावेज़ के अप्रासंगिक होने के संबंध में साक्ष्य
- धारा 96: भाषा के अनुप्रयोग के संबंध में साक्ष्य जो कई में से केवल एक पर लागू हो सकता है व्यक्तियों
- धारा 97: तथ्यों के दो सेटों में से किसी एक पर भाषा के अनुप्रयोग के रूप में साक्ष्य जो पूरी तरह से सही ढंग से लागू होता है
- धारा 98: अस्पष्ट अक्षरों के अर्थ के रूप में साक्ष्य..आदि
- धारा 99: दस्तावेज़ की शर्तों में परिवर्तन करने संबंधी सहमति का साक्ष्य कौन दे सकता है
- धारा 100: वसीयत से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की व्यावृत्ति

सबूत का बोझ [धारा १०१-११३]

'सबूत का बोझ' को किसी तर्क के समर्थन में ऐसे सबूत पेश करने के दायित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर न्यायालय या जूरी यथोचित रूप से विश्वास कर सके, अन्यथा मामला हार जाएगा। सबूत का बोझ किसी पक्ष पर यह दायित्व है कि वह अपने मामले को साबित करने के लिए किसी मामले में मुद्दे या प्रासंगिक तथ्यों को आवश्यक निश्चितता के साथ स्थापित करे।

वाद-विवाद में मुख्य रूप से मामले के तथ्य शामिल होते हैं। प्रत्येक पक्ष की दलीलों में मामले के तथ्यों के बारे में संबंधित पक्ष का संस्करण शामिल होता है। इस प्रकार, वाद-विवाद में मामले के तथ्यों के बारे में वादी का संस्करण शामिल होता है। इसे वादी का मामला कहा जाता है। इसी तरह, लिखित बयान में मामले के बारे में प्रतिवादी का संस्करण शामिल होता है। इसे प्रतिवादी का मामला कहा जाता है।

अधिकांश मामलों में, दोनों पक्षों के मामले पूरी तरह से अलग नहीं होंगे। एक पक्ष द्वारा दलील दी गई और दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य हो सकते हैं। इन तथ्यों को स्वीकृत तथ्य कहा जाता है। कुछ अन्य तथ्यों के संबंध में, पक्षों में मतभेद हो सकता है। एक पक्ष द्वारा दलील दिए गए तथ्यों को विपरीत पक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। इन तथ्यों को विवादित तथ्य कहा जाता है। न्यायालय का कार्य यह पता लगाना है कि दोनों में से कौन सा संस्करण सत्य है।

इस कार्य का निर्वहन करने के लिए न्यायालय को साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

भारतीय न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली विरोधात्मक प्रक्रिया के तहत, पक्षों को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। साक्ष्य प्रस्तुत करके, प्रत्येक पक्ष अपने मामले को साबित करने और विरोधी पक्ष के मामले को गलत साबित करने का प्रयास करता है।

दोनों पक्षों को हर तथ्य को साबित करने या हर तथ्य को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक पक्ष को ही तथ्य साबित करना होता है। अगर पहला पक्ष तथ्य को साबित करने में सक्षम है तो दूसरे पक्ष को तथ्य को गलत साबित करना होगा। लेकिन उसे कुछ अन्य तथ्य साबित करने पड़ सकते हैं जिन्हें पहले पक्ष को गलत साबित करना होगा अगर पहला पक्ष उसे साबित करने में सक्षम है।

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

किसी तथ्य को साबित करने या न साबित करने की इस आवश्यकता को सबूत का बोझ कहा जाता है। किसी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता को सबूत का प्रारंभिक बोझ कहा जाता है और जब पक्षकार तथ्य को साबित करने या न साबित करने की इस आवश्यकता को साबित करने का प्रारंभिक बोझ कहता है।

जिस पर प्रारंभिक भार है वह तथ्य को साबित करने में सक्षम है और इसलिए जब विपरीत पक्ष को तथ्य को गलत साबित करने की आवश्यकता होती है तो हम कहते हैं कि सबूत का बोझ स्थानांतरित हो गया है - इसे सबूत का भार कहा जाता है।

सबूत का बोझ और सबूत का दायित्व

“सबूत का बोझ” और “सबूत का दायित्व”, हालाँकि इन अभिव्यक्तियों का शाब्दिक अर्थ एक ही हो सकता है। फिर भी वे भिन्न हैं

'सबूत का भार' न्यायालय से कार्यवाई की मांग करने वाले पक्ष के मुख्य तर्क को साबित करने का भार है, जबकि 'सबूत का भार' वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार है।

सबूत का भार स्थिर है और हमेशा दावेदार पर ही रहता है, लेकिन जब एक पक्ष अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर देता है तो सबूत का भार दूसरे पक्ष पर आ जाता है।

इस प्रकार, सबूत का बोझ सबूत के प्रारंभिक बोझ को इंगित करता है। यदि वह पक्ष जिसके पास सबूत है किसी तथ्य को साबित करने का भार उस तथ्य को साबित करने का होता है, उसी तथ्य को गलत साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर आ जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

सबूत के बोझ के नियम

[धारा 101-106]

धारा 101 में सबूत के बोझ की अवधारणा को समझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो उसके लिए साक्ष्य प्रदान करने का भार उसी पर होता है।

अधिनियम में सबूत के बोझ को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपराधिक मामलों में आरोपों को साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है, न कि अभियुक्त पर। साक्ष्य अधिनियम में सबूत के बोझ के कुछ सामान्य प्रकृति के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सबूत के बोझ की अवधारणा दो अवधारणाओं पर आधारित है:

सबूत का बोझ (प्रबंधन का दायित्व)

सबूत का दायित्व (तथ्यात्मक जांच)

सबूत का बोझ हमेशा एक ही व्यक्ति पर रहता है। जबकि सबूत का भार घड़ी के पेंडुलम की तरह है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित होता रहता है, अंतिम निष्कर्ष उसी व्यक्ति द्वारा निकाला जाता है।

अदालत।

धारा 101 में सबूत के बोझ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : जो कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय से यह चाहता है कि वह उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जिनका वह दावा करता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो यह कहा जाता है कि सबूत का बोझ उस व्यक्ति पर होता है।

चित्रण

(क) क चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि ख को उस अपराध के लिए दण्डित किया जाए जिसके बारे में क कहता है कि ख ने किया है। क को यह साबित करना होगा कि ख ने अपराध किया है।

(ख) क चाहता है कि न्यायालय यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे की अमुक भूमि पर उन तथ्यों के कारण हकदार है जिनका वह दावा करता है और जिनके सत्य होने से ख इनकार करता है। क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा।

संक्षेप में, सबूत का बोझ का मतलब है किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व। हर पक्ष को ऐसे तथ्य स्थापित करने होते हैं जो उसके पक्ष में या उसके विरोधी के खिलाफ जाते हों और यही सबूत का बोझ है।

धारा 102: साक्ष्य का भार किस पर है

किसी मुकदमे या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि किसी भी पक्ष की ओर से कोई सबूत न दिया गया हो।

चित्रण

(क) क, ख पर उस भूमि के लिए वाद लाता है जिस पर ख का कब्जा है, और जिसे, जैसा कि क का दावा है, ख के पिता ग की वसीयत द्वारा क को छोड़ा गया था। यदि दोनों पक्षों में से किसी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया होता, तो ख अपना कब्जा बनाए रखने का हकदार होता।

इसलिए, सबूत का भार ए पर है।

(ख) क, ख पर बंधपत्र पर देय धन के लिए वाद लाता है।

बांड का निष्पादन स्वीकार किया जाता है, लेकिन बी का कहना है कि इसे धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, जिसे ए अस्वीकार करता है। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया, तो ए सफल हो जाएगा क्योंकि बांड विवादित नहीं है और धोखाधड़ी साबित नहीं हुई है। इसलिए सबूत का भार बी पर है।

यह धारा झूठ के बोझ के लिए जिम्मेदार पक्ष का पता लगाने की कोशिश करती है। सबूत का बोझ उस पक्ष पर होता है जिसका मामला विफल हो जाएगा, अगर किसी भी पक्ष की ओर से कोई सबूत नहीं दिया जाता है।

ट्रिरो बनाम देव राज मामले में जब मुकदमा दायर करने में देरी हुई तो प्रतिवादी ने सीमा अवधि की दलील दी थी। यह साबित करने का भार वादी पर था कि मामला निर्धारित सीमा के भीतर था।

धारा १०३. किसी विशेष तथ्य के बारे में साबित करने का भार

किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो चाहता है कि न्यायालय उसके अस्तित्व पर विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंध न किया गया हो कि उस तथ्य को साबित करने का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

चित्रण

ए चोरी के लिए बी पर मुकदमा चलाता है, और चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने सी के समक्ष चोरी की बात स्वीकार की है। ए को यह स्वीकारोक्ति साबित करनी होगी। बी चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह कहीं और था। उसे यह साबित करना होगा।

धारा 103 का सिद्धांत यह है कि जब भी कोई पक्षकार चाहता है कि न्यायालय तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करे और उस पर कार्य करे, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। यदि पक्षकार चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने किसी तथ्य को स्वीकार कर लिया है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

धारा १०४. साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार

किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने में सक्षम बनाने के लिए साबित किया जाना आवश्यक किसी तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है।

रेखांकन

A, B द्वारा दिए गए मृत्युपूर्व कथन को सिद्ध करना चाहता है। A को B की मृत्यु सिद्ध करनी होगी।

बी द्वितीयक साक्ष्य द्वारा खोए हुए दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु को साबित करना चाहता है।

A को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज़ खो गया है।

यह धारा यह उपबंध करती है कि तथ्य का वह प्रमाण जिसके आधार पर साक्ष्य ग्राह्य होता है। जहां किसी तथ्य के साक्ष्य की ग्राह्यता किसी तथ्य के प्रमाण पर निर्भर करती है, वहां ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उस तथ्य को साबित करना चाहता है।

धारा 105. यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है

जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उस मामले को भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत, या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, या अपराध को परिभाषित करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तु के अंतर्गत लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है, और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा।

रेखांकन

(क) क, जिस पर हत्या का आरोप है, यह अभिकथन करता है कि मानसिक विकृति के कारण वह कृत्य की प्रकृति को नहीं जानता था।

सबूत का भार ए पर है।

(ख) हत्या के अभियुक्त क का यह अभिकथन है कि गम्भीर और अचानक उकसावे के कारण वह आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया।

सबूत का भार ए पर है।

(सी) भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 325 में यह प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति, धारा 335 द्वारा निर्धारित मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है, उसे कुछ दंड दिए जाएंगे। ए पर धारा 325 के तहत स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। धारा 335 के तहत मामले को लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार ए पर है।

इस धारा में यह प्रावधान है कि यदि अभियुक्त यह दावा करता है कि उसका मामला भारतीय दंड संहिता के मान्यता प्राप्त अपवादों में से किसी के अंतर्गत आता है, तो यह साबित करने का भार उस पर है कि मामला अपवादों के अंतर्गत आता है।

धारा 106. तथ्य को साबित करने का भार, विशेषकर ज्ञान के भीतर

जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है।

रेखांकन

(क) जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस कार्य के स्वरूप और परिस्थितियों से भिन्न आशय से करता है, तो उस आशय को साबित करने का भार उस पर होता है।

(ख) A पर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, A पर है।

इस धारा के अनुसार, जब कभी किसी तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में निहित हो, तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है।

सबूत के बोझ के विशेष नियम

किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु की धारणा

धारा 107 और 108 किसी व्यक्ति की मृत्यु साबित करने के भार से संबंधित है। धारा 107 में प्रावधान है कि जब यह दर्शाया जाता है कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तो उसकी मृत्यु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसकी मृत्यु की पुष्टि करता है।

किन्तु यदि यह दर्शित हो जाए कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके निकटस्थ व्यक्तियों ने सात वर्षों तक कोई समाचार नहीं सुना है, तो धारा 108 के अन्तर्गत यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जीवित है, उस व्यक्ति पर होगा जो यह पुष्टि करता है कि वह जीवित है।

धारा 108, जो धारा 107 का प्रावधान है, मृत्यु के तथ्य की धारणा प्रदान करती है। यह मृत्यु के समय की धारणा के लिए प्रावधान नहीं करती है। हालाँकि, मृत्यु के समय की संभावना को तब ध्यान में रखा जा सकता है जब न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना आवश्यक हो।

रिश्ते की निरंतरता

धारा 109 में यह प्रावधान है कि जब दो व्यक्तियों के बीच संबंध साबित हो जाता है, तो यह साबित करने का भार कि ऐसा संबंध समाप्त हो गया है, उस पक्ष पर है जो यह आरोप लगा रहा है कि संबंध समाप्त हो गया है।

धारा 110 यह साबित करने का भार कि किसी वस्तु पर स्वामी के रूप में कब्जा रखने वाला व्यक्ति उसका स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है जो उस वस्तु के स्वामित्व को अस्वीकार करता है।

इन धाराओं के साथ-साथ धारा 107 के पीछे तर्क यह है कि

अनुमान सकारात्मक होना चाहिए न कि नकारात्मक। अनुमान यह है कि चीजें खत्म होने के बजाय जारी रहेंगी।

MIPS PRIVATE LIMITED

प्रत्ययी संबंध रखने वाले पक्षों के बीच लेन-देन की वास्तविकता

धारा 111 एक दूसरे के साथ प्रत्ययी संबंध में खड़े व्यक्तियों के बीच किसी भी लेन-देन के सद्भावना के सबूत के बोझ से संबंधित है। सबूत का बोझ उस व्यक्ति पर है जो सक्रिय विश्वास में है।

रेखांकन

(क) किसी मुवक्किल द्वारा किसी वकील को की गई बिक्री की सद्भावना मुवक्किल द्वारा दायर मुकदमे में प्रश्नगत है। लेन-देन की सद्भावना साबित करने का भार वकील पर है।

(ख) पुत्र द्वारा पिता को की गई बिक्री की सद्भावना, पुत्र द्वारा दायर मुकदमे में प्रश्नगत है। लेन-देन की सद्भावना को साबित करने का भार पिता पर है।

बच्चे की वैधता की धारणा [धारा 112]

धारा 112 उस बच्चे की वैधता की धारणा से संबंधित है जो यदि उसकी मां और कोई पुरुष वैध विवाह कर रहे हैं या विवाह विच्छेद की तिथि से 280 दिनों के भीतर।

यह धारणा निर्णायक है, और इसलिए इसका खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन धारा 112 में ही इसके तहत वैधता की धारणा का खंडन करने के लिए एक आधार दिया गया है।

इस प्रकार, यह दर्शाया जा सकता है कि विवाह के पक्षकारों के पास किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी, जबकि वह पैदा हो सकता था।

इस प्रकार, धारा 112 के अनुप्रयोग के लिए दो आवश्यकताएँ हैं।

1. बच्चे का जन्म होना चाहिए

(क) अपने माता-पिता के बीच वैध विवाह के दौरान; या

(ख) यदि विवाह विच्छेद हो गया है, तो विवाह विच्छेद से 280 दिनों के भीतर

2. माता-पिता के बीच गैर-पहुँच दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं होना चाहिए

वह समय जब बच्चा पैदा हो सकता था।

इसलिए, सबूत का भार पूरी तरह से बच्चे की वैधता को चुनौती देने वाले पक्ष पर है, न कि अपनी वैधता का दावा करने वाले पक्ष पर। इस प्रकार, वैधता का दावा करने वाले पक्ष को पहुँच साबित करने की आवश्यकता नहीं है, विपरीत पक्ष को गैर-पहुँच साबित करना चाहिए।

पहुँच।

क्षेत्र की समाप्ति [धारा 113]

धारा 113 में यह प्रावधान है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भाग III के प्रारंभ होने से पहले किसी ब्रिटिश क्षेत्र के किसी भारतीय राज्य को हस्तांतरण की आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना इस बात का निर्णायक सबूत है कि हस्तांतरण उस तारीख को हुआ था

अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।

एस्टोपल का सिद्धांत

एस्टोपल साक्ष्य का एक नियम है जो किसी पक्ष को उस पक्ष के पिछले आचरण, आरोप या इनकार के कारण किसी निश्चित तथ्य को अस्वीकार करने या आरोपित करने से रोकता है। एस्टोपल के पीछे तर्क असंगतता या धोखाधड़ी के कारण होने वाले अन्याय को रोकना है।

एस्टोपल के प्रकार

एस्टोपल के दो सामान्य प्रकार हैं

1. न्यायसंगत एस्टोपल

क. प्रोमिसरी एस्टोपल और

ख. लाचेस द्वारा एस्टोपल

2. कानूनी रोक

क. रिकॉर्ड द्वारा एस्टोपल

ख. विलेख द्वारा एस्टोपल



न्यायसंगत एस्टोपल

इक्वोटेबल एस्टोपल जिसे कभी-कभी एस्टोपल इन पैस के नाम से भी जाना जाता है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के स्वैच्छिक आचरण से होने वाले नुकसान से बचाता है। स्वैच्छिक आचरण में कोई कार्रवाई, चुप्पी, सहमति या भौतिक तथ्यों को छिपाना शामिल हो सकता है।

VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF

MIPS PRIVATE LIMITED

न्यायसंगत रोक के कई विशिष्ट प्रकार हैं:

वचनबद्धता निषेध

यह एक अनुबंध कानून सिद्धांत है। यह तब होता है जब कोई पक्ष किसी अन्य पक्ष के वादे पर उचित रूप से भरोसा करता है, और इस भरोसे के कारण उसे चोट लगती है या नुकसान होता है।

लैचेस द्वारा एस्टोपल

लाचेस द्वारा एस्टोपल किसी पक्ष को कार्रवाई करने से रोकता है, जब पक्षकार जानबूझकर उचित समय पर कानूनी अधिकार का दावा करने या उसे लागू करने में विफल रहता है।

यह सिद्धांत सीमाओं के कानूनों की अवधारणा से निकटता से संबंधित है, सिवाय इसके कि सीमाओं के कानून कानूनी कार्रवाइयों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करते हैं, जबकि लैचेस के तहत, आमतौर पर कोई निर्धारित समय नहीं है जिसे अदालतें "उचित" मानती हैं।

कानूनी रोक

कानूनी रोक विलेख द्वारा रोक और अभिलेख द्वारा रोक पर आधारित है।

विलेख द्वारा एस्टोपल

विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत, संपत्ति विलेख के किसी पक्षकार को विलेख के किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध विलेख के विरुद्ध कोई अधिकार या हक जताने, या विलेख में अभिकथित किसी भी भौतिक तथ्य की सच्चाई को नकारने से रोका जाता है।

रिकॉर्ड द्वारा एस्टोपल

रिकॉर्ड द्वारा एस्टोपल, जिसे "संपार्श्विक एस्टोपल" या "निर्णय द्वारा एस्टोपल" के रूप में भी जाना जाता है, एक तथ्यात्मक या कानूनी मुद्दे पर पुनः बहस को रोकता है जो पहले से ही उसी पक्षों से जुड़े एक पिछले मामले में एक वैध निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया है।

अभिलेख द्वारा एस्टोपल को प्रायः रिस जुडिकाटा के संबंधित सिद्धांत के साथ भ्रमित किया जाता है, जो एक बार निर्णय हो जाने के बाद उन्हीं पक्षों के बीच एक ही वाद के लिए पुनः मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत एस्टोपल

एस्टोपल का सिद्धांत इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115, 116 और 117 एस्टोपल के सिद्धांत से संबंधित हैं।

यह अत्यधिक अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा यदि किसी व्यक्ति को उसके पूर्व कथन के विपरीत बोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को हानि और क्षति होगी जिसने ऐसे कथन पर कार्य किया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 एस्टोपल को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"जब कोई व्यक्ति अपनी घोषणा, कार्य या चूक से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सत्य मानने और ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि को, उसके और ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी मुकदमे या कार्यवाही में, उस बात की सच्चाई से इनकार करने की अनुमति दी जाएगी।"

चित्रण

A जानबूझकर और झूठा ढंग से B को यह विश्वास दिलाता है कि अमुक भूमि A की है, और इस प्रकार B को उसे खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित करता है।

इसके बाद भूमि A की संपत्ति बन जाती है, और A बिक्री को रद्द करना चाहता है

इस आधार पर कि बिक्री के समय उसके पास कोई अधिकार नहीं था। उसे अपने अधिकार की कमी साबित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एस्टोपल के सिद्धांत के आवेदन के लिए शर्तें

1. एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई अभ्यावेदन अवश्य दिया जाना चाहिए। अभ्यावेदन तथ्य के आधार पर किया जाना चाहिए न कि कानून के आधार पर। अभ्यावेदन झूठा होना चाहिए।

2. जिस व्यक्ति के समक्ष अभ्यावेदन किया गया है, उसे यह विश्वास होना चाहिए कि यह सत्य है।
3. जिस व्यक्ति को अभ्यावेदन दिया गया है, उसने उस पर कार्यवाई अवश्य की होगी।
4. ऐसा करने से, जिस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसे कुछ हानि अवश्य हुई होगी।

किरायेदार और लाइसेंसधारी या कब्जे वाले व्यक्ति का एस्टोपल [धारा 116]

धारा 116 के तहत, किसी अचल संपत्ति के किरायेदार को यह दावा करने से रोका जाता है कि किरायेदारी के निर्माण के समय उसके मकान मालिक के पास ऐसी संपत्ति का अधिकार नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह यह नहीं कह सकता कि जिस संपत्ति पर वह किरायेदार के रूप में कब्जा कर रहा है, उसे उसने किसी अनधिकृत व्यक्ति से पट्टे पर लिया था। यह प्रतिबंध किरायेदार के विरुद्ध केवल किरायेदारी की अवधि के दौरान ही लागू होता है। इस प्रकार,

1. किरायेदारी समाप्त करने के बाद किरायेदार कह सकता है कि उसके मकान मालिक ने किरायेदारी के सृजन के समय स्वामित्व नहीं होना;
2. किरायेदारी जारी रहने के दौरान भी वह कह सकता है

(क) किरायेदारी के सृजन के बाद मकान मालिक का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो गया, या

(ख) कि किरायेदारी के सृजन से पहले किसी भी समय उसके पास संपत्ति का स्वामित्व।

यही नियम, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो किसी अचल संपत्ति पर उस व्यक्ति के लाइसेंस के माध्यम से आता है जिसके पास उस संपत्ति का कब्जा है।

विनिमय पत्र के स्वीकारकर्ता, उपनिहिती या लाइसेंसी का विबंधन [धारा 117]

धारा 117 प्रतिबन्धित करती है

विनिमय पत्र के स्वीकारकर्ता को यह अस्वीकार करने से रोकना कि लिखने वाले को ऐसा बिल लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का प्राधिकार है;

तथापि, धारा 117 का स्पष्टीकरण 1 विनिमय पत्र के स्वीकारकर्ता को यह अस्वीकार करने की अनुमति देता है कि पत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा जाना प्रकल्पित है।

किसी उपनिहिती को यह अस्वीकार करने से रोकना कि उसके उपनिषदकर्ता के पास उपनिषद करते समय ऐसा उपनिषद करने का अधिकार था;

स्पष्टीकरण 2 धारा 117 में यह प्रावधान है कि यदि उपनिहिती उपनिहित माल को उपनिषदकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है, तो वह यह साबित कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति का उपनिषदकर्ता के विरुद्ध उस पर अधिकार था।

किसी लाइसेंसधारी को यह अस्वीकार करने से रोका जा सकता है कि उसके लाइसेंसकर्ता के पास उस समय ऐसा लाइसेंस देने का अधिकार था जब ऐसा लाइसेंस दिया गया था।



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

विशेषाधिकार प्राप्त संचार[अनुभाग 121-126]

कुछ संचारों को साक्ष्य के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। प्रतिबंध का उद्देश्य उस व्यक्ति की रक्षा करना है जिसका हित, मुकदमे या कार्यवाही में शामिल हित के अलावा, प्रभावित हो सकता है।

अधिकांश मामलों में, प्रभावित होने वाला हित किसी व्यक्ति का निजी हित होता है।

ऐसे मामलों में, संचार को प्रकट करना या प्रकट करने के लिए सहमति देना उसका विवेकाधिकार है।

अन्य मामलों में, प्रभावित होने वाला हित निजी हित नहीं है, बल्कि कुछ सार्वजनिक हित है। ऐसे मामलों में, संचार को प्रकट करने या उसके प्रकट होने की सहमति देने का विवेक उस व्यक्ति में निहित है जिसकी जिम्मेदारी उस हित की रक्षा करना है।

यह उस व्यक्ति का विशेषाधिकार है, जिसके विवेक पर संचार को प्रकट किया जा सकता है, संचार को रोकना। इसलिए, इन संचारों को विशेषाधिकार प्राप्त संचार कहा जाता है। दस्तावेजों के संबंध में इसका अर्थ है रोकने का विशेषाधिकार

दस्तावेज़.

विशेषाधिकार प्राप्त संचार से संबंधित प्रावधान दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं:

गवाह को 'मजबूर' नहीं किया जाएगा;

गवाह को 'अनुमति' नहीं दी जाएगी।

गवाह को 'बाध्य' नहीं किया जाएगा, अर्थात् यदि गवाह संचार को प्रकट करने के लिए इच्छुक है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि वह इच्छुक नहीं है, तो उसे इसे प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

गवाह को 'अनुमति' नहीं दी जाएगी, अर्थात् यदि गवाह संचार को प्रकट करने का इच्छुक भी हो, तो भी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसका मतलब यह है कि संचार का खुलासा करना या उसे उजागर न करना गवाह का विवेकाधिकार और विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति है। इसका आगे यह भी मतलब है कि संचार का खुलासा करने से गवाह के हित प्रभावित होने की संभावना नहीं है, बल्कि

किसी अन्य व्यक्ति.

निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त संचार हैं:

वैवाहिक संचार [धारा 122]

राज्य के मामलों के संबंध में साक्ष्य [धारा 123]; तथा

आधिकारिक संचार [धारा 124]

अपराध के बारे में जानकारी [धारा 125]

व्यावसायिक संचार [धारा 126-129]

विवाह के दौरान संचार [धारा 122]

कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या रहा है, उसे विवाह के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी संचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिससे वह विवाहित है या रहा है;

न ही उसे ऐसे किसी संचार का खुलासा करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि उसे करने वाला व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि सहमति न दे,

विवाहित व्यक्तियों के बीच के मुकदमों या ऐसी कार्यवाहियों को छोड़कर, जिनमें एक विवाहित व्यक्ति पर दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है।

राज्य के मामलों से संबंधित साक्ष्य [धारा 123]

किसी भी व्यक्ति को राज्य के किसी मामले से संबंधित अप्रकाशित सरकारी अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति के, जो ऐसी अनुमति देगा या रोकेगा जैसा वह ठीक समझे।

आधिकारिक संचार [धारा 124]

किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को उसके साथ आधिकारिक विश्वास में किए गए संचार को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब वह समझता है कि प्रकटीकरण से सार्वजनिक हितों को नुकसान होगा।

अपराध के बारे में जानकारी [धारा 125]

किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को यह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि उसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली, और किसी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली।

स्पष्टीकरण.-- इस धारा में "राजस्व अधिकारी" से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारबार में या उसके बारे में नियोजित कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

व्यावसायिक संचार [अनुभाग 126-129]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 व्यावसायिक संचार से संबंधित है। यहाँ व्यावसायिक संचार का अर्थ है, मुवक्किल द्वारा अपने अधिवक्ता को या अधिवक्ता द्वारा मुवक्किल को अपने अधिवक्ता के नियोजन के उद्देश्य से या उसके दौरान किया गया संचार। तदनुसार, मुवक्किल द्वारा अपने अधिवक्ता को बताए गए किसी भी तथ्य और अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता के नियोजन के दौरान मुवक्किल को दी गई किसी भी सलाह को मुवक्किल की स्पष्ट सहमति के बिना प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को अधिवक्ता का मुवक्किल तब कहा जाता है जब वह किसी मामले को लेकर अधिवक्ता के पास जाता है, चाहे अधिवक्ता उसके द्वारा नियोजित हो या नहीं।

धारा 126 को दोनों पक्षों के बीच तथ्यों के मुक्त संचार को सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

वकील और उसके मुवक्किल के बीच कोई कानूनी विवाद नहीं है। इस धारा का उद्देश्य लोगों को अपराध या गैरकानूनी गतिविधियों को पूर्ण प्रमाण तरीके से करने के लिए कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाना नहीं है।

चित्रण

A, एक मुवक्किल, B, एक वकील से कहता है, “मैंने जालसाजी की है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बचाव करें मुझे।”

चूंकि किसी ज्ञात दोषी व्यक्ति का बचाव कोई आपराधिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस संचार को प्रकटीकरण से संरक्षित किया गया है।

इसलिए, धारा 126 का पहला प्रावधान किसी भी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किए गए संचार को धारा के तहत दिए गए संरक्षण के दायरे से बाहर रखता है।

126. अतः, जहां मुवक्किल अपने वकील से कहता है कि उसने जालसाजी की है और वह चाहता है कि वकील उसके मामले की पैरवी करे, वहां यह संचार किसी आपराधिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह संचार धारा 126 के तहत संरक्षित है।

किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करना जो दोषी माना जाता है, आपराधिक उद्देश्य नहीं है। दूसरी ओर, यदि मुवक्किल अधिवक्ता से पूछता है कि जालसाजी किस तरह से की जाए ताकि मुवक्किल सजा से बच सके, तो मुवक्किल अपराध करने के लिए सलाह मांग रहा है और इसलिए, यह संचार धारा 126 के पहले प्रावधान के अंतर्गत आता है और इसलिए, यह विशेषाधिकार प्राप्त संचार नहीं है।

रेखांकन

A, एक मुवक्किल, B, एक वकील से कहता है, “मैं संपत्ति का कब्जा प्राप्त करना चाहता हूँ एक जाली दस्तावेज के आधार पर मैं आपसे मुकदमा चलाने का अनुरोध करता हूँ।”

यह संचार आपराधिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, इसलिए इसे प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं किया गया है।

ए पर गबन का आरोप लगाया गया है, वह अपने बचाव के लिए बी नामक वकील को रखता है। कार्यवाही के दौरान बी देखता है कि ए की खाता बही में एक प्रविष्टि की गई है, जिसमें ए पर गबन की गई राशि का आरोप लगाया गया है, जो प्रविष्टि ए की खाता बही में नहीं थी।

उन्होंने अपनी नौकरी के आरंभ में ही यह पुस्तक खरीद ली थी।

यह तथ्य बी द्वारा अपने रोजगार के दौरान देखा गया है, तथा यह दर्शाता है कि कार्यवाही के प्रारंभ होने के बाद से धोखाधड़ी की गई है, इसलिए इसे प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

धारा 127 के आधार पर, धारा 126 के प्रावधान दुभाषियों, तथा बैरिस्टर्स, प्लीडरों, अटॉर्नी और वकीलों के क्लर्कों या सेवकों पर लागू होंगे।

धारा 128 आगे स्पष्ट करती है कि यह नहीं माना जा सकता कि स्वेच्छिक साक्ष्य प्रस्तुत करने से विशेषाधिकार का परित्याग हो जाता है।

धारा 129 में यह प्रावधान है कि यदि किसी वाद का कोई पक्षकार अपनी इच्छा से या अन्यथा साक्ष्य देता है तो यह नहीं माना जाएगा कि उसने धारा 126 में उल्लिखित प्रकटीकरण के लिए सहमति दे दी है।



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

सह-अपराधी साक्ष्य[धारा 133]

एक "सह-अपराधी" वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने में मदद करता है। यदि उस पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाता है, तो वह "सह-अभियुक्त" बन जाता है। एक सहयोगी जिसे अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 के तहत क्षमा प्रदान की जाती है, उसे "अनुमोदक" कहा जाता है।

धारा 133 में प्रावधान है कि अभियुक्त के विरुद्ध सह-अपराधी सक्षम गवाह होगा। धारा 133 आगे स्पष्ट करती है कि केवल इसलिए दोषसिद्धि अवैध नहीं है क्योंकि यह सह-अपराधी की अपुष्ट गवाही पर आधारित है।

लेकिन अब यह लगभग एक सार्वभौमिक नियम बन गया है कि किसी साथी की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों में न हो जाए। पुष्टिकरण की आवश्यकता के संबंध में, कोई कठोर और

त्वरित नियम निर्धारित किया जा सकता है। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि अपराध की प्रकृति, साथी के साक्ष्य की प्रकृति, उसकी मिलीभगत की सीमा आदि।

गवाहों की परीक्षा[धारा 135-137]

गवाहों की परीक्षा से तात्पर्य न्यायालय में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से है।

परीक्षा का क्रम

1. मुख्य परीक्षा

2. जिरह और

3. पुनः परीक्षा.

साक्षियों की सर्वप्रथम मुख्य परीक्षा की जाएगी, तत्पश्चात (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे) प्रति-परीक्षा की जाएगी, तत्पश्चात (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे) पुनः परीक्षा की जाएगी।

मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा पहला चरण है जिसमें गवाह से उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके पक्ष में गवाह साक्ष्य दे रहा है। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य पक्ष के मामले का खुलासा करना और उसे साबित करना है, साथ ही विपरीत पक्ष के मामले को गलत साबित करना है। हलफनामे के माध्यम से दिया गया साक्ष्य, अभिसाक्षी की मुख्य परीक्षा के बराबर है।

क्रॉस एग्जामिनेशन

मुख्य परीक्षा के बाद अगला चरण जिरह का होता है जिसमें गवाह से विपक्षी पक्ष के वकील द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। जिरह का उद्देश्य जिरह करने वाले विपक्षी पक्ष के मामले का खुलासा करना है।

परीक्षण के दौरान, विपक्षी पक्ष के मामले को साबित करना होता है, तथा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस पक्ष के मामले को गलत साबित करना होता है जिसकी ओर से गवाह साक्ष्य दे रहा है।

जिरह सत्य की सर्वोत्तम गारंटी है। जिरह करने वाला अधिवक्ता अपनी मुख्य परीक्षा में साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य में झूठ या त्रुटि को कुशलता से उजागर कर सकता है। इसलिए जिरह विपक्षी पक्ष का सबसे मूल्यवान अधिकार है। यदि साक्ष्य हलफनामे के माध्यम से दिया जाता है, तो विपक्षी पक्ष द्वारा मांगे जाने पर अभिसाक्षी को जिरह के लिए उपस्थित होना पड़ता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की जाती है। जहां विपक्षी पक्ष कोई कुख्यात व्यक्ति जैसे अपराधी या आतंकवादी या कोई शक्तिशाली व्यक्ति जैसे राजनेता है, वहां गवाह की पहचान छिपाई जानी चाहिए। यह न केवल गवाह और उसके परिवार के सदस्यों की जान और संपत्ति के जोखिम से सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि सार्वजनिक हित में भी आवश्यक है। यदि गवाहों की सुरक्षा नहीं की जाती है, तो कोई भी कुख्यात या शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएगा, और एक अपराधी या आतंकवादी के खिलाफ गवाही देने के लिए भी कोई आगे नहीं आएगा।

परिणामस्वरूप वे स्वयं को अपराध करने के लिए स्वतंत्र पाएंगे।

ऑडी अल्टरम पार्टम नियम के मद्देनजर क्रॉस परीक्षा भी आवश्यक है।

इसलिए, यदि जिरह का अवसर उपलब्ध नहीं है तो गवाह के साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, यदि मुख्य परीक्षा के बाद जिरह किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है, और स्थगित तिथि पर, यदि गवाह जिरह के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं करता है और इसलिए, यदि जिरह संभव नहीं है, तो मुख्य परीक्षा में दिए गए गवाह के साक्ष्य को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

मामले का निर्णय

पुनः परीक्षा

पुनर्परीक्षण का उद्देश्य प्रतिपरीक्षण में संदर्भित मामले की व्याख्या करना है तथा मुख्य रूप से यह मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षण के बीच अस्पष्टता के समाधान तक ही सीमित है। यदि ऐसा मामला पुनर्परीक्षण में पेश किया जाना है, तो न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। यदि ऐसा मामला न्यायालय की अनुमति से पेश किया जाता है, तो विपक्षी पक्ष को उन बिंदुओं पर प्रतिपरीक्षण का अधिकार प्राप्त होगा।

VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF

MIPS PRIVATE LIMITED



VIRTUAL COLLEGE

A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED

प्रमुख प्रश्न[अनुभाग 141-143]

कोई भी प्रश्न जो उस उत्तर का सुझाव देता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति चाहता है या प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, उसे अग्रणी प्रश्न कहा जाता है।

उनसे जिरह में पूछा जा सकता है।

सामान्यतः इन्हें मुख्य परीक्षा तथा पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता।

उपरोक्त सामान्य नियम के अपवाद हैं:

1. जब विपक्षी द्वारा उन पर आपत्ति नहीं की जाती है [धारा 142]
2. जब उन्हें न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाती है [धारा 142]
 - (क) जब वे परिचयात्मक तथ्य हों;
 - (ख) जब वे निर्विवाद तथ्य हों; या
 - (ग) जब न्यायालय की राय में वे पर्याप्त रूप से साबित हो जाएं।
3. जब गवाह पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाता है।

धारा 165 के तहत गवाह की जांच करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

गवाह की विश्वसनीयता पर आक्षेप[धारा 155]

किसी गवाह की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल पक्ष द्वारा, या न्यायालय की सहमति से, उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा निम्नलिखित तरीकों से आक्षेप लगाया जा सकता है:-

1. ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो यह प्रमाणित करते हैं कि वे, साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, उसे विश्वास के अयोग्य मानते हैं;
2. यह साबित करके कि गवाह को रिश्तत दी गई है, या उसने दुल्हन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, या उसे अपनी गवाही देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट प्रलोभन मिला है;
3. अपने साक्ष्य के किसी भाग से असंगत पूर्व कथनों को सिद्ध करके, जिसका खंडन किया जा सकता है;
4. जब किसी व्यक्ति पर बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो यह दिखाया जा सकता है कि अभियोक्ता सामान्यतः अनैतिक चरित्र की थी।

स्पष्टीकरण - जो साक्षी किसी दूसरे साक्षी को विश्वसनीयता के अयोग्य घोषित करता है, वह अपनी मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के लिए कारण नहीं दे सकता, किन्तु उससे प्रति-परीक्षा में उसके कारण पूछे जा सकते हैं, और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों का खंडन नहीं किया जा सकता, यद्यपि यदि वे झूठे हैं, तो बाद में उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है।

रेखांकन

1. A, B को बेचे गए और वितरित किए गए माल की कीमत के लिए B पर मुकदमा करता है। C कहता है कि उसने B को माल वितरित किया। यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि, पिछले अवसर पर, उसने कहा था कि उसने B को माल वितरित किया था। साक्ष्य स्वीकार्य है
2. A को BC की हत्या के लिए संकेतित किया गया है। B ने मरते समय घोषणा की थी कि A ने B को वह घाव दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि C ने पिछले अवसर पर कहा था कि घाव A द्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं दिया गया था। साक्ष्य स्वीकार्य है।

पक्षकार द्वारा अपने ही गवाह से प्रश्न प्रतिकूल गवाह [धारा 154]

वह गवाह जो उससे परीक्षण करने वाले वकील द्वारा वांछित उत्तर तुरंत दे देता है, उसे 'अनुकूल गवाह' कहा जाता है, क्योंकि उसके उत्तर उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाने वाले पक्ष के अनुकूल होते हैं।

जो गवाह ऐसे उत्तर देने में अनिच्छुक होता है या इनकार करता है, उसे 'प्रतिकूल गवाह' कहा जाता है, क्योंकि वह उससे पूछताछ करने वाले वकील के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है।

आम तौर पर एक ही गवाह अनुकूल और प्रतिकूल होता है: मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा के दौरान अनुकूल और प्रति-परीक्षा के दौरान प्रतिकूल। हालाँकि, कई बार, खास तौर पर आपराधिक मामलों में, मुख्य परीक्षा के दौरान गवाह प्रतिकूल हो सकता है

स्वयं.

ऐसे मामलों में, उसे बुलाने वाले पक्ष का वकील, धारा 154 के अधीन न्यायालय की अनुमति से, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो जिरह में अनुमेय हैं।

स्मृति ताज़ा करना[अनुभाग 159]

कोई साक्षी, परीक्षा के दौरान, उस लेन-देन के समय, जिसके विषय में उससे प्रश्न किया जा रहा है, स्वयं द्वारा लिखे गए किसी लेख का हवाला देकर, अथवा उसके तुरन्त बाद, जिसके विषय में न्यायालय यह सम्भाव्य समझे कि वह लेन-देन उस समय उसकी स्मृति में ताज़ा था, अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है।

साक्षी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए ऐसे किसी लेखन का भी उल्लेख कर सकता है, जिसे साक्षी ने पूर्वोक्त समय के भीतर पढ़ा हो, यदि पढ़ते समय वह जानता था कि यह सही।

जब कभी कोई साक्षी किसी दस्तावेज के संदर्भ में अपनी स्मृति ताज़ा करना चाहे तो वह न्यायालय की अनुमति से ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि का संदर्भ दे सकेगा।

बशर्ते न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

धारा 159 का प्रावधान किसी विशेषज्ञ को व्यावसायिक ग्रंथों के संदर्भ में अपनी स्मृति ताज़ा करने की अनुमति देता है।

धारा 160 में यह प्रावधान है कि कोई गवाह धारा 159 में उल्लिखित किसी दस्तावेज़ में वर्णित तथ्यों की भी गवाही दे सकता है, भले ही उसे तथ्यों का कोई विशेष स्मरण न हो, यदि वह आश्वस्त है कि तथ्यों को दस्तावेज़ में सही ढंग से दर्ज किया गया है।

दस्तावेज़।

चित्रण

एक मुनीम अपने द्वारा नियमित रूप से रखी जाने वाली पुस्तकों में दर्ज तथ्यों की गवाही दे सकता है। व्यवसाय के दौरान, यदि वह जानता है कि पुस्तकें सही ढंग से रखी गई थीं, हालांकि वह दर्ज किए गए विशेष लेनदेन को भूल गया है।

प्रतिकूल पक्ष का अधिकार

जहां कोई पक्ष साक्ष्य देते समय अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए किसी लेखन का उपयोग करता है, धारा 161 प्रतिकूल पक्ष को उस लेखन का निरीक्षण करने का अधिकार देती है। धारा 159 और 150 के प्रावधानों के तहत संदर्भित किसी भी लेखन को प्रतिकूल पक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और दिखाया जाना चाहिए जैसे कि उसे इसकी आवश्यकता हो। ऐसा पक्ष, यदि वह चाहे, तो गवाह से जिरह कर सकता है

उसके बाद.

VIRTUAL COLLEGE
A UNIT OF
MIPS PRIVATE LIMITED